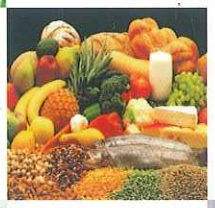
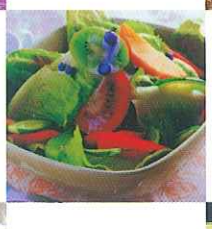

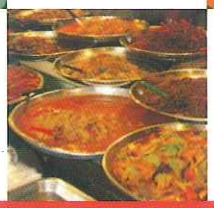

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

Food Safety and Standards Authority of India

fssai

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित खाद्य

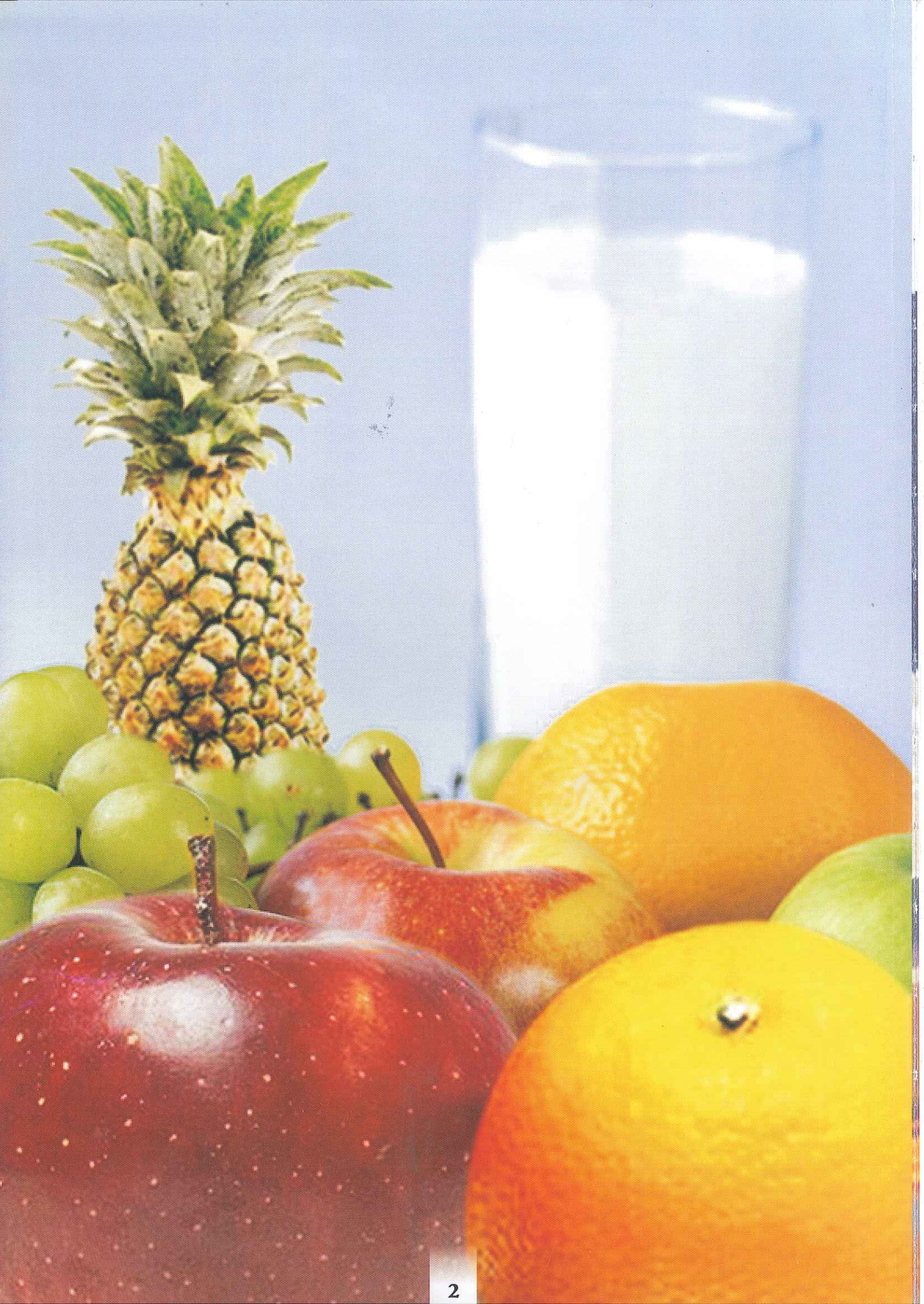

fssai

विषय सूची

पर्यवलोकन	5
संघटन	10
समितियां और पैनल	14
एफएसएसएआई में प्रशासनिक प्रभाग	17
क्रियाकलाप	39
रोडमैप	42
व्यय विवरण	45

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का पर्यवलोकन

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, खाद्य की वस्तुओं के विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों का विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री और आयात विनियमित करने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी ताकि मानव द्वारा खपत के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य सुनिश्चित किया जा सके।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की मुख्य विशिष्टताएं

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उद्देश्य, बहु–स्तरीय, बहु–विभागीय नियंत्रण से हटा कर, प्रभुत्व की एक एकल प्रणाली में लाने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एक एकल संदर्भ स्थान स्थापित करना है। विभिन्न अधिनियम और आदेश जो अब तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधित मुद्दे संचालित करते थे, उन्हें समेकित किया जाएगा। इस प्रकार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रारंभ होने के पश्चात खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973, वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998, विलायक निष्कर्षण तेल, वितैलित अवचूर्ण और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 आदि निरस्त कर दिए जाएंगे।

प्राधिकरण की स्थापना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, एफएसएसएआई का प्रशासनिक मंत्रालय है। 22 सदस्यों के साथ प्राधिकरण की अधिसूचना 5 सितंबर, 2008 को की गई थी। प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, क्रमशः भारत सरकार के सचिव और अपर सचिव के रैंक के हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव **श्री पी.आई. सुवरत्न** को 10 जून, 2008 को एफएसएसएआई का **पहला अध्यक्ष** नियुक्त किया गया है। **श्री जी. बालचन्द्रन,** प्राधिकरण के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और उनके स्थान पर **श्री वी.एन. गौड़** ने प्राधिकरण के **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** के रूप में 10 फरवरी, 2009 (पूर्वाह्न) को पदभार संभाला।

एफडीए भवन का उद्घाटन

प्राधिकरण के कर्त्तव्य और कार्य

एफएसएसएआई को निम्नलिखित कार्य करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 द्वारा अधिदेशाधीन लाया गया था:

- खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करने हेतु विनियम बनाना और इस प्रकार अधिसूचित किए गए विभिन्न मानक लागू करने की समुचित प्रणालियों का विशेष विवरण देना।
- खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाणन में लगे प्रमाणन निकायों की मान्यता हेतु प्रक्रिया–तंत्र और दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने और मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- ऐसे क्षेत्रों, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा और पोषाहार से संबंधित हैं, में नीति और नियम बनाने के मामलों में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- खाद्य उपभोग, जैविक खतरे की घटना और प्रचलन, खाद्य में संदूषकों और खाद्य उत्पादों में विभिन्न संदूषकों के अवशेषों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।
- पूरे देश में एक सूचना नेटवर्क सृजित करना ताकि जनता, उपभोक्ता, पंचायतें आदि खाद्य सुरक्षा और सरोकार के मुद्दों के बारे में त्वरित, विश्वसनीय और वस्तुपरक सूचना प्राप्त कर सकें।
- उन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करना जो खाद्य व्यवसायों में शामिल हैं या शामिल होने की मंशा रखते हैं।
- खाद्य, स्वच्छता और वानस्पतिक स्वच्छता मानकों के अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान करना।
- खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में आम जागरूकता को प्रोत्साहित करना।

प्राधिकरण की बैठक

एफएसएसएआई का संघटन

एफएसएसएआई में एक अध्यक्ष, सदस्य–सचिव और 22 सदस्य हैं, जो निम्नलिखित हैं:

अध्यक्ष

श्री पी.आई. सुवरत्न

सदस्य–सचिव

श्री जी. बालचन्द्रन (9 फरवरी, 2009 तक)

श्री वी.एन. गौड़ (10 फरवरी, 2009 से)

धारा 5(1)(क) के अंतर्गत पदेन सदस्यगण

1. श्रीमती उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव (कृषि)
2. श्री दिनेश शर्मा, संयुक्त सचिव (वाणिज्य)
3. श्री संजय सिंह, संयुक्त सचिव (उपभोक्ता मामले)
4. श्री के. राजेश्वर राव, संयुक्त सचिव (खाद्य प्रसंस्करण)*
5. श्री देबाशीष पांडा, संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य)
6. डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव (विधायी)
7. श्री संजीव कौशल, संयुक्त सचिव (लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय)**

खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि–लघु उद्योग से

8. सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा, अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण एसोसिएशन

बृहत उद्योग से

9. सुश्री इन्द्राणी कर, निदेशक एवं प्रधान, कृषि एवं खाद्य प्रभाग, सीआईआई

उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि

10. श्रीमती वसुंधरा प्रमोद देवधर मुंबई ग्राहक पंचायत
11. श्री बेजों मिश्रा, कार्यकारी निदेशक, उपभोक्ता समन्वय परिषद, नई दिल्ली

तीन प्रतिष्ठित खाद्य प्रौद्योगिकीविद / वैज्ञानिक

12. डॉ. एस. गिरिजा, समेकित मत्स्य परियोजना, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, कोचीन (महिला)
13. डॉ. एन.एन. वार्ष्णेय, सलाहकार, एनडीडीबी, आनंद
14. डॉ. सुश्री इंदिरा चक्रवर्ती, निदेशक, एआईआईएच एवं जन स्वास्थ्य, कोलकाता

राज्यों / संघशासित क्षेत्रों के पांच प्रतिनिधि

15. श्री तपे बागरा, सचिव, स्वास्थ्य, अरुणाचल प्रदेश सरकार

16. डॉ.(श्रीमती) पी. सुचरिता मूर्ति, निदेशक, निवारक औषधि संस्थान, आंध्र प्रदेश
17. डॉ.एस.के. पॉल, उप निदेशक (स्वास्थ्य), अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन
18. श्रीमती नवराज संधु, आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य), हरियाणा सरकार
19. श्री शिव नारायण साहू, उप औषधि नियंत्रक, बिहार सरकार

किसान संगठनों के दो प्रतिनिधि

20. डॉ. (श्रीमती) टी.ए. कादरभाई, अंगूर उत्पादक संघ, पुणे, अंगूर उत्पादक
21. श्री वी. बालासुब्रामणियम, महासचिव, भारतीय झींगा कृषक परिसंघ – समुद्री भोजन / मत्स्य

खुदरा विक्रेता संगठनों का एक प्रतिनिधि

22. श्री गिब्सन जी. वेदमणि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खुदरा विक्रेता संघ, मुंबई

* श्री गौतम सान्याल, संयुक्त सचिव को मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 18 दिसम्बर, 2008 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था और उन्होंने दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को हुई प्राधिकरण की पहली बैठक में भाग लिया।

** श्री के.एस. लुडु, अपर विकास आयुक्त को मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 28 नवम्बर, 2008 को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था और उन्होंने दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को हुई प्राधिकरण की पहली बैठक में भाग लिया।

बायें और ऊपरः– प्राधिकरण के सदस्य विचार –विमर्श करते हुए

समितियां और पैनल

केंद्रीय सलाहकार समिति

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 11 एफएसएसएआई को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह एक समिति गठित कर सकती है, जिसे केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) के रूप में जाना जाएगा। केंद्रीय सलाहकार समिति, कार्यक्रम, कार्य की वरीयता निर्धारित करने, संभावित खतरों और जानकारी के एकत्रीकरण पर प्राधिकरण को सलाह देगी। केंद्रीय सलाहकार समिति में निम्नलिखित के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो–दो सदस्य होंगे:

- खाद्य उद्योग
- कृषि
- उपभोक्ता संगठन
- संबंधित अनुसंधान निकाय
- खाद्य प्रयोगशालाएं

राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त और वैज्ञानिक समिति का अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे।

कृषि, पशुपालन और दुग्ध उद्योग, जीव प्रौद्योगिकी, वाणिज्य मामले, पर्यावरण एवं वन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायती राज, लघु उद्योग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण या सरकारी संस्थानों या संगठनों और सरकारी मान्यताप्राप्त किसान संगठनों में केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिधि, केंद्रीय सलाहकार समिति की चर्चाओं के लिए आमंत्रित व्यक्ति होंगे। एक बार गठित हो जाने के पश्चात इसमें 46 सदस्य होंगे।

प्राधिकरण ने, केंद्रीय सलाहकार समिति के लिए नामांकन आमंत्रित कर लिए हैं और कारोबार चलाने के लिए विनियमावली तथा केंद्रीय सलाहकार समिति की प्रक्रिया के नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। खाद्य प्राधिकरण ने अपनी पहली बैठक में संकल्प पारित किया था कि केंद्रीय सलाहकार समिति से संबंधित विनियमावली के मसौदे को कुछ संशोधनों की शर्त के अधीन अनुमोदित किया जाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियों के साथ–साथ ये संशोधन शामिल किए जा रहे हैं और विनियमावली तैयार की जा रही है। प्राधिकरण, केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

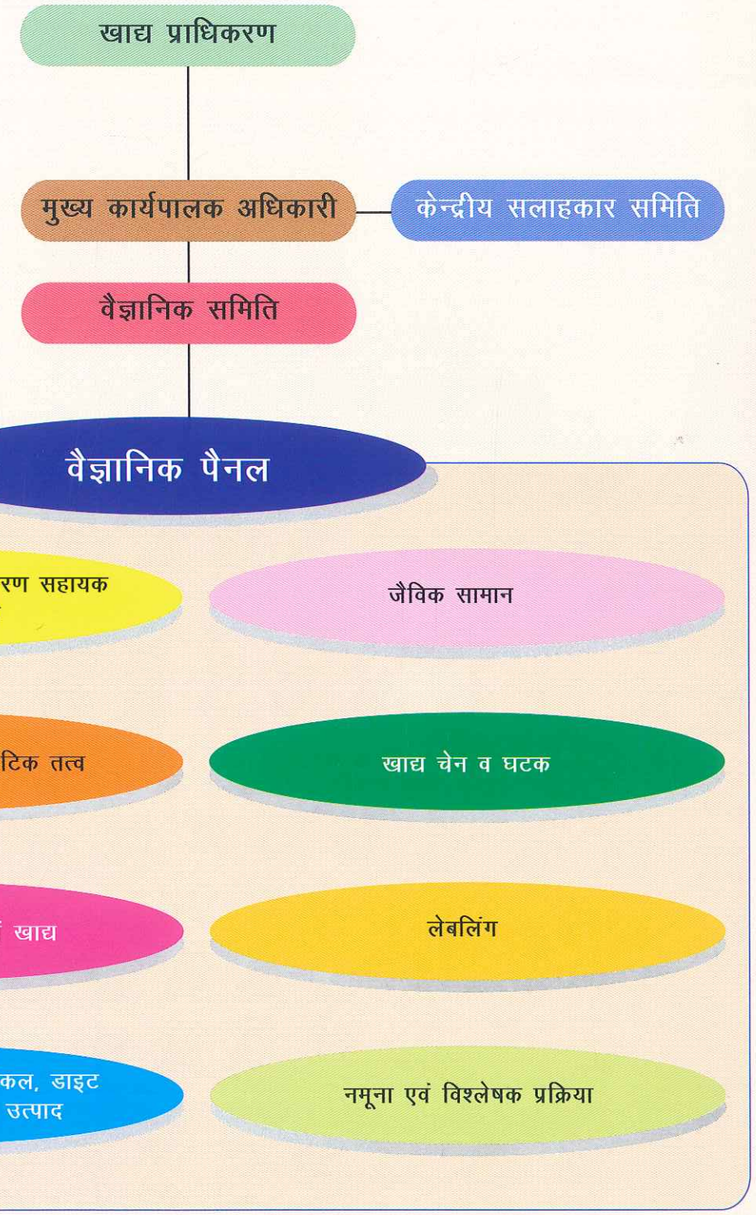

थाइलैंड का प्रतिनिधिमंण्डल

वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 13 और 14 एफएसएसएआई को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह वैज्ञानिक पैनल गठित करे, जिसमें एफएसएसएआई को सलाह तथा वैज्ञानिक राय प्रदान करने के लिए, स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ और वैज्ञानिक समिति हों।

वैज्ञानिक पैनलों में, खाद्य योगात्मक, कीटनाशक और प्रतिजैविक अवशिष्टों, उत्पत्ति संबंधी संशोधित अवयवों और खाद्य पदार्थों, जैविक खतरों, खाद्य श्रृंखलाओं में संदूषकों, लेबल चिपकाने, नमूनाकरण की पद्धतियों आदि जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। यह, जब कभी आवश्यकता होगी, अपनी चर्चाओं में, सुसंगत उद्योग और उपभोक्ता प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा।

स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ और वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष, जो वैज्ञानिक पैनलों के भाग नहीं हैं, वैज्ञानिक समिति में होंगे, जो विज्ञान से संबंधित मामलों पर प्राधिकरण के अंदर मुख्य सलाहकार निकाय होगा। वैज्ञानिक पैनलों में कवर न होने वाले मामलों या बहु–क्षेत्रक प्रभावों के कारण परस्पर व्यापन वाले मामलों पर वैज्ञानिक समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी । एफएसएसएआई ने, वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों से पहले ही प्रस्ताव आमंत्रित कर लिए हैं।

प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के गठन और प्रचालन की प्रक्रिया पर विनियमावली का मसौदा तैयार कर लिया है। खाद्य प्राधिकरण ने अपनी पहली बैठक में संकल्प पारित किया था कि कुछ संशोधनों की शर्त के अधीन विनियमावली का मसौदा अनुमोदित किया जाए।

एफएसएसएआई में प्रशासनिक प्रभाग

1. प्रशासन

संगठनात्मक ढांचा

प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो एफएसएसएआई के दिन–प्रति–दिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इस समय अल्पतम स्टाफ के साथ एक सचिवालय मौजूद है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

सक्रांतिकालीन प्रक्रिया–तंत्र

एफएसएसएआई इस समय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभतः स्वीकृत किए गए पदों के साथ कार्य कर रहा है।

एफएसएसएआई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभतः स्वीकृत पद निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या
1.	अध्यक्ष	01
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अपर सचिव के स्तर का)	01
3.	निदेशक	03
4.	उप निदेशक	06
5.	सहायक निदेशक	06
6.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01
7.	सहायक लेखा अधिकारी	01
8.	वरिष्ठ निजी सचिव	02
9.	निजी सचिव	04
10.	सहायक	10
11.	आशुलिपिक	12
12	चपरासी	03
	कुल	**50**

विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से स्थानांतरित स्टाफ

इसके अलावा, ऐसा विभिन्न स्टाफ, जो प्राधिकरण में कार्य कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों से स्थानांतरित किया गया है, ने अब तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध विभिन्न आदेशों से संबंधित कार्य किए हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 90 में ऐसे विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से कार्मिकों के स्थानांतरण का उपबंध किया गया है, जो ऐसे कार्य संभाल रहे हैं, जो प्राधिकरण को सौंपे गए हैं। तदनुसार, इस धारा के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से सभी संबंधित पदाधिकारियों को एफएसएसएआई में स्थानांरित किया गया है। ये कार्मिक मुख्यतः विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की दूसरी अनुसूची में तथा केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं में सूचीबद्ध किए गए आदेशों को लागू करने के काम में लगे हुए हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए अधिनियम और आदेश

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)
2. फल उत्पाद आदेश, 1955
3. मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973
4. वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947
5. खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियम) आदेश, 1998
6. विलायक निष्कर्षण तेल, वितैलित अवचूर्ण और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967
7. दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992
8. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अंतर्गत जारी किया गया कोई अन्य आदेश

विभिन्न मंत्रालयों से स्थानांतरित किया गया स्टाफ

आदेश / अधिनियम	मंत्रालय / विभाग	एफएसएसएआई में स्थानांतरित पदों की संख्या
एफपीओ	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	76
एमएफपीओ	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	50
पीएफए–मुख्यालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	22
पीएफए–प्रयोगशालाएं	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	160
एमएमपीओ	पशुपालन, दुग्ध उद्योग एवं मत्स्यपालन विभाग	2*
जोड़		**310**

* पशुपालन, दुग्ध उद्योग एवं मत्स्यपालन विभाग ने एमएमपीओ के अंतर्गत 7 पद स्वीकृत किए हैं। तथापि, एमएमपीओ के अंतर्गत केवल दो पद कर्मचारियों सहित स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

पीएफए प्रयोगशालांए

प्रयोगशाला	पदों की संख्या
सीएफएल, कोलकाता	81
एफआरएसएल, गाजियाबाद	51
सीएफएल, मुंबई	18
सीएफएल, सोनौली	05
सीएफएल, रक्सौल	05
जोड़	**160**

** केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मुंबई प्रचालन में नहीं है।

टिप्पणी: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पास तीन आदेशों अर्थात वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947; खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 और विलायक निष्कर्षण तेल, तेल–रहित भोजन एवं खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 के अंतर्गत 13 पद हैं। अब तक ये पद एफएसएसएआई को स्थानांतरित नहीं किए गए हैं।

स्टाफ के स्थानांतरण के पश्चात, पूरे देश में निम्नलिखित स्थानों पर एफएसएसएआई के कार्यालय हैं:

1. दिल्ली	2. मुंबई	3. चैन्नई	4. कोलकाता	5. गुवाहाटी
6. लखनऊ	7. चंडीगढ़	8 सोनौली	9. रक्सौल	10. गाजियाबाद

एफएसएसएआई का नया संगठनात्मक ढांचा और प्रस्तावित प्रशासनिक प्रक्रिया–तंत्र

प्राधिकरण ने अपनी पहली बैठक में प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे का अनुमोदन किया, जिसमें मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोगशालाओं का स्टाफ शामिल है। इस ढांचे का डिजाइन, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार एफएसएसएआई के अधिदेश और खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मुद्दों के बढ़ते हुए दायरे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

सुरक्षा, मानकों, प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रशासन, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। एक बार भारत सरकार से प्रस्तावित पदों के अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर, सृजित पदों को भरने हेतु सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और बाह्य व्यक्तियों से उपयुक्त कार्मिकों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

राज्यों में प्रक्रिया–तंत्र

राज्यों में पीएफए अधिनियम, 1954 का कार्यान्वयन, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित खाद्य आयुक्तों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित 12 राज्य सरकारों ने अपने राज्य खाद्य आयुक्त अधिसूचित कर दिए हैं:

1. गुजरात सरकार	7. त्रिपुरा सरकार
2. केरल सरकार	8. तमिलनाडु सरकार
3. मध्य प्रदेश सरकार	9. पंजाब सरकार
4. नागालैंड सरकार	10. उड़ीसा सरकार
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	11. मेघालय सरकार
6. कर्नाटक सरकार	12. आंध्र प्रदेश सरकार

राज्य खाद्य आयुक्त, खाद्य कानूनों और एफएसएसएआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियों के प्रमुख होंगे। प्राधिकरण, देश में लाई जाने वाली खाद्य मदों को विनियमित और मानीटरन करने के लिए हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सीमाओं और अन्य प्रवेश स्थानों पर कार्मिक नामित करेगा।

II. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

यह अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955, जिसे 1955 में शामिल किया गया था, के साथ खाद्य के अपमिश्रण के निवारण हेतु उपबंध बनाने के लिए 1954 में संसद द्वारा बनाया गया था। मोटे तौर पीएफए अधिनियम में खाद्य मानकों, नमूनाकरण की सामान्य प्रक्रियाओं, खाद्य के विश्लेषण, प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियों, दण्डों के स्वरूप तथा खाद्य से संबंधित अन्य मानदण्डों को शामिल किया गया है। यह खाद्य योगात्मकों, परिरक्षकों, खाद्य पदार्थों में रंग मिलाने के मामलों, खाद्य पदार्थों के पैकिंग करने और लेबल चिपकाने, बिक्रियों के निषेध तथा विनियमन आदि से संबंधित है। एफपीओ की तरह, पीएफए नियमावली में संशोधन, केंद्रीय खाद्य मानक समिति, जिसका गठन केंद्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन किया गया है, की सिफारिश पर शामिल किए जाते हैं। इसमें देश के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से सदस्य हैं। पीएफए अधिनियम के उपबंधों और नियमावली का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का निरस्तीकरण कर दिया जाएगा। नए मानक निर्धारित किए जाने तक पीएफए अधिनियम, 1954 और नियमावली, 1955 की शर्तें और अन्य उपबंध लागू रहने जारी रहेंगे।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 90 के अनुसरण में अधिनियम को प्रशासित करने वाले स्टाफ के साथ–साथ पी एफ ए प्रभाग का कार्य दिसम्बर, 2008 में खाद्य प्राधिकरण को अंतरित कर दिया गया था। पी एफ ए प्रभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के लिये निम्नलिखित

नियमावली और विनियमावली का आरंभिक मसौदा तैयार कर लिया है, जो राज्य सरकारों के परामर्श से आगे संवीक्षा किए जाने की प्रक्रिया में है। नियमावली और विनियमावली का मसौदा निम्नलिखित से संबंधित है :

(i) खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की योग्यता, खाद्य विश्लेषकों की योग्यता, नमूने भेजने की प्रक्रिया, एफएसओ के कार्य, खरीददार द्वारा प्रसंस्करित खाद्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया, खाद्य प्रयोगशालाओं एवं अन्य अधिकारियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया एवं कार्यों से संबंधित खण्ड 5,7,30,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,68,70,71,73,74, 75,76,77,78,81,82,83 एवं 84 के साथ पठित खण्ड 91 के उपखण्ड (2) के उपवाक्य बी से एम में प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में मसौदा नियम

(ii) खण्ड 47 के उपखण्ड (6) के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया और खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य प्रसंस्करण शुल्क का विवरण आदि, कार्य एवं प्रक्रिया से संबंधित एफएसएस अधिनियम 2006 के खण्ड 92(2) के उपवाक्य (क्यू), (आर.) एवं (एस) के अनुसरण में मसौदा नियम

(iii) धारा 31 के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय प्रचालकों के पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया तैयार करना

(iv) राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को प्रचालनात्मक बनाना।

क्र. सं.	समिति	विषय	आयोजित बैठकों की सं.
1.	केन्द्रीय समिति	खाद्य मानक	1
2.	उप–समिति	खाद्य योगज एवं घटक	1
3.	उप–समिति	पोषण, प्रयुक्त विशेष डाइट के लिए खाद्य, शिशु खाद्य	5
4.	उप–समिति	कीटनाशक अवशिष्ट	5
5.	उप–समिति	तेल एव वसा	1
6.	विशेषज्ञ समूह	कॉर्बोनेटेड पानी में कीटनाशक अवशिष्ट के विश्लेषण की प्रक्रिया का पुर्ननिरीक्षण	5

(क) अंतिम अधिसूचनाएं

(i) जीएसआर सं. 114(ड.) दिनांक 28.02.2008 – ताजे फलों में मोम (शेलैक) की कोटिंग

(ii) जीएसआर सं. 206(ड.) दिनांक 25.03.2008 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई खाद्य के विश्लेषण की पद्धतियों की नियम–पुस्तक में निर्धारित की गई विश्लेषण की पद्धतियों को अपनाना।

(iii) जीएसआर सं. 467(ड.) दिनांक 18.06.2008 – जैतून के तेल के बी.आर./ आई.आर. मूल्य का संशोधन।

(iv) जीएसआर सं. 500(ड.) दिनांक 05.07.2008 – पैकेज किए गए पेय जल के मानकों का संशोधन।

(v) जीएसआर सं. 664(ड.) दिनांक 19.09.2008 – खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने संबंधी उपबंध का संशोधन।

(vi) जीएसआर सं. 754(ड.) दिनांक 27.10.2008 – चावल–भूसी तेल के मानकों का संशोधन।

(ख) अधिसूचनाओं का मसौदा

(i) जीएसआर सं. 106(ड.) दिनांक 25.02.2008 – चावल–भूसी तेल के मानकों का संशोधन।

(ii) जीएसआर सं. 208(ड.) दिनांक 25.03.2008 – दुग्ध उत्पादों के मानकों का संशोधन, जिनमें सूक्ष्मजीव–विज्ञान संबंधी मापदंडों सहित कुछ खाद्य योगात्मकों की अनुमति दी गई है और चक्का तथा श्रीखंड के मानकों का संशोधन।

(iii) जीएसआर सं. 380(ड.) दिनांक 15.05.2008 – खाद्य पदार्थों के लेबल चिपकाने संबंधी उपबंधों का संशोधन।

(iv) जीएसआर सं. 498(ड.) दिनांक 05.07.2008 – कार्बनयुक्त जल में कीटनाशक अवशेषों के एमआरएल।

(v) जीएसआर सं. 524(ड.) दिनांक 15.07.2008 – खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों के एम.आर.एल.

(vi) जीएसआर सं. 871(ड.) दिनांक 23.12.2008 – फल उत्पादों के मानकों का संशोधन।

(vii) जीएसआर सं. 42(ड.) दिनांक 22.01.2009 – भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशनों के अनुरूप खाद्य योगात्मकों की बिक्री।

(viii) जीएसआर सं. 43(ड.) दिनांक 22.01.2009 – खाद्य पदार्थों में पोलयोल्स, फल पेय पदार्थों/ फल सुपेय पदार्थों और एस्पार्टेम में एसएचएमपी, कुछ खाद्य पदार्थों में एस्कुलफेम पोटाशियम और सुकरालोज का इस्तेमाल

(ix) जीएसआर सं. 44(ड.) दिनांक 22.01.2009 – विश्लेषण के लिए कुछ खाद्य पदार्थों के नमूनों की मात्रा में वृद्धि करना।

पीएफए अधिनियम {राज्य/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों, उनके खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों,स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों और स्थानीय निकायोंद्वारा कार्यान्वित किए गए नियम} पीएफए नियमावली (नियम 50) के अंतर्गत राज्य/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए लाइसेंस प्रदान करनेवाले प्राधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे खाद्य व्यवसाय प्रचालकों को लाइसेंस जारी कर सकें। पीएफए से संबंधित न्यायालय में लंबित मामलों की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध–'क' पर लगा है।

पोषण स्तर को दर्शाता वर्गीकरण

पोषण सूचना	
ऊर्जा	xxxx
कार्बोहाइड्रेट	xxxx
चीनी	xxx
प्रोटीन	xiixx
वसा, परिष्कृत वसा	xxxx
एमयूएफए, पीयूएफए, ट्रांस फैट	xxx
केलोस्ट्रोल	xiix
सोडियम	iixxi
पोटेशियम	xxxx

खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद (उ.प्र)

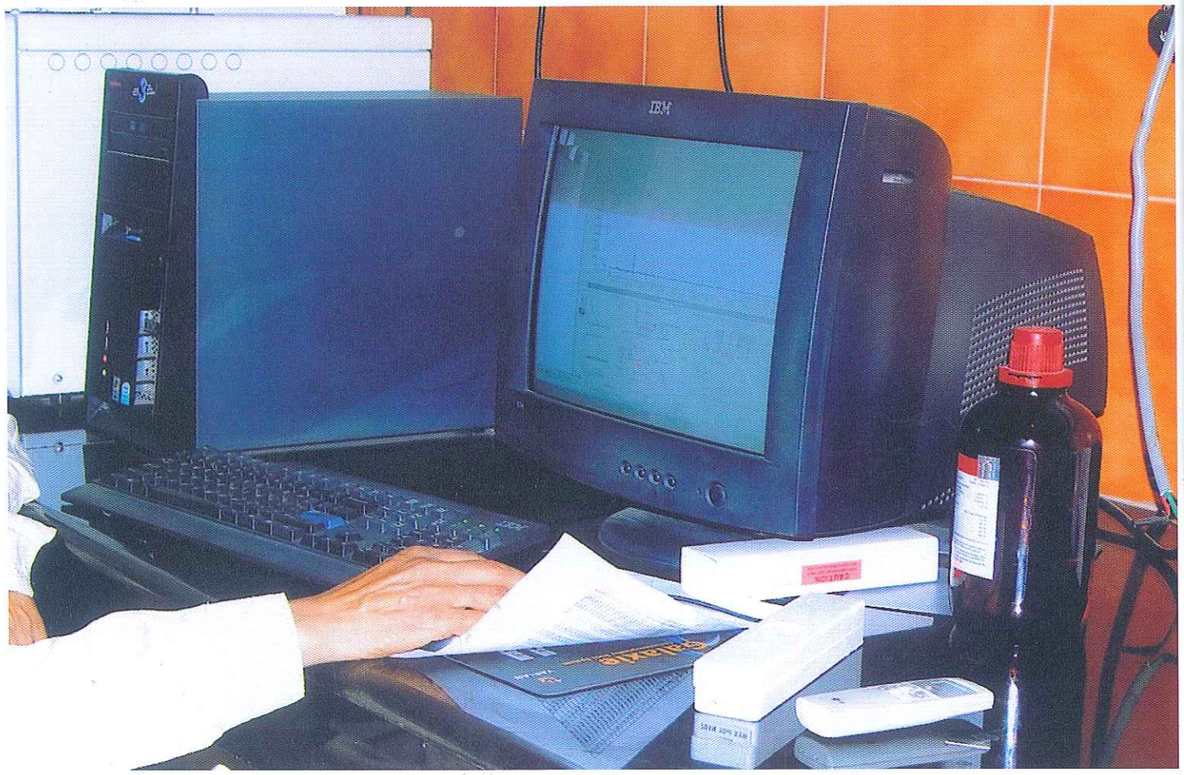

अनुबंध–'क'

देश में विभिन्न राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में दिनांक 31 दिसम्बर 2006* को यथास्थिति न्यायालयों में लंबित पीएफए से संबंधित मामलों की संख्या से संबंधित सूचना

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	दिनांक 31.12.2006 को यथास्थिति न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3494
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	474
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं
5.	गोवा	77
6.	गुजरात	4415
7.	हरियाणा	3833
8.	हिमाचल प्रदेश	501
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5502
10.	कर्नाटक	351
11.	केरल	उपलब्ध नहीं
12.	मध्य प्रदेश	8947
13.	महाराष्ट्र	8871
14.	मणिपुर	0
15.	मेघालय	110
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	02
18.	उड़ीसा	1266
19.	पंजाब	1388
20.	राजस्थान	उपलब्ध नहीं
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	2205
23.	त्रिपुरा	20
24.	उत्तर प्रदेश	19555
25.	पश्चिम बंगाल	1612
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0
27.	चंडीगढ़	1082
28.	दादर एवं नगर हवेली	19
29.	दमन और दीव	0
30.	दिल्ली	उपलब्ध नहीं
31.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं
32.	पांडिचेरी	17
33.	छत्तीसगढ़	1608
34.	झारखंड	0
35.	उत्तराखण्ड	466
	कुल	**66911**

* राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों से अगली रिपोर्टें आने की प्रतीक्षा है।

खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद

खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद की स्थापना, अपमिश्रण की जांच करने तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा शुद्धता निर्धारित करने के उद्देश्य से बाजार से लिए गए खाद्य नमूनों का विश्लेषण करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन 1971 में की गई थी।

यह प्रयोगशाला खाद्य नमूनों के अपमिश्रण की जांच करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अपीलीय प्रयोगशाला (केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला) के रूप में काम कर रही है।

दिनांक 28 अगस्त 2002 से नमूने प्राप्त करने हेतु निर्धारित क्षेत्र

निम्नलिखित राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के माननीय न्यायालय – बिहार, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा पांडिचेरी का संघशासित क्षेत्र।

निम्नलिखित संघशासित क्षेत्रों/ राज्यों में सभी बंदरगाह/ हवाई अड्डे/ अंतर्देशी कंटेनर डिपो:

चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड।

निम्नलिखित राज्यों में सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं – हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड।

इस प्रयोगशाला के अलावा कोलकाता, मुंबई, सोनौली और रक्सोल में स्थित अन्य केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं भी हैं। सोनौली और रक्सोल भारत–नेपाल सीमा पर स्थित हैं। मुंबई की प्रयोगशाला को अभी कार्यात्मक बनाया जाना है।

केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता

केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता की स्थापना पूरे देश से बाजार से विचारण न्यायालयों से खाद्य नमूनों का विश्लेषण करने और खाद्य की गुणवत्ता तथा शुद्धता निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के मानक निर्धारित करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं.पीएफए/अनुभाग 4/एफ.11–4/55–डी(1) दिनांक 01 जून, 1955 के अंतर्गत महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण भवन, नई दिल्ली के अधीन 1955 में की गई थी। आरंभतः, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, सी.आर. एवेन्यू, कोलकाता – 700012 के परिसर में की गई थी। बाद में इसे 3–केवाईडी स्ट्रीट, कोलकाता–700016 में स्थित अपने भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में स्वदेशीय और आयातित दोनों प्रकार के खाद्य की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस बात का निरंतर प्रयास किया गया है कि इस प्रयोगशाला को सर्वोत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाए और इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एनएबीएल से मान्यता की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है तथा अंतिम मूल्यांकन के लिए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

दिनांक 28 अगस्त, 2002 से नमूने प्राप्त करने हेतु निर्धारित क्षेत्र

निम्नलिखित राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के माननीय न्यायालय – अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के संघशासित क्षेत्र।

निम्नलिखित संघशासित क्षेत्रों/ राज्यों में सभी बंदरगाह/ हवाई अड्डे/ अंतर्देशीय कंटेनर डिपोः

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल।

निम्नलिखित राज्यों में सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं – अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

वर्ष 2007 के दौरान चार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए गए और अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या के ब्योरे

केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला का नाम	पीएफए अधिनियम की धारा 13 (2क), 13 (2ख) के अंतर्गत विचारण न्यायलयों से प्राप्त		सीमाशुल्क, न्यायालय स्वास्थ्य अधिकारियों, सरकारी विभाग से प्राप्त और पीएफए अधिनियम से असंबंधित विशेष नमूने		जांच–पड़ताल वाले नमूने और सहयोगात्मक अध्ययनों वाले नमूने		कुल	
	विश्लेषण किए गए	अपमिश्रित	विश्लेषण किए गए	अपमिश्रित	विश्लेषण किए गए	अपमिश्रित	विश्लेषण किए गए	अपमिश्रित
सीएफएल,पुणे	613	430	250	06	01	0	864	436
सीएफएल,कोलकाता	25	11	3149	143	73	0	3247	154
एफआरएसएल गाजियाबाद	72	64	608	243	0	0	680	307
सीएफटीआरआई, मैसूर	517	336	1132	172	0	0	1649	508

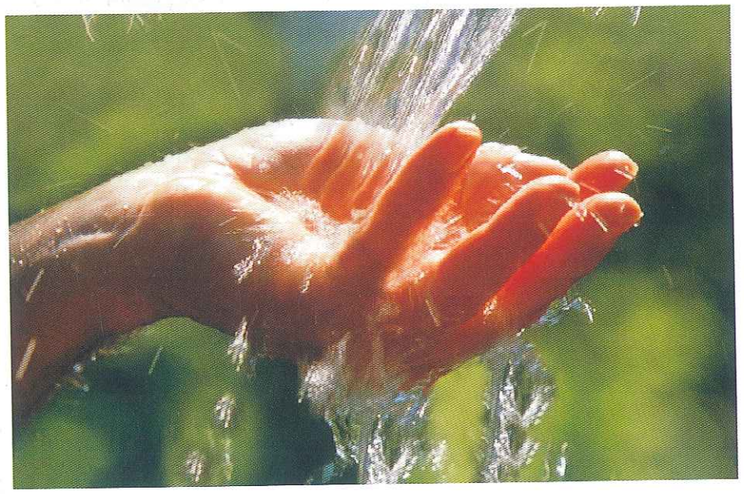

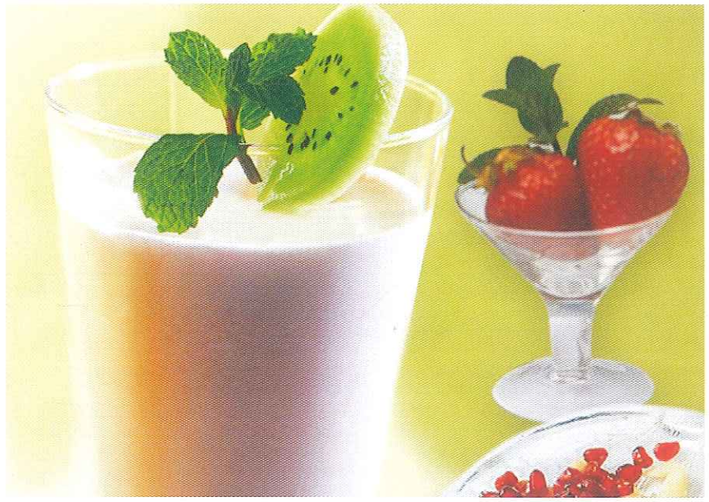

III. फल उत्पाद आदेश (एफपीओ), 1955

फल उत्पाद आदेश (एफपीओ), 1955 कारखाने के परिसरों में सफाई और स्वच्छता दशाओं में फल एवं सब्जी उत्पादों के विनिर्माण तथा इस आदेश में निर्धारित किए गए गुणवत्ता संबंधी मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत प्रख्यापित किया गया था। लाइसेंस प्राप्त करने हेतु मीठे वातित जल, गैर–फल सिरप और गैर–फल सिरका आदि जैसे कुछ गैर–फल उत्पादों सहित फल और सब्जी उत्पादों के सभी विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे इस आदेश के अंतर्गत कोई लाइसेंस प्राप्त करें। यह लाइसेंस यह सुनिश्चित करने के पश्चात स्वीकृत किया जाता है कि एफपीओ के अंतर्गत निधारित की गई सफाई तथा स्वच्छता तथा अन्य शर्तें पूरी कर दी गई हैं। विनिर्माण परिसरों में कुछ मूलभूत शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. कारखाने का खुला और स्वच्छ परिवेश
2. अहातों की साफ एवं स्वच्छ स्थितियां
3. वैयक्तिक स्वच्छता
4. पेय जल की उपलब्धता
5. अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर की स्थापना
6. गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा एवं तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था

एफ पी ओ के अंतर्गत निर्धारित किए गए उत्पादों और अभिरक्षकों की सीमाओं, विषाक्त धातुओं और अन्य योगात्मकों आदि के न्यूनतम मानक हैं।

उत्तरी क्षेत्र के अधीन फल एवं सब्जी परीक्षण निदेशालय के दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और गुवाहाटी स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालय और लखनऊ स्थित एक उप–कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालयों के फील्ड अधिकारी कारखानों में स्वच्छ दशाओं का रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु विनिर्माण इकाइयों के समय–समय पर निरीक्षण करते हैं और कारखानों तथा बाजार से उत्पादों के यादृच्छिक नमूने लेते हैं, जिनका विश्लेषण एफपीओ के अंतर्गत निर्धारित किए गए विनिर्देशनों के अनुसार उनकी अनुरूपता की जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं में किया जाता है।

केंद्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति, जिसमें संबंधित सरकारी विभागों के पदाधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग तथा उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि होते हैं, जो फल उत्पाद आदेश, 1955 में संशोधनों की सिफारिश करते हैं।

वर्ष 2008–09 के दौरान एफ एंड वीपी प्रभाग से संबंधित मुख्य क्रियाकलापों के सांख्यिकीय आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

1. वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या 469
2. दिनांक 31.03.2009 को यथास्थिति लाइसेंसों की कुल संख्या 6483
3. दिनांक 31.03.2009 को यथास्थिति संस्थापित क्षमता (एमटी):
   - क) फल एवं सब्जी उत्पाद 3223103
   - ख) मीठा वातित जल 5874350
4. वर्ष 2008 के दौरान कुल उत्पादन (एमटी):
   - क) फल एवं सब्जी उत्पाद 1373586
   - ख) गैर–फल उत्पाद (एसएडब्ल्यू के अलावा) 23453
   - ग) मीठा वातित जल 2707874
5. वर्ष 2008 के दौरान फल एवं सब्जी उत्पादों का विनिर्माण करने में उपयोग की गई फलों एवं सब्जियों की कुल मात्रा (एमटी)
   - क) फल 1201695
   - ख) सब्जियां 1099871

दिनांक 31.03.2009 को यथास्थिति क्षेत्र एवं राज्य–वार लाइसेंसों की संख्या, संस्थापित क्षमता, विनिर्मित उत्पादों की मात्रा तथा मूल्य और 2008 के दौरान उपयोग किए गए फल और सब्जियां अनुबंध "ख", "ग", "घ", "ड.", "च", "छ", "ज" में दिए गए हैं।

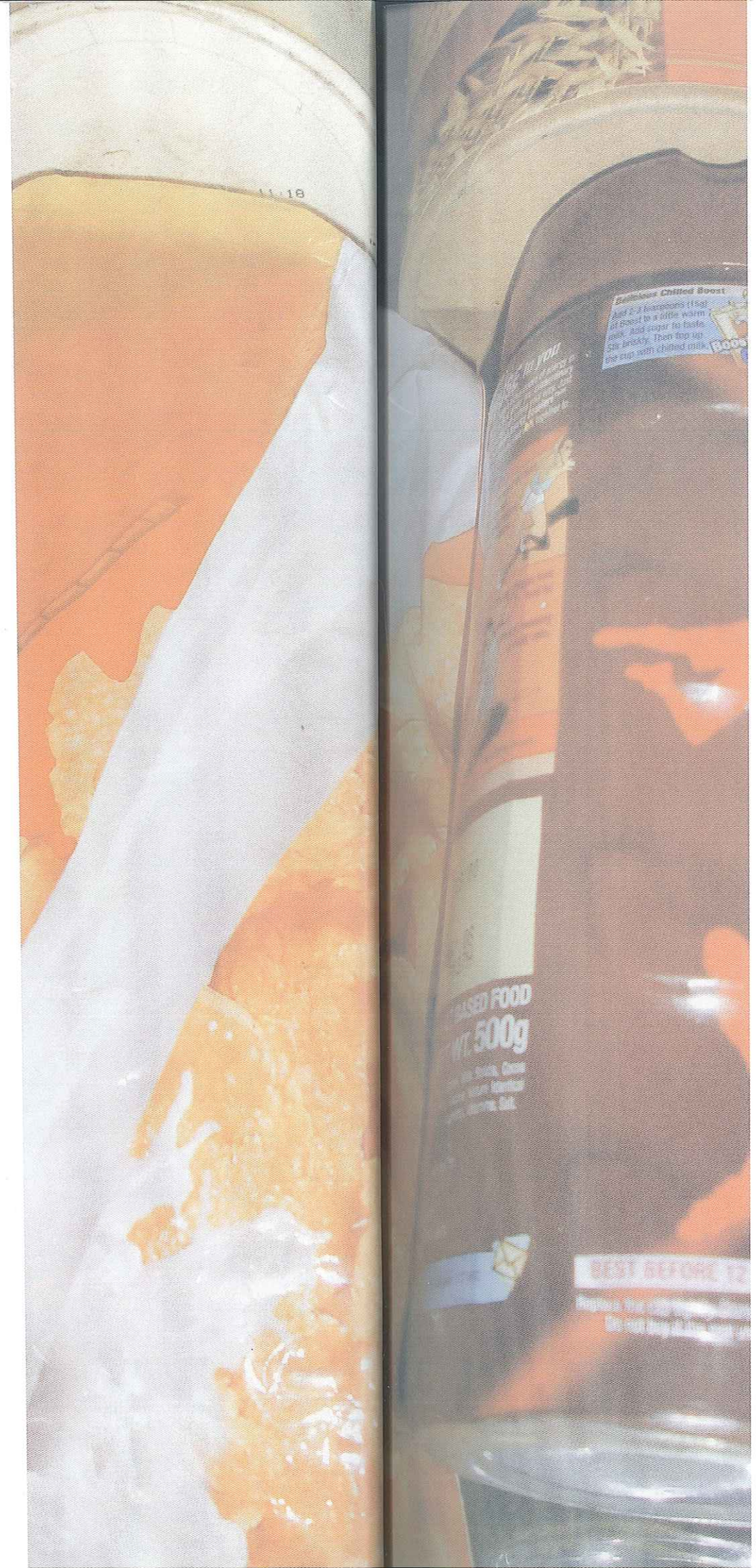

fssai

अनुबंध–ख

वर्ष 2008–09 के दौरान स्वीकृत किए गए लाइसेंसों की क्षेत्र–वार संख्या और दिनांक 01.04.2009 को यथास्थिति लाइसेंसों की कुल संख्या

क्षेत्र	वर्ष 2008–09 के दौरान स्वीकृत किए गए लाइसेंस	दिनांक 01.04.2009 को यथास्थिति कुल लाइसेंस
उत्तरी क्षेत्र	170	2003
पश्चिमी क्षेत्र	98	1970
दक्षिणी क्षेत्र	156	1948
पूर्वी क्षेत्र	32	463
पूर्वोत्तर क्षेत्र	13	99
कुल	**469**	**6483**

अनुबंध–ग

वर्ष 2008 के दौरान फल उत्पादों, गैर फल उत्पादों और मीठे वातित जल (एसएडब्ल्यू) का क्षेत्र–वार उत्पादन और मूल्य

क्षेत्र	फल उत्पाद		गैर–फल उत्पाद		मीठा वातित जल (एसएडब्ल्यू)	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रु. में)
उत्तरी क्षेत्र	298978	1,21,626	15089	11,869	1257400	2,58,291
दक्षिणी क्षेत्र	696418	2,64,515	3596	1,313	647110	1,87,025
पश्चिमी क्षेत्र	304862	1,70,500	3584	2,157	437282	1,33,660
पूर्वी क्षेत्र	62026	18,071	1110	642	341052	62,142
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11302	3,737	74	20	25030	7,563
कुल	**1373586**	**5,78,449**	**23453**	**16,001**	**2707874**	**6,48,681**

अनुबंध–घ

दिनांक 31.03.2009 को यथास्थिति क्षेत्र–वार संस्थापित क्षमता

क्षेत्र	फल एवं सब्जी उत्पाद (एफ एंड वी.पी.)	एसएडब्ल्यू
पूर्वी क्षेत्र	146140	330904
पूर्वोत्तर क्षेत्र	32495	27000
उत्तरी क्षेत्र	827970	3594630
दक्षिणी क्षेत्र	1687448	1179736
पश्चिमी क्षेत्र	529050	742080
कुल	**3223103**	**5874350**

अनुबंध–ड.

दिनांक 31.03.2009 को यथास्थिति भारत में एफपीओ लाइसेंसों की क्षेत्र–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	फल एवं सब्जी उत्पाद (एफ एंड वी.वी.)	मीठा वातित जल (एसडब्ल्यूए)	जोड़
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	4	6
2.	आंध्र प्रदेश	304	42	346
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2
4.	असम	46	4	50
5.	बिहार	43	5	48
6.	चंडीगढ़	10	2	12
7.	छत्तीसगढ़	6	20	26
8.	दादर एवं नगर हवेली	7	4	11
9.	दिल्ली	213	50	263
10.	गोवा	42	66	108
11.	गुजरात	318	166	484
12.	हरियाणा	172	144	316
13.	हिमाचल प्रदेश	120	9	129
14.	जम्मू एवं कश्मीर	77	5	82
15.	झारखंड	28	3	31
16.	कर्नाटक	330	100	430
17.	केरल	454	63	517
18.	लक्षद्वीप समूह	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	113	27	140
20.	महाराष्ट्र	1055	146	1201
21.	मणिपुर	15	0	15
22.	मेघालय	11	1	12
23.	मिजोरम	3	0	3
24.	नागालैंड	6	1	7
25.	उड़ीसा	20	19	39
26.	पांडिचेरी	9	13	22
27.	पंजाब	233	79	312
28.	राजस्थान	107	106	213
29.	सिक्किम	4	0	4
30.	तमिलनाडु	555	78	633
31.	त्रिपुरा	6	0	6
32.	उत्तर प्रदेश	493	48	541
33.	उत्तराखंड	134	1	135
34.	पश्चिम बंगाल	314	25	339
	सकल जोड़	**5252**	**1231**	**6483**

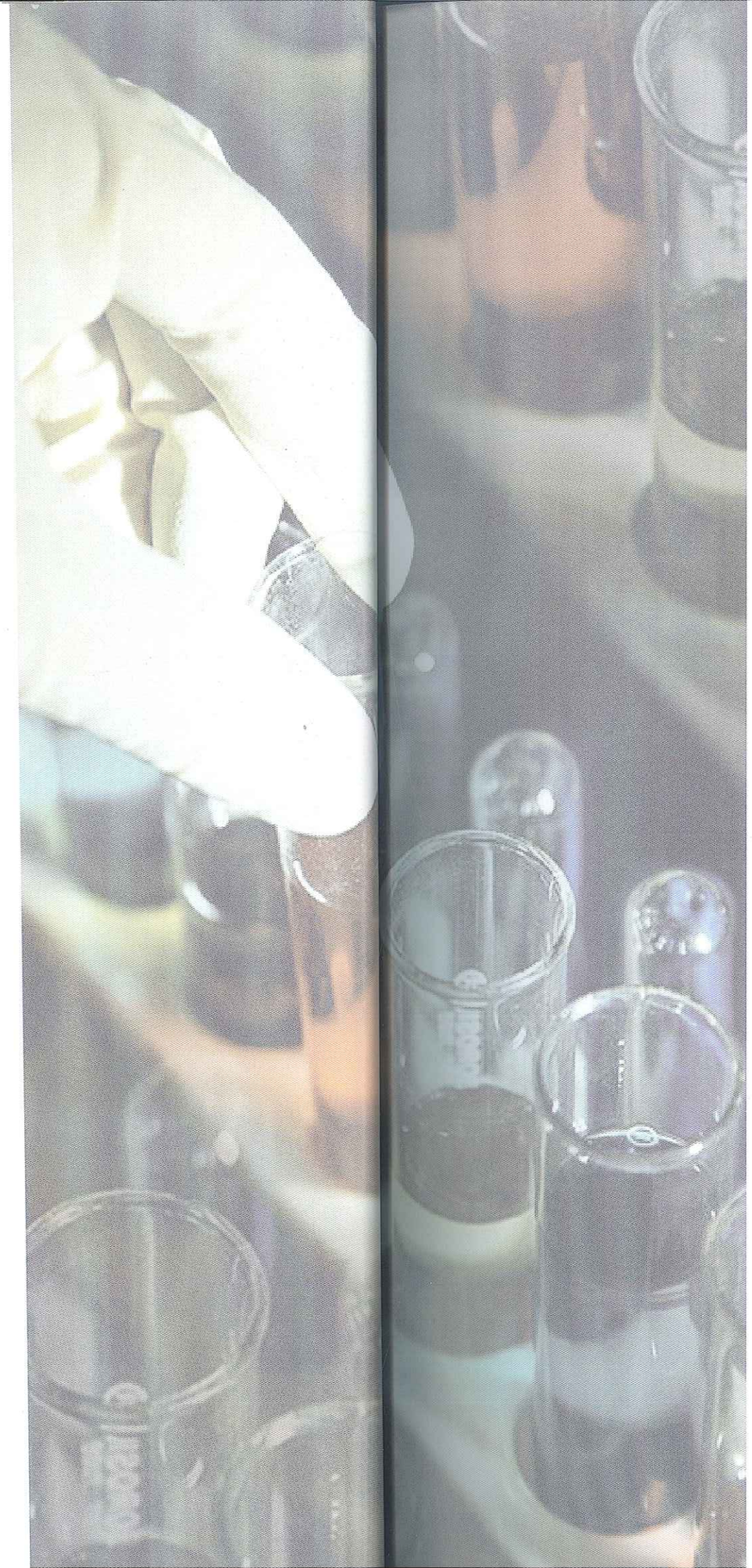

अनुबंध–च

दिनांक 31.03.2009 को यथास्थिति फल एवं सब्जी उत्पादों तथा मीठे वातित जल का विनिर्माण करने के लिए एफपीओ के लाइसेंसधारियों की राज्य–वार कुल संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	राज्य	फल एवं सब्जी उत्पाद (एफ एंड वी.वी.) (एमटी)	मीठा वातित जल एसडब्ल्यूए) (एमटी)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	150	310
2.	आंध्र प्रदेश	801608	499024
3.	अरुणाचल प्रदेश	60	00
4.	असम	20120	14500
5.	बिहार	16490	60310
6.	चंडीगढ़	4630	30050
7.	छत्तीसगढ़	6220	9850
8.	दादर एवं नगर हवेली	1030	12250
9.	दिल्ली	32030	728000
10.	गोवा	8090	58090
11.	गुजरात	155100	114260
12.	हरियाणा	115910	174310
13.	हिमाचल प्रदेश	93485	48760
14.	जम्मू एवं कश्मीर	19760	66650
15.	झारखंड	6750	52984
16.	कर्नाटक	406984	362502
17.	केरल	41920	91134
18.	लक्षद्वीप समूह	00	00
19.	मध्य प्रदेश	47940	65280
20.	महाराष्ट्र	308860	482350
21.	मणिपुर	5010	00
22.	मेघालय	2280	9500
23.	मिजोरम	885	00
24.	नागालैंड	1860	3000
25.	उड़ीसा	26420	78300
26.	पांडिचेरी	6920	450
27.	पंजाब	305480	252690
28.	राजस्थान	30130	199290
29.	सिक्किम	820	00
30.	तमिलनाडु	430016	226626
31.	त्रिपुरा	3270	00
32.	उत्तर प्रदेश	189465	2044480
33.	उत्तराखंड	37080	50400
34.	पश्चिम बंगाल	96330	139000
	सकल जोड़	3223103	5874350

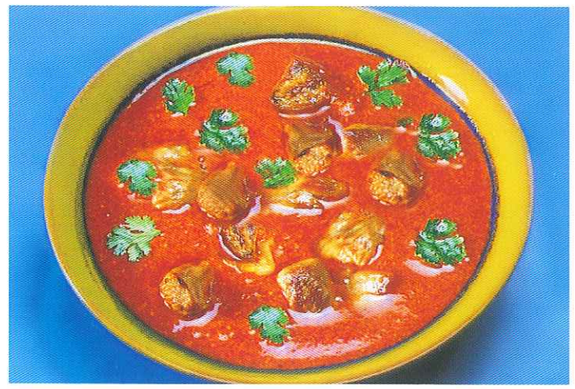

अनुबंध–छ

कैलेंडर वर्ष 2008 के दौरान विनिर्मित फल उत्पादों, गैर–फल उत्पादों और मीठे वातित जल की राज्य–वार मात्रा और मूल्य

क्र.स.	राज्य	फल उत्पाद		गैर–फल उत्पाद (एसएडब्ल्यू के अलावा)		मीठा वातित जल (एसएडब्ल्यू)	
		मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रु)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रु)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रु)
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	00	00	00	00	55	15
2.	आंध्र प्रदेश	240992	105295	109	19	323482	91284
3.	अरुणाचल प्रदेश	00	00	00	00	00	00
4.	असम	9845	3193	74	20	14559	3924
5.	बिहार	4036	1571	4	1	26634	6528
6.	चंडीगढ़	2357	1003	45	4	27021	3514
7.	छत्तीसगढ़	1	00	00	00	2937	621
8.	दादर एवं नगर हवेली	210	375	00	00	96	6
9.	दिल्ली	25289	9271	319	156	54729	10563
10.	गोवा	8688	8019	33	4	15110	4657
11.	गुजरात	51385	27909	275	78	98114	30939
12.	हरियाणा	39404	12726	6838	6188	160265	33656
13.	हिमाचल प्रदेश	13910	6719	182	58	1254	238
14.	जम्मू एवं कश्मीर	3310	1622	216	132	117585	25869
15.	झारखंड	6938	2171	4	1	13783	3646
16.	कर्नाटक	215892	80367	800	891	174671	51834
17.	केरल	12565	7675	418	68	56141	16120?
18.	लक्षद्वीप समूह	00	00	00	00	00	00
19.	महाराष्ट्र	205158	119850	2578	1060	290344	92352
20.	मणिपुर	363	128	00	00	00	00
21.	मेघालय	59	40	00	00	10367	3615
22.	मिजोरम	63	16	00	00	00	00
23.	मध्य प्रदेश	39419	14347	699	1016	30683	5086
24.	नागालैंड	148	54	00	00	103	24
25.	उड़ीसा	6434	1918	24	3	132460	28137
26.	पांडिचेरी	4433	1988	20	15	83	10
27.	पंजाब	38377	19498	649	202	122535	29228
28.	राजस्थान	41758	12743	1204	293	83551	30236
29.	सिक्किम	282	119	00	00	00	00
30.	तमिलनाडु	222536	69190	2249	320	92735	27776
31.	त्रिपुरा	542	187	00	00	00	00
32.	उत्तर प्रदेश	118918	49087	4620	4046	662523	116446
33.	उत्तराखंड	15657	8958	1015	789	27935	8541
34.	पश्चिम बंगाल	44617	12410	1078	637	168119	23816
	जोड़	1373586	578449	23453	16001	2707874	648681

अनुबंध–ज

31.03.2009 को यथास्थिति फल और सब्जी का राज्य–वार उपयोग

क्र.सं.	राज्य	प्रयुक्त फल (किलोग्राम)	प्रयुक्त सब्जी (किलोग्राम)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	72	125
2.	आंध्र प्रदेश	434226245	45592140
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	7328195	9346395
5.	बिहार	4462864	792298
6.	चंडीगढ़	707162	329990
7.	छत्तीसगढ़	1477	0
8.	दादर एवं नगर हवेली	336480	0
9.	दिल्ली	6875993	38992330
10.	गोवा	317796	14499232
11.	गुजरात	25971981	265711774
12.	हरियाणा	12078169	25834345
13.	हिमाचल प्रदेश	16932044	14224441
14.	जम्मू एवं कश्मीर	7651240	909078
15.	झारखंड	6070523	4699088
16.	कर्नाटक	87604568	198837953
17.	केरल	6338382	11955225
18.	लक्षद्वीप समूह	0	0
19.	मध्य प्रदेश	14169921	15231563
20.	महाराष्ट्र	162080506	172560650
21.	मणिपुर	412173	53175
22.	मेघालय	62782	17093
23.	मिजोरम	75355	0
24.	नागालैंड	134524	89760
25.	उड़ीसा	7536992	384335
26.	पांडिचेरी	8413	3293449
27.	पंजाब	30034946	74462320
28.	राजस्थान	8028253	44251580
29.	सिक्किम	293878	94228
30.	तमिलनाडु	272123761	48693824
31.	त्रिपुरा	611523	80355
32.	उत्तर प्रदेश	41561134	60643745
33.	उत्तराखंड	3228484	29310875
34.	पश्चिम बंगाल	44429639	18979930
	सकल जोड़	**1201695475**	**1099871296**
		(1201695 एमटी)	**(1099871 एमटी)**

IV. मांस खाद्य उत्पाद आदेश (एमएफपीओ), 1973

मांस और मांस उत्पादों की खपत तथा इन उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की वरियता में धीरे–धीरे वृद्धि हो रही है। मांस और मांस प्रोसेसिंग सेक्टर में मुर्गा मांस भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ पशु प्रोटीन है। मांस उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत 2000 में 870 ग्राम से बढ़कर 2005 में लगभग 1.68 किलोग्राम हो गई है। 2009 में इसके बढ़कर 2 किलोग्राम हो जाने की संभावना है।

भारतीय उपभोक्ता प्रोसेस किए हुए या फ्रोज़न मांस की तुलना में वेट बाज़ार से ताजा मांस खरीदने को वरियता देते हैं। मुर्गा मांस के उत्पादन का केवल 6 प्रतिशत (लगभग 100,000 एमटी) मांस प्रोसेस्ड रूप में बेचा जाता है। इसमें से केवल लगभग एक प्रतिशत मूल्यवृद्धित उत्पादों (खाने के लिए तैयार/ पकाने के लिए तैयार) में प्रोसेस किया जाता है। बड़े पशुओं के मांस की प्रोसेसिंग मुख्यतः निर्यातों के उद्देश्य से की जाती है।

मांस और मांस उत्पादों का स्वरूप अत्यधिक नष्टशील होता है और यह पशुओं से मनुष्यों में रोग संचारित कर सकता है। मांस उत्पादों की प्रोसेसिंग मांस खाद्य उत्पाद आदेश (एमएफपीओ), 1973 के अंतर्गत लाइसेंसशुदा होती है, जो विपणन निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय से अंतरित हो जाने के पश्चात दिनांक 19 मार्च, 2004 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 2 दिसम्बर, 2008 से एमएफपीओ के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

एमएफपीओ, 1973 के मुख्य उद्देश्य विनिर्माताओं की लाइसेंसिंग के माध्यम से मांस खाद्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को विनियमित करना, पौष्टिक मांस खाद्य उत्पादों के उत्पादन के लिए निर्धारित की गई सफाई और स्वच्छता की शर्तें लागू करना, मांस खाद्य उत्पादों, मछली उत्पादों, जिसमें शीतित मुर्गे आदि शामिल हैं, के उत्पादन के सभी चरणों में पूरी तरह गुणवत्ता नियंत्रण रखना है।

एमएफपीओ के उपबंधों के अंतर्गत बिक्री के लिए मांस खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, पैकिंग, पुनः पैकिंग, पुनः लेबल चिपकाने के व्यवसाय में लगे मांस खाद्य उत्पादों के सभी विनिर्माताओं को लाइसेंस प्रदान किया जाता है, उन विनिर्माताओं को छोड़कर, जो रेस्टोरेंट, होटल, बोर्डिंग हाउस, स्नैक बार, भोजनालय या इसी प्रकार के किसी अन्य प्रतिष्ठान जैसे स्थानों पर खपत के लिए इन उत्पादों का विनिर्माण करते हैं।

मांस के स्रोत पर निर्भर करते हुए, विनिर्माताओं को क, ख और ग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। इस समय, दिनांक 1 अप्रैल, 2009 को यथास्थिति एमएफपीओ के अंतर्गत 279 इकाइयां लाइसेंसशुदा हैं। क्षेत्र–वार ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

क्षेत्र	श्रेणी क	श्रेणी ख	श्रेणी ग	कुल
पश्चिमी क्षेत्र	11	32	43	86
दक्षिणी क्षेत्र	12	37	35	84
उत्तरी क्षेत्र	9	33	39	81
पूर्वी क्षेत्र	7	6	15	28
कुल	**39**	**108**	**132**	**279**

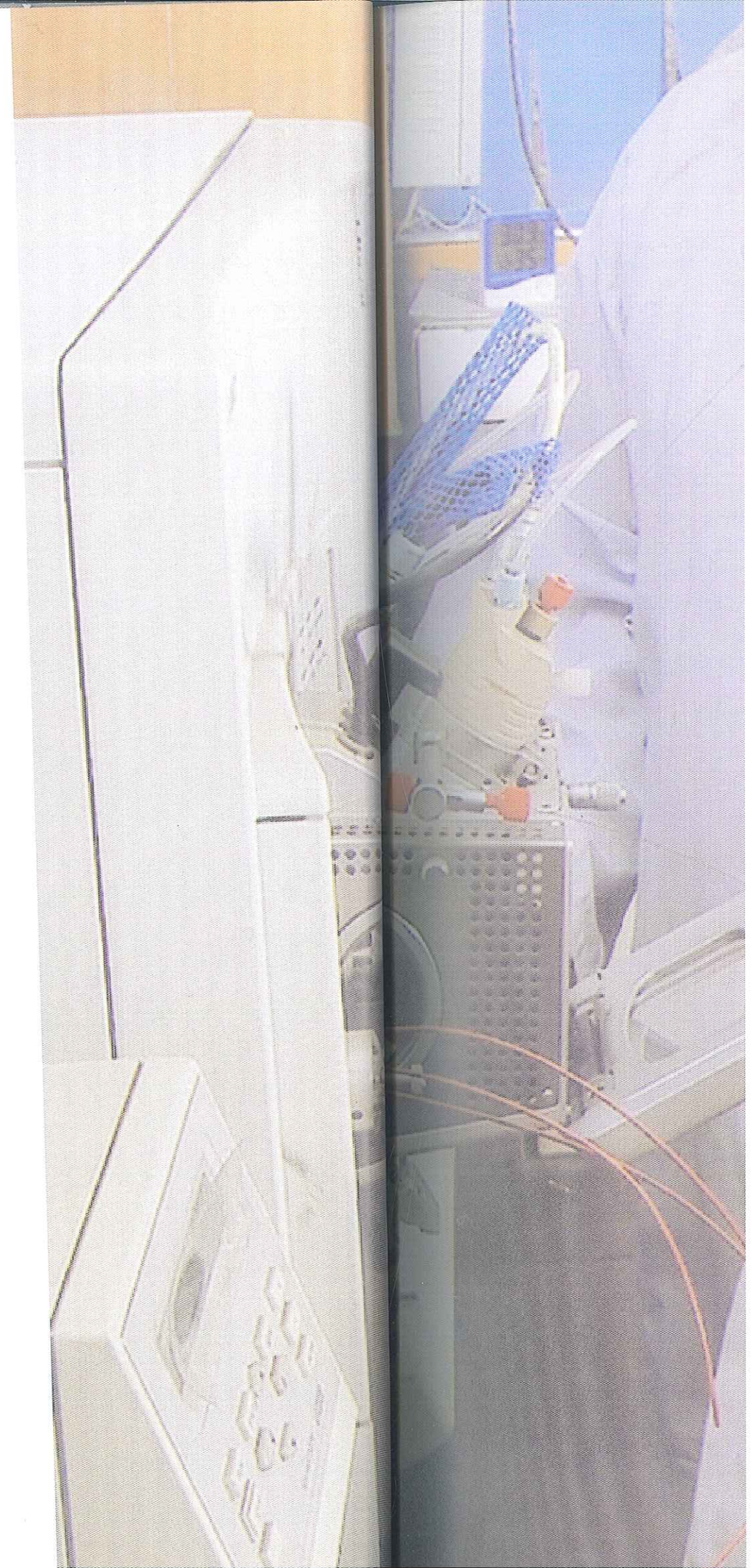

मांस के उत्पादन का नियंत्रण स्थानीय उप–नियमों के अंतर्गत किया जाता है क्योंकि पशुओं का वध राज्य सरकार का विषय है और बूचड़खाने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। वर्तमान मांस उत्पादन के लगभग 1.9 मिलियन एमटी होने की संभावना है, जिसमें से लगभग 21 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है।

भारत 500,000 एमटी से अधिक मांस का निर्यात करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भैंसों के मांस का है। भारतीय भैंसों के मांस की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सबसे अधिक मांग देखी गई है क्योंकि इसमें चरबी कम होती है और यह लगभग जैविक स्वरूप का होता है। विश्व में भारत गोजातीय मांस का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारतीय भैंसों के मांस के निर्यात की काफी बढ़ने की संभावना है।

मांस के जरिए मानवों में संचारी रोगों के बढ़ते स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण मांस के उपभोक्ता मांस की पौष्टिकता के प्रति अधिक सतर्क हैं और साफ तथा स्वच्छ वातावरण में प्रोसेस किए गए मांस तथा मुर्गा उत्पादों की मांग करते हैं। महानगरों और शहरी क्षेत्रों में "सुविधाजनक मदों" की मांग बढ़ती जा रही है जैसे आधा पका हुआ, खाने के लिए तैयार, पकाने के लिए तैयार मांस खाद्य उत्पाद।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मांस और मांस उत्पादों के लिए पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और गुणवत्ता श्रेणी के जारी करने की शर्तों के अलावा, (1) खुदरा मांस दुकानों, (2) छोटे मध्यम तथा बड़े बूचड़खानों, (3) मांस प्रोसेसिंग इकाइयों, (4) फार्म से बूचड़खानों तक पशुओं को ले जाने के पंजीकरण/ लाइसेंस प्रदान करने के लिए सफाई, स्वच्छता और अन्य शर्तों पर मसौदा/ आधारभूत पेपर तैयार कर लिए गए हैं और इन्हें मांस एवं मांस उत्पादों की समीक्षा हेतु गठित किए गए विशेषज्ञ समूह के सभी सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है तथा अंतिम दस्तावेज के शीघ्र ही तैयार कर लिए जाने की संभावना है।

v. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 (एमएमपीओ–92)

औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत 1991 में दुग्ध क्षेत्र में लाइसेंस समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मत्स्यपालन विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 9 जून, 1992 को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश (एमएमपीओ), 1992 लागू किया था। आदेश का उद्देश्य आम जनता के हित में अपेक्षित गुणवत्ता के तरल दूध की आपूर्ति में वृद्धि करना और उसे बनाए रखना तथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रोसेसिंग और वितरण को विनियमित करना भी है। इस आदेश के उपबंधों के अनुसार, 10,000 लीटर प्रतिदिन दूध या प्रति वर्ष 500 एमटी ठोस दूध का व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति/ दुग्ध संयंत्र को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए जाने की आवश्यकता है।

डेयरी क्षेत्र में तेज गति से हो रही वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, सरकार ने इसे अधिक उदार बनाने तथा डेयरी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 में समय–समय पर संशोधन किया है। इस विभाग ने दिनांक 26 मार्च, 2002 को सरकारी राजपत्र में अंतिम संशोधन अधिसूचित किया था। अब नई डेयरी इकाइयां स्थापित करने या दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तारण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि एमएमपीओ–92 की 5वीं अनुसूची में यथा निर्धारित निश्चित सफाई तथा स्वच्छता की शर्तें, गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा के उपायों को लागू करने के लिए पंजीकरण की शर्त मौजूद है।

एमएमपीओ–92 के पैरा 5(5)(ख) के उपबंधों का अनुपालन करने की दृष्टि से पशुपालन, दुग्ध उद्योग एवं मत्स्यपालन विभाग में दिनांक 1 अक्टूबर, 2003 को दो निरीक्षण एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी) को चक्रानुक्रम आधार पर डेयरी इकाइयों का वार्षिक निरीक्षण करने हेतु अधिसूचित किया है।

वर्तमान उपबंधों के अनुसार, 200.0 टीएलपीडी दूध या प्रति वर्ष 10,000 एमटी सूखे दूध का व्यवसाय करने वाली डेयरी इकाइयों के संबंध में, जहां डेयरी इकाइयों के विपणन, अधिप्राप्ति तथा प्रोसेसिंग के पूरे क्रियाकलाप राज्य सरकार या संघशासित क्षेत्र के अधीन हैं, पंजीकरण प्राधिकारी संबंधित राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र का कोई अधिकारी ही होगा। 200.0 टीएलपीडी दूध या 10,000 एमटी सूखे दूध प्रति वर्ष से अधिक का व्यवसाय करने वाली डेयरी इकाइयों का पंजीकरण केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। तदनुसार पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण के आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई करेगा और इस आदेश के अंतर्गत तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंदर पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

आरंभ से ही केंद्रीय और राज्य सरकार के पंजीकरण प्राधिकारियों ने 31 मार्च, 2009 तक सहकारी, निजी और सरकारी सेक्टर में कुल मिलाकर 960.0 लाख लीटर प्रति दिन की दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता वाली 865 डेयरी इकाइयों का पंजीकरण किया है। इसके अलावा, वर्ष 2008–09 के दौरान, केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकारी (सीआरए) ने दूध की प्रोसेसिंग के लिए 25.0 एलएलपीडी की दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता वाली इकाइयों को 12 नये पंजीकरण स्वीकृत किए हैं (9 डेयरी इकाइयों को दुग्ध प्रोसेसिंग के लिए और बाकी तीन इकाइयों को विपणन/ व्यवसाय के लिए), 14 डेयरी इकाइयों की दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाकर 43.40 एलएलपीडी कर दिया है और 24.35 एलएलपीडी क्षमता वाली 10 डेयरी इकाइयों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। 31 मार्च 2009 तक सीआरए द्वारा पंजीकृत की गई 366 डेयरी इकाइयों में से इस समय, 669.0 एलएलपीडी की कुल दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता वाली 232 डेयरी इकाइयां कार्यात्मक चरण में हैं, 17 डेयरी इकाइयों को व्यापार/विपणन के उद्देश्य के लिए पंजीकृत किया गया है और 117 डेयरी इकाइयों के पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं।

अब इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 99 के अंतर्गत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विनियमन के रूप में शामिल कर लिया गया है और इसका कार्यान्वयन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं

मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। स्टाफ के साथ–साथ एमएमपीओ–92 से संबंधित कार्य पशुपालन, दुग्ध–उद्योग एवं मत्स्यपालन विभाग द्वारा 15 जनवरी, 2009 को खाद्य प्राधिकरण को अंतरित कर दिया गया है। खाद्य प्राधिकरण ने भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 99 के उपबंधों तथा एमएमपीआर के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर नियंत्रक एवं पंजीकरण प्राधिकारी की नियुक्ति की अधिसूचना के लिए कदम उठा लिए हैं। एमएमपीओ–92 से एमएमपीआर–92 में परिवर्तन के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 99 के उपबंध में उल्लिखित अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2009 को एस.ओ. सं.1575(ड.) के अंतर्गत जारी कर दी है। तथापि, केंद्र में नये नियंत्रक और पंजीकरण प्राधिकारी की नियुक्ति का मुद्दा प्रक्रियाधीन है और यथासमय इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।

खाद्य प्राधिकरण ने दिनांक 14 दिसम्बर, 2008 को एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है, जिसमें एमएमपीआर का मसौदा तैयार करने और रणनीति और कार्य योजना बनाने हेतु रूपात्मकताओं का पता लगाने के लिए एमएमपीओ–92 के वर्तमान उपबंधों की समीक्षा करने हेतु एनडीडीबी, एनडीआरआई–करनाल, पशुपालन, दुग्ध–उद्योग एवं मत्स्यपालन विभाग, अन्य राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित सहकारी समितियों और निजी दुग्ध सेक्टर के विशेषज्ञ शामिल हैं ताकि खाद्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। विशेषज्ञ समूह के साथ की गई चर्चा के पश्चात एनडीडीबी द्वारा तैयार किया गया दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत कार्य–पत्र दिनांक 18 जून, 2009 को इस प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाल दिया गया है ताकि डेयरी क्षेत्र में संबंधित स्टेट होल्डरों की टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें।

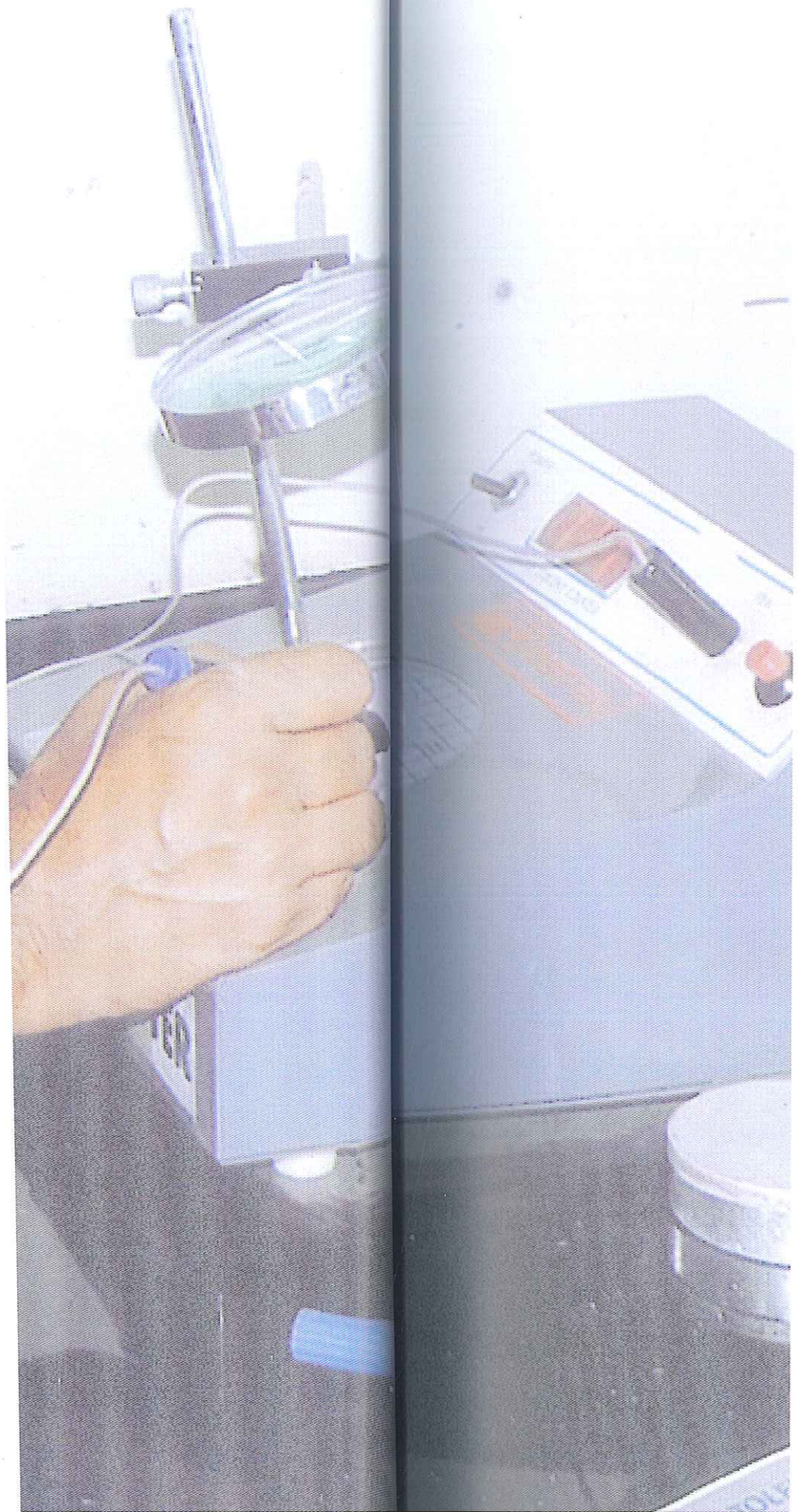

2008–09 के दौरान किए गए क्रियाकलाप

■ एफडीए भवन का उदघाटन

एफडीए भवन, जो एक नया भवन है, का उदघाटन माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और माननीय विदेश मंत्री द्वारा किया गया था। यह भवन आधुनिक सम्मेलन कक्षों और अन्य प्रसुविधाओं से सुसज्जित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की पहली बैठक दिनांक 19 दिसंबर, 2008 को एफडीए भवन में की गई थी।

■ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रचालनरत करने हेतु प्रमुख स्टाफ की भर्ती

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आंरभतः स्वीकृत किए गए पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था और प्राधिकरण को प्रचालनरत बनाने हेतु पदाधिकारियों के एक प्रमुख दल की भरती की गई थी।

■ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से स्टाफ का स्थानांतरण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची II के अंतर्गत सूचीबद्ध खाद्य संबंधी विभिन्न अधिनियमों और आदेशों का कार्यान्वयन करने वाले विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से स्टाफ के स्थानांतरण हेतु आदेश जारी किए गए थे।

■ प्राधिकरण का नया ढांचा

प्राधिकरण के ढांचे को अंतिम रूप दिया गया था। नये ढांचे के अनुसार जिन पदों की आवश्यकता थी, उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।

■ सूचना प्रौद्योगिकी

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने आधारभूत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना उपलब्ध करा दी है ताकि इसके कार्यों में सुविधा प्राप्त हो सके। तदनुसार, वेबसाइट सृजित कर दी गई है और इसके जरिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण पणधारियों तथा आम जनता को अपने विभिन्न मसौदे संसूचित कर रहा है। स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के पास उपलब्ध

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को हार्डवेयर और साफ्टवेयर उपलब्ध करा कर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। मुख्यालय में एक समर्पित लीज्ड लाइन संयोजन स्थापित कर दिया गया है और सहायक उपकरणों तथा अन्य हिस्से–पुर्जों के साथ कम्प्यूटरों का एक नेटवर्क स्थापित कर दिया गया। प्राधिकरण ने एक पोर्टल विकसित करने का कार्य अवार्ड कर दिया है और एनआईसीएसआई के माध्यम से एसआरएस अध्ययन आरंभ कर दिया गया है।

■ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की समितियों और पैनलों के लिए प्रक्रियाएं तैयार करना

प्राधिकरण के प्रचालनों, सलाहकार समिति, वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति की प्रक्रिया का मसौदा तैयार कर लिया गया है और वेबसाइट पर डाल दिया गया है। सभी पणधारियों से टिप्पणियां मांगी गई थी। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की पहली बैठक में प्रस्तुत किया गया है और एफएसएसएआई के सदस्यों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सुझावों / टिप्पणियों के आधार पर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति तथा सलाहकार समिति के लिए नामांकन आमंत्रित कर लिए गए हैं। प्राप्त नामांकनों पर प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया के अनुमोदन के पश्चात विचार किया जाएगा।

■ दुग्ध सुरक्षा

प्राधिकरण ने संदूषित चीनी दुग्ध उत्पादों पर प्रतिबंधों के संबंध में सलाह संबंधी पत्र जारी कर दिए हैं। तदनुसार, वाणिज्य मंत्रालय ने 6 महीने के लिए चीन के दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सलाह संबंधी यह पत्र, खाद्य के मेलामाइन संदूषण के स्रोतों और महत्त्व के आधार पर उपलब्ध संबंधित सूचनाएं राज्य खाद्य पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु और तत्काल आधार पर खाद्य सुरक्षा की स्थिति से निपटने के लिए उनकी ओर से की जाने वाली समुचित निवारक कार्रवाइयों में सुविधा प्रदान करने हेतु जारी किया जा रहा है। सभी राज्य सरकारों को सतर्क कर दिया गया है और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की सख्ती से मानीटरिंग तथा परीक्षण करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

■ राष्ट्रमण्डल खेल, 2010

प्राधिकरण ने राष्ट्रमंडल खेलों के पहले से ही नई दिल्ली में भोजन प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले भोजन की समीक्षा और गुणवत्ता को उन्नत करने हेतु एक बड़ी परियोजना आरंभ की है।

■ प्रस्तावित अध्ययन

भोजन विज्ञान, पौष्टिकता और संबंधित शाखाओं में अनुसंधान एवं विकास हेतु राष्ट्रीय केंद्रों के साथ सहयोग की एक संरचना तैयार की जा रही है ताकि प्राधिकरण के अधिदेश को समर्थन देने हेतु इन संस्थाओं को सशक्त बनाने में सहायता मिल सके।

- **खुराक संबंधी अध्ययनः** प्राधिकरण ने खुराक, पोषाहार एवं रोगों – खाद्य से जुड़े, पर अध्ययन करने हेतु भारतीय पोषाहार संस्थान को यह कार्य सौंपा है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मौसमों के दौरान ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच संसाधित और गैर–संसाधित विभिन्न खाद्य पदार्थों की खपत के पैटर्न का मूल्यांकन करेगा।
- **खाद्य विनियमनः** प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि खाद्य विनियमन, रोगों की रूपरेखा, अवसंरचना आदि पर एक आंकड़ा आधार सृजित किया जाए। कोई उपयुक्त एजेंसी, आईटीआरसी,

सीएफटीआरआई, एनडीआरआई, एनआईएन आदि जैसे विभिन्न संस्थानों से खाद्य तथा खाद्य संदूषकों पर द्वितीयक आंकड़े एकत्र करेगी, जिनमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित खुराकों को दर्शाया जाएगा। इससे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को खतरे का आकलन करने और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

- **आयात सुरक्षाः** प्राधिकरण एक आयात सुरक्षा कार्य योजना तैयार करने हेतु अंतर–मंत्रालयी समूह का गठन करेगा।
- **प्रयोगशालाएंः** प्राधिकरण ने, राज्य की प्रयोगशालाओं की कमियों का मूल्यांकन करने और रेफरल प्रयोगशालाओं की पहचान करने के मापदंडों का कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद् को सौंप दिया है। इस अध्ययन से प्रत्येक प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति और अवसंरचना, उपकरण, जनशक्ति – उपयुक्तता और प्रशिक्षण की आवश्यकता दोनों तथा इस्तेमाल की गई परीक्षण पद्धतियों के हिसाब से अपेक्षित उन्नयन का निर्धारण होगा। यह अध्ययन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अधीन इन प्रयोगशालाओं को परीक्षण के लिए तैयार करेगा और खाद्य परीक्षण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को कार्यान्वित करेगा।

■ कार्यशालाएं

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 26 मार्च, 2009 को बंगलौर में "खाद्य की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर परामर्श" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में विभिन्न पणधारियों के साथ, लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया और पंजीकरण के लिए बनाए गए विनियमावली के मसौदों पर चर्चा की गई थी। निम्नलिखित विशेष पहलुओं पर भी चर्चा की गई थी:

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य व्यवसायों के पंजीकरण/ लाइसेंसिंग/ मानीटरिंग का ढांचा, और
2. लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण के लिए मौजूद ढांचा।

मुम्बई, दिल्ली और कोलकाता में तीन और कार्यशालाएं आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। ये कार्यशालाएं फिक्की के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं।

रोडमैप

दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को हुई प्राधिकरण की पहली बैठक में प्राधिकरण के निम्नलिखित रोडमैप अनुमोदित किए गए हैं:

1. अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के व्यावसायिक काडर, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कौशल विकास और उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण प्रणाली को पीएफए प्रणाली से अंतरित की गई संक्रांतिकालीन व्यवस्थाओं के संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार के साथ चर्चाएं आरंभ की जानी हैं। इनके मापदंडों का पता लगाया जाना है ताकि इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार के कार्य–निष्पादन का अनुमान लगाया जा सके।
2. एफपीओ, एमएफपीओ, पीएफए, एमएमपीओ और अन्य संबंधित खाद्य अधिनियमों के अंतर्गत मौजूदा स्टाफ और प्राधिकरण के क्रियाकलापों को राज्य सरकारों के निकट लाने हेतु संस्थापित क्षेत्रीय निदेशालयों को संघटित किए जाने की आवश्यकता है।
3. प्राधिकरण की संरचना को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका अनुमोदन कराया जाएगा। पदों के अनुमोदन के पश्चात विभिन्न पदों को भरने हेतु उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती के लिए कदम उठाए जाएंगे।
4. वैज्ञानिक पैनल प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया के अनुमोदन कर दिए जाने और सरकार द्वारा अपेक्षित अधिसूचनाएं जारी कर दिए जाने के तुरंत बाद सलाहकार समिति, वैज्ञानिक समिति गठित की जाएंगी।
5. निगरानी प्रणाली और रिकॉल प्रक्रिया–तंत्र कानून के उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाएंगे। उनको अंतिम रूप दिए जाने से पहले सभी पणधारियों के साथ उन पर चर्चा की जाएगी।
6. आयातित खाद्य सुरक्षा कार्य–योजना, वर्ष 2009 के दौरान कार्यान्वयन हेतु आरंभ की जाएगी। इसके लिए बड़ी संख्या में अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए प्रवेश बंदरगाहों में अवसंरचना के विस्तारण, आयातित खाद्य पदार्थों के परीक्षण की अल्पतम रणनीति का पता लगाने, देश में आयातित खाद्य की खाद्य सुरक्षा के साथ अन्य देशों के मामलों का सामंजस्य बैठाने आदि की आवश्यकता भी होगी।
7. प्राधिकरण का यह प्रस्ताव है कि न्यूट्रासियुटिकल्स, कार्यात्मक खाद्य और अनुपूरकों के विनियमन हेतु नीति के ढांचे का मसौदा तैयार किया जाए। इस उद्देश्य के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसकी सिफारिशों पर पणधारियों के साथ आगे चर्चा की जाएगी।
8. प्राधिकरण का यह प्रस्ताव है कि पीएफए, जिसकी दशकों से समीक्षा नहीं की गई है, के अंतर्गत, रंगों, योगात्मकों, अनुपूरकों आदि की वर्तमान सूची की समीक्षा की जाए। अब अद्यतन वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर इनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।
9. प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक विकास, भर्ती, प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा स्टाफ के अन्य क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

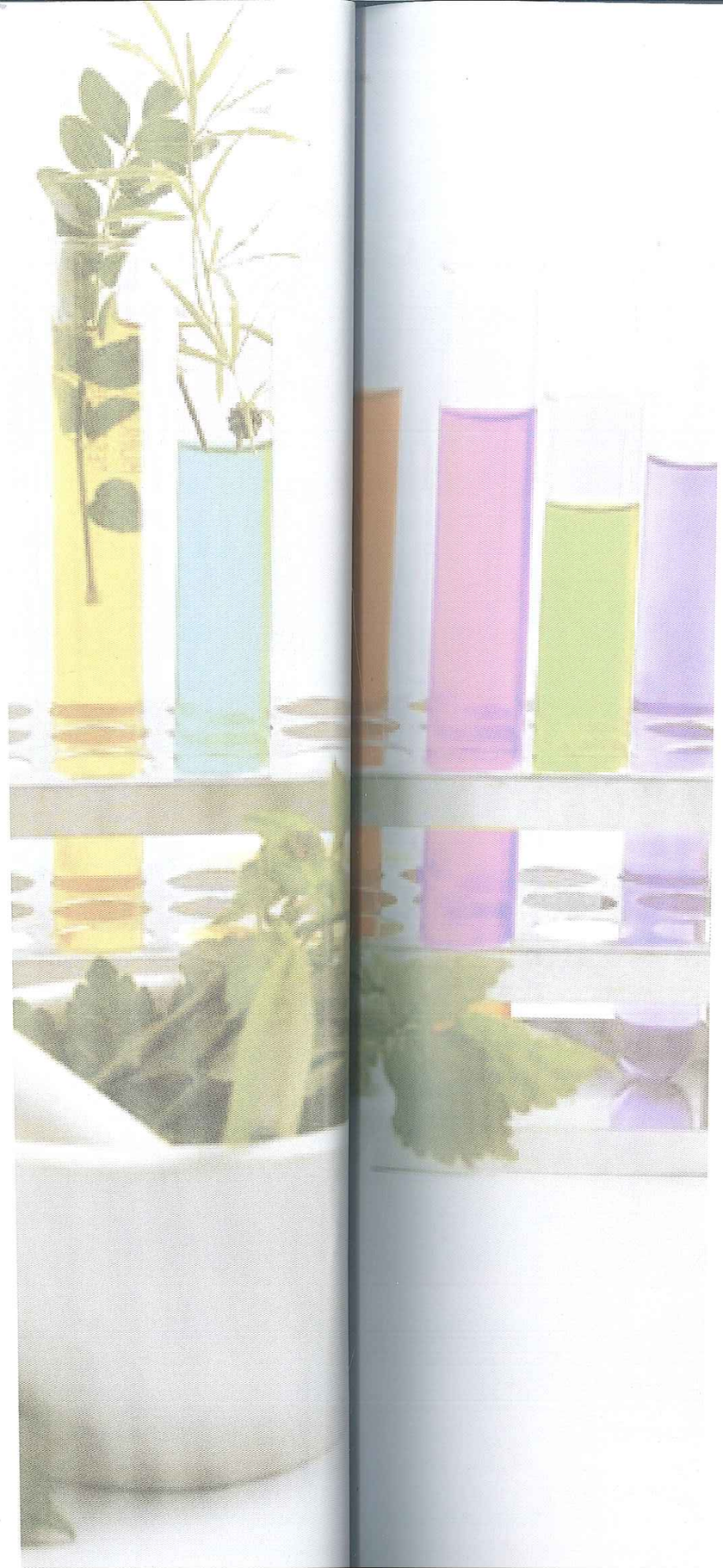

10. प्राधिकरण का प्रस्ताव है कि इसके अधिदेश के समर्थन हेतु राष्ट्रीय स्तर के मौजूदा संस्थानों के साथ काम किया जाए। सर्वोत्कृष्टता के केंद्रों और उनके द्वारा समर्थन प्राप्त करने के प्राधिकरण के अधिदेश से संबंधित विभिन्न संस्थानों का पता लगाए जाने का प्रस्ताव है।
11. कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि के साथ चर्चाओं के पश्चात खाद्य स्थापनाओं के लिए अच्छी कृषि पद्धतियां, जैविक खाद्य और अच्छी विनिर्माण पद्धतियां निर्धारित किए जाने वाले मानकों की आवश्यकता है।
12. खाद्य से संबंधित वैज्ञानिक निष्कर्षों का प्रसार, प्राधिकरण के कार्यों में एक महत्त्वपूर्ण घटक होगा। इसके लिए पणधारियों को केवल पूरी सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने की ही आवश्यकता नहीं होगी बल्कि खाद्य से संबंधित विभिन्न नीतियों के वैज्ञानिक उल्लंघन का पता लगाने और उन रुखों जिन्हें मानीटर किए जाने की आवश्यकता है, के वातावरण की जांच करने की आवकश्यकता भी होगी।
13. प्राधिकरण का प्रस्ताव है कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी आधार का विस्तारण किया जाए। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के एजेंडा और उसे आगे बढ़ाए जाने के लिए स्थापित किए जाने वाले संस्थानों के नेटवर्क का पता लगाए जाने की आवश्यकता है।
14. जल के खाद्य स्वच्छता और मानीटरिंग का एक महत्त्वपूर्ण संघटक होने के कारण, जल का संदूषण खाद्य सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। प्राधिकरण, खाद्य उत्पादन के लिए एक घटक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जल की सुरक्षा स्तरों का आकलन करने हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा।
15. खाद्य उत्पादों के संबंध में खाद्य पर लेबल चिपकाने, दावों का वैधीकरण करने और खाद्य के संबंध में विज्ञापन के कोड के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करना।
16. इस वर्ष के अंत तक प्राधिकरण इस स्थिति में होगा कि वह यथापेक्षित क्षेत्रीय संशोधनों के साथ क्षेत्रीय खुराक संबंधी दिशानिर्देश जारी कर सके। इसके लिए एक विशेषज्ञ समूह स्थापित करने और अद्यतन वैज्ञानिक निष्कर्षों और देश में खाद्य की खपत की स्थिति के आधार पर दिशानिर्देशों का मसौदा बनाने की आवश्यकता है।

fssai

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

2008–09 का व्यय विवरण

कुल स्वीकृत अनुदान = 8 करोड़

शीर्ष	कुल
वेतन	98,73,364.00
समयोपरिभत्ता	8,252.00
यात्रा व्यय	6,53,967.00
मशीनरी उपस्कर	74,38,018.00
कार्यालय व्यय	1,04,03,259.00
चिकित्सा उपचार	12,306.00
आपूर्ति और सामग्री	4,14,961.00
मोटर वाहन	21,42,845.00
सुरक्षा	9,90,252.00
अन्य प्रशासनिक सेवायें	1,95,899.00
सम्मेलन, बैठक और संगोष्ठी	2,30,754.00
सूचना प्रौद्योगिकी	27,86,241.00
रखरखाव	62,92,222.00
विज्ञापन और प्रचार	8,82,072.00
दर, किराया और कर	20,826.00
पुस्तकालय	47,614.00
व्यावसायिक सेवाएं	2,00,000.00
कुल	**4,25,92,852.00**

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को तुलन पत्र
को स्थापित

संपत्ति/पूंजी निधि और देनदारी	अनुसूची	2008-09
संपत्ति/पूंजी निधि	1	48,023,949.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	-
निर्दिष्ट/प्रदत्त निधि	3	-
प्रतिभूत ऋण एवं उधार	4	-
अप्रतिभूत ऋण एवं उधार	5	-
आस्थगित ऋण देनदारी	6	-
चालू देनदारी एवं प्रावधान	7	1,037,255.00
कुल		**49,061,204.00**
परिसंपत्तियां		
स्थायी परिसंपत्तियां	8	9,359,357.00
निवेश–निर्दिष्ट/प्रदत्त निधि	9	-
निवेश – अन्य	10	-
चालू संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम आदि	11	39,701,847.00
विविध व्यय (आय से अधिक व्यय)		-
कुल		**49,061,204.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24	
आकस्मिक देनदारी और लेखा पर टिप्पणियां	25	

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को आय एवं व्यय लेखा
को स्थापित

आय	अनुसूची	2008-09
बिक्री एवं सेवाओं से आय	12	-
अनुदान/सब्सिडी	13	-
शुल्क/सदस्यता	14	-
निवेश से आय	15	-
रायल्टी, प्रकाशन से आय	16	-
अर्जित ब्याज	17	1,47,797.00
अन्य आय	18	11,85,099.00
स्टॉक में कमी/बढ़ोत्तरी	19	-
		13,32,896.00
आय से अधिक व्यय संपत्ति/पूंजी निधि से स्थानांतरित		31,976,051.00
		33,308,947.00
व्यय		
स्थापित खर्चे	20	10,426,124.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	20,581,250.00
अनुदान, सदस्यता आदि पर व्यय	22	-
ब्याज	23	-
मूल्यह्रास		2,301,573.00
कुल (बी)		**33,308,947.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24	
आकस्मिक देनदारी और लेखा पर टिप्पणियां	25	

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 1: संपत्ति/पूंजी निधि

		2008-09
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	
जुड़ा : संपत्ति/पूंजी निधि में योगदान	80,000,000.00	
जुड़ा (घटाया) : शुद्ध आय/(व्यय) आय एवं व्यय लेखों से स्थानांतरित	(31,976,051.00)	48,023,949.00
वर्ष के अंत में शेष राशि		48,023,949.00

अनुसूची 2: आरक्षित एवं अधिशेष

1. आरक्षित पूंजी		
अंतिम लेखानुसार	-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	
घटाया : वर्ष के दौरान घटाया गया	-	-
2. पूनर्मूल्याकंन आरक्षित		
अंतिम लेखानुसार	-	
जोड़ा: वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	
घटाया : वर्ष के दौरान घटाया गया	-	-
3. विशेष आरक्षित		
अंतिम लेखानुसार	-	
जोड़ा: वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	
घटाया : वर्ष के दौरान घटाया गया	-	-
4. सामान्य आरक्षित		
अंतिम लेखानुसार	-	
जोड़ा: वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	
घटाया : वर्ष के दौरान घटाया गया	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		-

अनुसूची 3: निर्दिष्ट/प्रदत्त–निधि

क) आरंभिक बचत निधि		
ख) निधि में जोड़ा गया		
i) दान/अनुदान		
ii) निधि के लेखों पर निवेश से आय		
iii) अन्य जोड़		
कुल (क+ख)		
ग) उपयोग/व्यय– निधि के उद्देश्य के लिए		
i) पूंजी व्यय		
- स्थायी परिसंपत्ति		
- अन्य		
कुल		
ii) राजस्व व्यय		
- वेतन, भुगतान और भत्ता आदि		
- किराया		
- अन्य प्रशासनिक व्यय		
कुल		
कुल (ग)		
वर्ष समाप्ति पर शुद्ध शेष (क+ख+ग)		

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 4: प्रतिभूत ऋण एवं उधार

1. केन्द्र सरकार	-	
2. राज्य सरकार	-	
3. वित्तीय संस्थान		
क) आवधिक ऋण	-	
ख) बढ़ाया गया ब्याज	-	
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण	-	
ख) बढ़ाया गया ब्याज एवं शेष	-	
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	
6. ऋण–पत्र एवं बॉन्ड्स	-	
7. अन्य		-
वर्ष के अंत पर शुद्ध शेष		-

अनुसूची 5: अप्रतिभूत ऋण एवं उधार

1. केन्द्र सरकार	-	
2. राज्य सरकार	-	
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण	-	
ख) अन्य	-	
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	
6. ऋण–पत्र एवं बॉन्ड्स	-	
7. स्थाई जमा		-
8. अन्य		-
वर्ष के अंत पर शुद्ध शेष		-

अनुसूची 6: आस्थगित ऋण देनदारी

क) पूंजी उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के रेहन पर स्वीकृत प्रतिभूत	-	
ख) अन्य	-	
	-	-
वर्ष के अंत पर शुद्ध शेष		

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 7: चालू देनदारी एवं प्रावधान

ए. वर्तमान देनदारी		-
1. स्वीकृतियां		
2. विविध ऋण		8,45,313.00
– माल/सेवाओं के लिए		1,45,426.00
– देय व्यय		30,000.00
3. अग्रिम प्राप्त		
4. ब्याज बद्धा परंतु बाकी नही		-
– प्रतिभूत अग्रिम/उधार		-
– अप्रतिभूत अग्रिम/उधार		
5. वैधानिक देनदारी		-
क) अतिशेष		16,516.00
ख) टीडीएस देय		1,037,255.00
कुल (ए)		1,037,255.00
बी. प्रावधान		
1. कर–निर्धारण के लिए		-
2. ग्रेच्यूटी		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-
4. छूटिट्यों के बदले नगदी		-
5. व्यापार वारंटी/दावा		-
6. अन्य		-
कुल (बी)		
वर्ष के अंत में शुद्ध (ए+बी)		1,037,255.00

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचीं

अनुसूची 8: स्थायी परिसंपत्ति

विवरण		सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
विवरण		01.04.2008 को शेष	30.09.2008 तक जोड़ा गया	30.09.2008 के बाद जोड़ा गया	बिक्री	कुल	30.09.2008 के पहले का जोड़	30.09.2008 के बाद का जोड़	01.04.2008 को	वर्ष के दौरान जोड़	31.03.2009 को कुल	31.03.2009 को	31.03.2008 को
भूमि													
क) फ्रीहोल्ड		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
ख) पट्टे की भूमि		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
बिल्डिंग:-												-	
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर													
ख) पट्टे की भूमि पर		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
ग) मालिकाना फ्लैट/प्रांगण		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
घ) भूमि पर बाहि निर्माण, इंटिटी के लिए नही		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
प्लांट, मशीनें एव उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
गाड़ी–एंबेस्डर कार	25.89%	-	5,63,772.00	-	-	5,63,772.00	1,45,961.00	-	-	1,45,961.00	1,45,961.00	4,17,811.00	-
फर्नीचर एवं फिक्चर	18.10%	-	5,59,836.00	1,35,086.00	-	6,94,922.00	1,01,330.00	12,225.00	-	1,13,555.00	1,13,555.00	5,81,367.00	-
कार्यालय उपकरण													
ड) फैक्स मशीन	15.33%	-	45,240.00	-	-	45,240.00	6,935.00	-	-	6,935.00	6,935.00	38,305.00	-
च) गीजर एसी	15.33%	-	16,042.00	-	-	16,042.00	2,459.00	-	-	2,459.00	2,459.00	13,583.00	-
छ) माइक्रो वेव	15.33%	-	4,450.00	8,900.00	-	13,350.00	4,450.00	8,900.00		13,350.00	13,350.00	-	-
ज) ऑयल फिल्ड रेडियेटर	15.33%	-		25,365.00	-	25,365.00	-	1,944.00		1,944.00	1,944.00	23,421.00	-
झ) वोल्टेज स्टेबलाइजर	15.33%	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-	1,472.00	-	1,472.00	1,472.00	17,728.00	-
ञ) वाटर डिस्पेंसर	15.33%	-	6,500.00	-	-	6,500.00	996.00	-		996.00	996.00	5,504.00	-
ट) ओडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम	15.33%	-	-	1,051,812.00	-	1,051,812.00	-	80,621.00	-	80,621.00	80,621.00	9,71,191.00	-
ठ) एलसीडी टीवी	15.33%	-	-	9,19,209.00	-	9,19,209.00	-	70,457.00	-	70,457.00	70,457.00	848,752.00	-
ढ) प्लाज्मा टीवी	15.33%	-	-	2,730,875.00	-	2,730,875.00	-	2,09,322.00	-	2,09,322.00	2,09,322.00	2,521,553.00	-
ड) टाटा स्काई व ईपीआरएस सिस्टम	15.33%	-	-	9,098.00	-	9,098.00	-	9,098.00		9,098.00	9,098.00	-	-
ण) सिमेन हाई–पाथ 1150 डिजिटल पावर साउंड सिस्टम	15.33%	-	1,56,272.00	145,301.00	-	3,01,573.00	23,956.00	11,137.00	-	35,093.00	35,093.00	266,480.00	-
त) डिजिटल कैमरा	15.33%	-	-	33,800.00	-	33,800.00		2,591.00	-	2,591.00	2,591.00	31,209.00	-
थ) कम्प्यूटर	40%		1,149,320.00	1,904,167.00	-	3,053,487.00	4,59,728.00	3,80,833.00	-	8,40,561.00	8,40,561.00	2,212,926.00	-
द) यूपीएस	40%	-	1,22,184.00	2,44,670.05	-	3,66,854.05	48,874.00	48,934.00	-	97,808.00	97,808.00	269,046.05	-
ध) प्रिंटर एवं स्कैनर	40%	-	1,325,452.00	3,51,376.95	-	1,676,828.95	5,30,181.00	70,275.00	-	600,456.00	600,456.00	1,076,372.95	-
पुस्तकालय के लिये किताबें	100%	-	19,756.00	33,743.00	-	53,499.00	19,756.00	33,743.00	-	53,499.00	53,499.00	-	-
अवमूल्यन का विशेष दर आस्थगित मानते हुए													
क) बीटेल ट्विंन फोन	15.33%	-	3,822.00	3,406.00	-	7,228.00	3,822.00	3,406.00	-	7,228.00	7,228.00	-	-
ख) मोबाईल फोन	15.33%	-	25,800.00	37,999.00	-	63,799.00	3,955.00	2,913.00	-	6,868.00	6,868.00	56,931.00	-
ग) कार्डलेस फोन	15.33%	-	8,476.00	-	-	8,476.00	1,299.00	-	-	1,299.00	1,299.00	7,177.00	-
कुल जोड़		-	4,006,922.00	7,654,008.00	-	11,660,930.00	1,353,702.00	9,47,871.00	-	2,301,573.00	2,301,573.00	9,359,357.00	-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 9: निर्दिष्ट/प्रदत्त निधि से निवेश

1. सरकारी सुरक्षा में	-	
2. अन्य अनुमोदित सुरक्षा	-	
3. शेयर	-	
4. ऋणपत्र एवं बॉन्ड	-	
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य		
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष	-	

अनुसूची 10: निवेश (अन्य)

1. सरकारी सुरक्षा में	-	
2. अन्य अनुमोदित सुरक्षा	-	
3. शेयर	-	
4. ऋणपत्र एवं बॉन्ड	-	
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य		
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 11: वर्तमान संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम आदि

ए. वर्तमान परिसंपत्ति		
1. माल सूची		
ए) स्टोर एवं स्पेयर	-	
बी) खुले औजार	-	
सी) व्यापार में स्टॉक		
तैयार माल	-	
कार्य प्रगति पर	-	
कच्चा माल	-	
2. विविध ऋण		
ए) 6 माह से ज्यादा पर बकाया	-	
बी) अन्य	-	
3. अपने पास नकदी	-	
4. बैंक शेष		
ए) शेडयूल्ड बैंक के साथ		
- चालू खाता पर	-	
- जमा खाता पर	-	
- बचत खाता पर	38,770,044.00	
बी) गैर–शेडयूल्ड बैंक के साथ		
- चालू खाता पर	-	
- जमा खाता पर	-	
- बचत खाता पर	-	
5. पोस्ट ऑफिस बचत खाता	-	38,770,044.00
कुल (ए)		38,770,044.00
बी. ऋण एवं अग्रिम		
1. ऋण		
ए) स्टॉफ	56,000.00	
बी) समान गतिविधि में शामिल अन्य इंटीटीज	-	
सी) अन्य	8,75,803.00	
2. ब्याज बढ़ा हुआ		
निर्दिष्ट/प्रदत्त निधि के निवेश पर		
ए) कैपिटल लेखा पर	-	
बी) पूर्व भुगतान	-	
सी) अन्य	-	
3. बढ़ा हुआ ब्याज		
ए) निर्दिष्ट/प्रदत्त निधि के निवेश पर	-	
बी) अन्य निवेश पर	-	
सी) ऋण एवं अग्रिम पर	-	
डी) अन्य	-	
4. दावा प्राप्ति योग्य	-	9,31,803.00
कुल (बी)		9,31,803.00
वर्ष समापन पर कुल शेष (ए+बी)		39,701,847.00

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 12: बिक्री/सेवाओं आय

1. बिक्री से आय		
ए) तैयार माल की बिक्री पर	-	
बी) कच्चे माल की बिक्री पर	-	
सी) स्क्रैप की बिक्री पर	-	
2. सेवाओं से आय		
ए) श्रम एवं प्रक्रिया की रसीद	-	
बी) व्यावसायिक परामर्श शुल्क	-	
सी) एजेंसी की कमीशन एवं ब्रोकरेज	-	
डी) रखरखाव कार्य	-	
ई) अन्य	-	-
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		-

अनुसूची 13: अनुदान/सहायता

1. केन्द्र सरकार	-	
2. राज्य सरकार	-	
3. सरकारी एजेंसियां	-	
4. संस्थान/समाजिक कल्याण संस्थायें	-	
5. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	-	
6. अन्य	-	-
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		-

अनुसूची 14: शुल्क/सदस्यता

1. प्रवेश शुल्क	-	
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	
3. सेमिनार शुल्क/कार्यक्रम शुल्क	-	
4. परामर्श शुल्क	-	
5. अन्य	-	-
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		-

अनुसूची 15: निवेश से आय

1. ब्याज		
ए) सरकारी प्रतिभूतियां	-	
बी) अन्य बाण्ड/ऋण पत्र	-	
2. लाभांश पर		
ए) शेयर		
बी) म्युचुअल फंड सिक्योरिटी	-	
3. किराया	-	
4. अन्य	-	
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		

(कॉर्पस/कैपिटल निधि को स्थानांतरित)

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 16: रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय

1. रॉयल्टी से आय	-	
2. प्रकाशन से आय		-
3. अन्य	-	-
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		-

अनुसूची 17: अर्जित ब्याज

1. आवधिक जमा पर		
ए) अधिकृत बैंकों के साथ	-	
बी) अनाधिकृत बैंकों के साथ	-	
सी) संस्थानों के साथ	-	
डी) अन्य		
2. बचत खाता पर		
ए) अधिकृत बैंकों के साथ	1,47,797.00	
बी) अनाधिकृत बैंकों के साथ	-	
सी) संस्थानों के साथ	-	
डी) अन्य		
3. ऋण पर		
ए) कर्मचारी/स्टॉफ	-	
बी) अन्य	-	
4. ऋणियों एवं अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	1,47,797.00
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		1,47,797.00

अनुसूची 18: अन्य आय

1. बिक्री/परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ		
ए) मालिकाना पारिसंपत्ति	-	
बी) निःशुल्क प्राप्त/अनुदान के अलावा अधिग्रहित परिसंपत्तिया	-	
2. आयात इंसेटिव साकार	-	
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	1,014,250.00	
4. विविध आय	1,70,849.00	1,185,099.00
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		1,185,099.00

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 19: तैयार स्टाक, डब्ल्यूआईपी एवं कच्चे माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी

ए) समापन स्टॉक		
- तैयार स्टॉक	-	
- कार्य प्रगति पर	-	
बी) घटाएं: आरंभिक स्टॉक		
- तैयार स्टॉक	-	
- कार्य प्रगति पर	-	-
स्टॉक में शुद्ध वृद्धि/कमी (ए-बी)		-

अनुसूची 20: स्थापित व्यय

ए) वेतन एवं पारिश्रमिक	9,832,364.00	
बी) भत्ते	5,40,624.00	
सी) भविष्य निधि में योगदान	-	
डी) अन्य निधि में योगदान	-	
ई) स्टॉफ कल्याण व्यय	40,830.00	
एफ) कर्मचारी सेवानिवृति एवं लाभ पर व्यय	-	
जी) मेडिकल व्यय	12,306.00	10,426,124.00
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		10,426,124.00

अनुसूची 21: अन्य प्रशासनिक व्यय

ए) खरीद	-	
बी) श्रम एवं प्रक्रिया शुल्क	-	
सी) कार्टेज एवं कैरिज इनवार्ड	-	
डी) बिजली और पावर	5,713,704.00	
इ) पानी शुल्क	1,46,625.00	
एफ) बीमा	-	
जी) मरम्मत एवं रखरखाव	6,469,826.00	
एच) आबकारी कर	-	
आई) किराया, भाड़ा एवं कर	42,826.00	
जे) वाहन चालन एवं रखरखाव	14,903.00	
के) पोस्टेज एवं टेलीग्राम	68,976.00	
एल) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	4,71,394.00	
एम) यात्रा एवं कन्वेन्स व्यय	2,254,731.00	
एन) सेमिनार, मिटिंग एवं कांफ्रेंस व्यय	2,50,551.00	
ओ) सदस्यता व्यय	-	
पी) शुल्क	-	
क्यू) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	36,000.00	
आर) आतिथ्य एवं सुरक्षा पर व्यय (आतिथ्य व्यय)	1,262,704.00	
एस) व्यावसायिक शुल्क	4,14,574.00	
टी) बुरे/संदिग्ध एवं अग्रिम का प्रावधान	-	
यू) बट्टे खाते इरेकेबल बैलेंस	-	
वी) पैकिंग भार	-	
डब्ल्यू) भाड़ा और फार्वाडिंग व्यय	-	
एक्स) वितरण व्यय	-	
वाई) विज्ञापन व्यय	9,18,814.00	
जेड) अन्य	2,515,622.00	20,581,250.00
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		20,581,250.00

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 22: अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

ए) संस्थानो/संगठनों को दिया अनुदान	-	
बी) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		-

अनुसूची 23: ब्याज चुकता

ए) स्थायी ऋणों पर		
बी) अन्य ऋणों पर		
सी) अन्य		
वर्ष समापन पर शुद्ध शेष		

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को अनुसूचियों के विवरण

माल/सेवाओं के विविध ऋणों का विवरण		
मैसर्स बेदी एवं बेदी एसोसिएट्स	3,38,859.00	
मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	76,132.00	
मैसर्स इंडियन इडिस्ट्रयल सिक्युरिटी सर्विसेज प्रा. लि.	75,796.00	
मैसर्स एनडीआर टूर एवं ट्रेवल्स	2,70,739.00	
मैसर्स सेफगार्ड व मेनपावर	17,836.00	
मैसर्स वेदर कंट्रोल इंजीनियरिंग	29,951.00	
मैसर्स रावला एण्ड कंपनी	36,000.00	8,45,313.00
		8,45,313.00
अन्य ऋणियों का विवरण		
मोबाइल व्यय देय	1,167.00	-
बिजली व्यय देय	1,16,401.00	
टेलीफोन व्यय देय	27,858.00	1,45,426.00
		1,45,426.00
स्टॉफ को दिये ऋण का विवरण		
एल. टी. सी अग्रिम	41,000.00	-
डिप्टी डायरेक्टर (एफ एण्ड वी पी) चैन्नई	10,000.00	
श्री पी. आई. सुवरत्न एकाउंट	5,000.00	56,000.00
कुल		56,000.00
अन्य ऋणियों का विवरण		
मैसर्स राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	8,56,603.00	
मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	15,000.00	
मैसर्स बेग फुल इंटर	1,200.00	
डीएवीपी	3,000.00	8,75,803.00
कुल		8,75,803.00
विविध सेवाओं के शुल्क का विवरण		
लाईसेंस शुल्क	1,014,230.00	
आर.टी.आई शुल्क	20.00	1,014,250.00
कुल		1,014,250.00
विविध आय का विवरण		
समाचार पत्रों की बिक्री	4,999.00	
टेंडर प्रपत्र की बिक्री	1,65,850.00	1,70,849.00
कुल		1,70,849.00
भुगतान भत्ता का विवरण		
अधिकारी/कर्मचारी भुगतान टीए/डीए	5,32,372.00	
ओवरटाईम भत्ता	8,252.00	5,40,624.00
कुल		5,40,624.00
अन्य प्रशासनिक व्यय का विवरण		
अनुबंध स्टॉफ का वेतन	1,566,849.00	
कन्सयूमेबल स्टोर	1,40,448.00	

fssai

जेनरेटर व्यय	61,080.00	
सामान्य व्यय	25,343.00	
नेटवर्किंग शुल्क	3,42,508.00	
समाचार पत्र व्यय	26,869.00	
कार्यालय व्यय	18,336.00	
टेलीफोन व मोबाईल व्यय	3,24,352.00	
इंटरनेट शुल्क	9,837.00	2,515,622.00
कुल		2,515,622.00
मरम्मत व रखरखाव कार्य पर व्यय का विवरण		
ए.सी प्लॉन्ट की मरम्मत	3,00,526.00	
लिफ्ट की मरम्मत	1,50,562.00	
कार्यालय रखरखाव व्यय	5,890,890.00	
वार्षिक निर्वाह व्यय, वाटर पंप	1,24,298.00	
अन्य मरम्मत एव रखरखाव	3,550.00	6,469,826.00
कुल		6,469,826.00
भाड़ा, किराया और कर का विवरण		
लाइसेंस शुल्क (किराया मुक्त आवास)	20,826.00	
कार्यालय शुल्क (गुवाहाटी)	22,000.00	42,826.00
कुल		42,826.00
पोस्टेज एवं टेलीग्राम व्यय		
कुरियर व्यय	57,709.00	
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	11,267.00	68,976.00
कुल		68,976.00
यात्रा एवं कन्वेंस व्यय का विवरण		
पर्यटन एवं यात्रा व्यय	2,57,668.00	
मोटर टैक्सी किराये पर लेने का व्यय	1,863,703.00	
तेल एवं डीजल का व्यय	1,19,451.00	
कन्वेन्स व्यय	13,909.00	2,254,731.00
कुल		2,254,731.00
अतिथि सत्कार व्यय का विवरण		
हाउस–कीपिंग भार	7,44,082.00	
सुरक्षा पर व्यय	5,18,622.00	1,262,704.00
कुल		1,262,704.00

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को स्थापित

प्राप्तियां	अनुसूची	31.3.2009
आरंभिक नगदी एवं बैंक शेष		
नगदी विवरण		-
बैंक		-
डी.जी.एच.एस.–स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुदान		80,000,000.00
बैंक ऑफ बड़ौदा से ब्याज		1,47,797.00
लाइसेंस शुल्क		1,014,230.00
आर.टी.आई. शुल्क		20.00
समाचार पत्रों की बिक्री		4,999.00
टेंडर फार्म की बिक्री		1,65,850.00
धरोहर जमा राशि		30,000.00
		81,362,896.00
भुगतान		31.3.2009
स्थायी परिसंपत्ति की खरीददारी	B	11,662,003.00
कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय	A	29,999,046.00
अग्रिम		
मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड		15,000.00
मैसर्स राष्ट्रीय सूचना केन्द्र		8,56,603.00
डीएवीपी		3,000.00
मैसर्स बैग फुल इंटर		1,200.00
श्री.पी.आई सुवरत्न (इंप्रेस्ट) एकाउंट		5,000.00
डिप्टी डायरेक्टर (एफ एंड वी पी) चैन्नई		10,000.00
एल टी सी अग्रिम (श्री एस. के. शर्मा)		41,000.00
समापन राशि, बचत बैंक और नगदी		-
नगदी		38,770,044.000
बैंक ऑफ बड़ौदा		81,362,896.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24	
आकस्मिक देनदारी एवं लेखों पर टिप्पणियां	25	

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची क:- कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय

	राशि (रु.)
परामर्श शुल्क	4,14,574.00
कन्स्यूमेबल स्टोर	1,39,375.00
कन्वेन्स व्यय	13,909.00
कूरियर व्यय	57,709.00
बिजली व्यय	5,597,303.00
सामान्य व्यय	25,343.00
जेनरेटर व्यय	61,080.00
हाउस–कीपिंग व्यय	6,66,396.00
मोबाइल व्यय	21,225.00
समाचारपत्र व्यय	26,869.00
कार्यालय व्यय	18,336.00
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	11,267.00
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	4,71,394.00
मरम्मत एवं रखरखाव एकाउंट	3,550.00
स्टॉफ एवं कल्याण व्यय	40,830.00
टेलीफोन व्यय	2,74,102.00
वाटर व्यय	1,46,625.00
प्रशा. व्यय	1,202,875.00
विज्ञापन एव प्रचार व्यय	9,18,814.00
वार्षिक रखरखाव वाटर पंप	1,24,298.00
सभा, सेमिनार एवं मीटिंग व्यय	2,50,551.00
इंटरनेट भार	9,837.00
एम्प्लीफायर	3,42,508.00
एसी प्लांट की मरम्मत	2,69,964.00
लिफ्ट की मरम्मत	1,50,562.00
मेडिकल व्यय	12,306.00
मोटर गाड़ी के किराया के मद में	1,587,439.00
कार्यालय रखरखाव व्यय	5,890,890.00
कार्यालय किराया व्यय	22,000.00
तेल एवं डीजल व्यय	1,19,451.00
ओवर टाईम भत्ता	8,252.00
भाड़ा, किराया और कर	20,826.00
स्टॉफ को वेतन भुगतान	9,832,364.00
सुरक्षा पर व्यय	4,41,279.00
टीए/डीए – अधिकारी, कर्मचारी	5,32,372.00
यात्रा भत्ता	2,57,668.00
गाड़ी भाड़ा एवं रखरखाव व्यय	14,903.00
कुल योग	**29,999,046.00**

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
31.03.2009 को प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची ख:- स्थायी परिसंपत्तियों की खरीददारी

	राशि (रु.)
एबेंसडर कार	5,63,772.00
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	6,94,922.00
बीटेल ट्वीन फोन	7,228.00
मोबाईल फोन	63,799.00
कॉर्डलेस फोन	8,476.00
फैक्स मशीन	45,240.00
गीज़र ए.सी	16,042.00
माइक्रोवेव	13,350.00
ऑयल फील्ड रेडियेटर	26,438.00
वोल्टेज स्टेबलाइजर	19,200.00
वाटर डिस्पेन्सर	6,500.00
कम्प्यूटर	3,510,390.05
यू.पी.एस	2,42,283.00
प्रिंटर एवं स्केनर	1,344,496.95
ऑडियो कान्फ्रेंस सिस्टम	1,051,812.00
एलसीडी टीवी	9,19,209.00
प्लाज्मा टीवी	2,730,875.00
टाटा स्काई एवं ईपीआरएस सिस्टम	9,098.00
सिमन हाई पाथ 1150 डिजिटल पावर सिस्टम	3,01,573.00
डिजिटल कैमरा	33,800.00
पुस्तकालय के लिए किताबें	53,499.00
कुल	**11,662,003.00**

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate, New Delhi-110002

ए.एम.जी. -IV/ एस.ए.आर. / भा.खा. स.मा.प्रा. / 2009–10 / 520 दिनांक

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार
स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन,
नई दिल्ली–110001

विषय: वर्ष 2008–09 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदया / महोदय,

मैं, भारतीय खाद्य संरक्षण् एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008–09 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2008–09 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षो के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यो को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय

निदेशक (ए.एम.जी.-IV)

अनुलग्नक:यथोपरि

Telephone : 91-11-2345100, Fax : 91-11-23702271 e-mail : dgacr@cag.gov.in

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लेखों के संबंध में
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संलग्न तुलन–पत्र तथा उल्लिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों और संदाय लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रबंधन वर्ग का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानदंडों और प्रकटन मानकों के अनुपालन आदि के संबंध में लेखांकन संव्यवहार के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमितता) के अनुपालन, कुशलता एवं कार्यप्रदर्शन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, पृथक रूप से निरीक्षण प्रतिवेदनों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानदंडों में अपेक्षित है कि हम यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाए एवं संपन्न करें कि क्या वित्तीय विवरण वस्तुपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल होता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और लगाए गए महत्त्वपूर्ण अनुमानों की विवेचना करना, और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के अनुसार युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारा प्रतिवेदन है किः

i. हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii. इस प्रतिवेदन में जिस तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियों तथा संदाय लेखा पर विचार किया गया है, उनको वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार नहीं किया गया है।

iii. हमारी राय में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा लेखों की उपयुक्त बहियां और अन्य संगत अभिलेख रखे गए हैं, जहां तक कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. आगे हमारा प्रतिवेदन है किः

क. आय एवं व्यय लेखा

क.1 आय

क.1.1 अनुदानों का लेखा–जोखा नहीं है

रु. 8.00 करोड़ के सहायता अनुदान (योजना) को लेखा एवं व्यय में वर्ष की आय के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप उसी राशि द्वारा आय को कम करके बताया गया है।

ख. सामान्य

1 अनुसूची 24 एवं 25 "महत्वपूर्ण लेखांकन नीति" और "आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणी" तैयार नहीं किये गये है।

ग. सहायता अनुदान

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को रु. 800 लाख का अनुदान (योजना) प्राप्त हुआ है। इसकी स्वयं की 13.33 लाख की प्राप्तियां हैं। इसने रु. 426.68 लाख इस्तेमाल किए हैं।

घ. **प्रबंधक वर्ग का पत्रः** खामियां, जिनको लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है, निवारक/शोधक कार्यवाहियों हेतु पृथक रूप से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधक वर्ग को सूचित किया गया हैं।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अपनी टिप्पणियों के अध्यधीन, हमारा प्रतिवेदन है कि इस प्रतिवेदन में सम्मिलित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा संदाय लेखे, लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उल्लिखित वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियां और लेखो संबंधी टिप्पणियों के साथ पठनीय, और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्याधीन, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य और सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

क. जहां तक कि उनका 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति के तुलन–पत्र के साथ संबंध है, और

ख. जहां तक कि उनका उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखा के साथ संबंध है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29-6-10

महानिदेशक लेखापरीक्षा
केंद्रीय व्यय

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुबंध–1

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की पर्याप्तताः**

   - इस संगठन में न तो कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र है और न ही मंत्रालय ने वर्ष 2008–09 के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा की है।

2. **आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तताः**

   निगरानी

   - यहां कर्तव्यों का कोई पृथक्कीकरण नहीं है। बिल पास करने, चेक बनाने और रकम वितरित करने का कार्य केवल एक अधिकारी द्वारा किया जाता है।

3. **नियत परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जांच का तंत्रः**

   - नियत परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई है।

4. **वस्तुसूची की प्रत्यक्ष जांच का तंत्रः**

   - पुस्तकों और प्रकाशनों तथा अन्य उपभोज्य वस्तुओं जैसी वस्तुसूची की प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई है।

5. **सांविधिक देयताओं के संदाय में नियमितताः**

   - कोई सांविधिक संदाय छह माह से अधिक के लिए बकाया नहीं है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तीसरा एवं चौथा तल, खाद्य एवं औषधि प्रशासनिक भवन,
कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002
फोन : 011–23237435

Newfields / M. P. Printers

Annual Report 2008-09

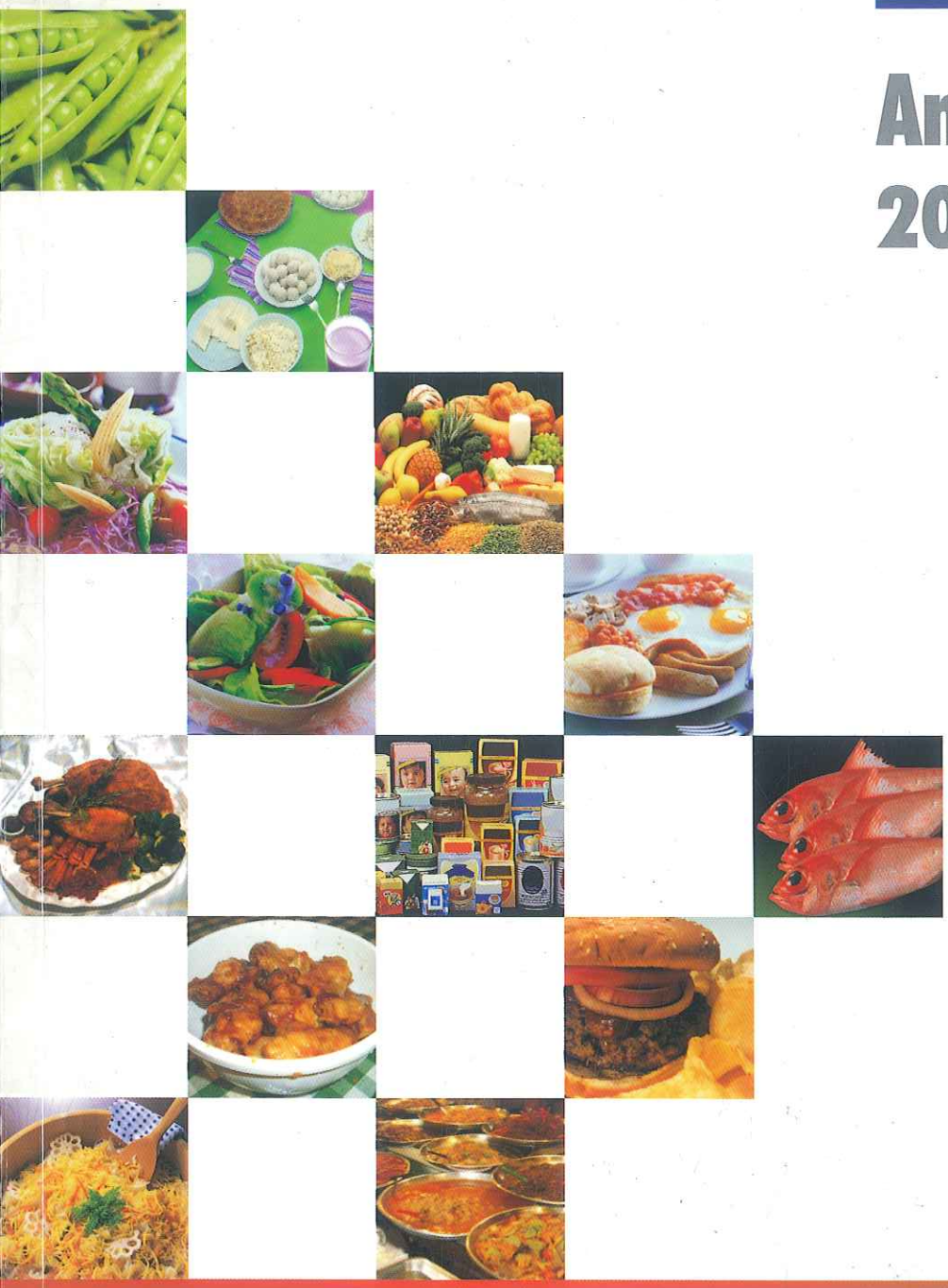

Food Safety and Standards Authority of India

Food Safety and Standards Authority of India

Food Safety and Standards Authority of India

Food Safety and Standards Authority of India

fssai

Food Safety and Standards Authority of India

Safe Food for Healthy Life

fssai

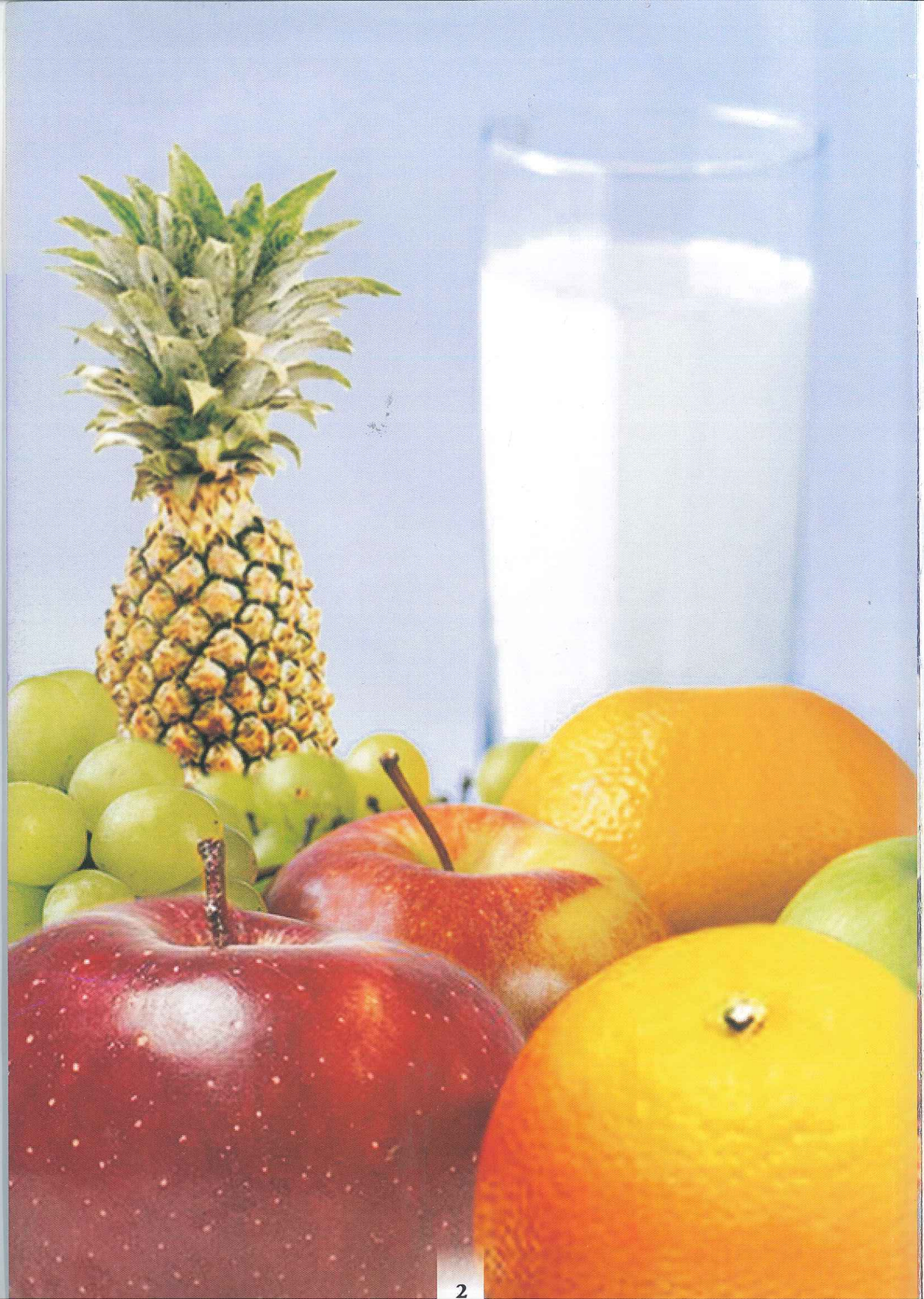

fssai

CONTENTS

Overview	5
Composition	10
Committees and Panels	14
Administrative Divisions in FSSAI	17
Activities	39
Roadmap	42
Expenditure Statement	45

Overview of
The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has been established under the Food Safety and Standards Act, 2006 as a statutory body for laying down science based standards for articles of food and regulating manufacturing, processing, distribution, sale and import of food so as to ensure safe and wholesome food for human consumption.

Highlights of the Food Safety and Standards Act, 2006

The Food Safety and Standards Act, 2006 aims to establish a single reference point for all matters relating to food safety and standards, by moving from multi-level, multi-departmental control to a single line of command. Various Acts and Orders that have hitherto handled food related issues in various Ministries and Departments will be consolidated. Thus, the Central Acts like Prevention of Food Adulteration Act, 1954, Fruits Product Order, 1955, Meat Food Products Order, 1973, Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947, Edible Oils Packaging (Regulation) Order, 1998, Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, Milk and Milk Products Order, 1992 etc. will be repealed after commencement of the FSS Act, 2006.

Establishment of the Authority

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India is the administrative Ministry for FSSAI. The Authority was notified on 5th September, 2008 with 22 members. The head office of the Authority is at Delhi. The Chairperson and the Chief Executive Officer of FSSAI have already been appointed by Government of India. The Chairperson and Chief Executive Officer are in the rank of Secretary and Additional Secretary to Government of India respectively.

Shri P.I. Suvrathan, former Secretary to Ministry of Food Processing Industries, has been appointed as the first Chairperson of FSSAI on 10th June, 2008. Shri G. Balachandhran was the first Chief Executive Officer of the Authority and on 10th February, 2009 (F/N), Shri V.N. Gaur joined as the Chief Executive Officer of the Authority in his place.

Inauguration of FDA Bhavan

Duties and Functions of the Authority

FSSAI has been mandated by the FSS Act, 2006 for performing the following functions:

- Framing of Regulations to lay down the Standards and guidelines in relation to articles of food and specifying appropriate systems of enforcing various Standards thus notified.
- Laying down mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of Food Safety Management Systems for food businesses.
- Laying down procedure and guidelines for accreditation of laboratories and notification of the accredited laboratories.
- To provide scientific advice and technical support to the Central Government and State Governments in matters of framing the policy and rules in areas which have a direct or indirect bearing on food safety and nutrition.
- Collect and collate data regarding food consumption, incidence and prevalence of biological risk, contaminants in food, and residues of various contaminants in food products, identification of emerging risks and introduction of rapid alert system.
- Creating an information network across the country so that the public, consumers, panchayats etc. receive rapid, reliable and objective information about food safety and issues of concern.
- Provide training programmes for persons who are involved or intend to get involved in food businesses.
- Contribute to the development of international technical standards for food, sanitary and phyto- sanitary standards.
- Promote general awareness about food safety and food standards.

Meeting of Authority in Progress

Composition of FSSAI

The FSSAI consists of a Chairperson, Member Secretary and 22 members as below:

Chairperson

Shri P.I. Suvrathan

Member Secretary

Shri G. Balachandhran (till 9th February, 2009),
Shri. V. N. Gaur (w.e.f. 10th February, 2009)

Ex-officio members under Section 5(1)(a)

1. Smt. Upma Chawdhary, JS (Agriculture)
2. Sh. Dinesh Sharma, JS (Commerce)
3. Sh. Sanjay Singh, JS (Consumer Affairs)
4. Sh. K. Rajeswara Rao, JS (Food Processing)*
5. Sh. Debasish Panda, JS (Health)
6. Dr. Sanjay Singh, JS (Legislative)
7. Sh. Sanjeev Kaushal, JS (MSME)**

Two representatives of Food Industry

From Small Scale Industry

8. Ms. Mona Malhotra Chopra, All India Food Processors Association

From Large Scale Industry

9. Ms. Indrani Kar, Director & Head, Agriculture and Food Division, CII

Two representatives of Consumer Organisations

10. Mrs. Vasundhara Pramod Deodhar from Mumbai Grahak Panchayat, Mumbai
11. Shri Bejon Misra, Acting Director, Consumer Coordination Council, New Delhi

Three eminent Food Technologists/ Scientists

12. Dr. S. Girija, Integrated Fisheries Project, Ministry of Agriculture & Cooperation, Cochin (Woman)
13. Dr. N.N. Varshney, Adv., NDDB, Anand
14. Dr. Ms. Indira Chakravarty, Director, AIIH & Public Health, Kolkata

Five representatives of States/ UTs

15. Shri Tape Bagra, Secretary, Health, Govt. of Arunachal Pradesh

Members of Authority during the first meeting

16. Dr. (Smt.) P. Sucharitha Murthy, Director, Institute of Preventive Medicine, AP From Govt. of Andhra Pradesh.
17. Dr. S.K. Paul, Dy. Director (Health), A&N Island Administration
18. Smt. Navraj Sandhu, Commissioner & Secretary (Health), Govt. of Haryana
19. Shri Shiv Narayan Sahu, Dy. Drugs Controller, Govt. of Bihar

Two representatives of Farmers' Organisations

20. Dr. (Mrs.) T.A. Kadarbhai, Grapes Growers Assoc., Pune- Grape Grower
21. Shri V. Balasubramaniam, General Secretary, Prawn Farmers' Federation of India- Sea Food/Fisheries

One representative of Retailers' Organisations

22. Shri Gibson G. Vedamani, CEO, Retailers Association of India, Mumbai

* Shri Goutam Sanyal, JS was nominated by the Ministry of Food Processing Industries on 18th December, 2008 to represent the Ministry and he attended the first meeting of the Authority held on 19th December, 2008.

** Shri K.S.Ludu, Addl. Development Commissioner was nominated by the Ministry of MSME on 28th November, 2008 to represent the Ministry and he attended the first meeting of the Authority held on 19th December, 2008.

Left & above : Members of Authority during discussions

Committees and Panels

Central Advisory Committee

Section 11 of the Food Safety and Standards Act, 2006 authorises the FSSAI to create a Committee to be known as Central Advisory Committee (CAC). The Central Advisory Committee would advise the Authority on the programme, prioritization of work, identifying potential risks and pooling of knowledge. The Central Advisory Committee will comprise of two members each representing the interests of:

- Food Industry
- Agriculture
- Consumer Organisations
- Relevant Research Bodies
- Food Laboratories

All Commissioners of Food Safety from the States/ UTs and the Chairperson of the Scientific Committee will also be its members.

The representatives of the concerned Ministries or Departments of the Central Government in Agriculture, Animal Husbandry and Dairying, Biotechnology, Commerce Affairs, Environment and Forests, Food Processing Industries, Health, Panchayat Raj, Small Scale Industries and Food and Public Distribution or Government Institutes or Organisations and Government Recognized Farmers' Organisations would be the invitees to the deliberations of the Central Advisory Committee. Once established, it would comprises of 46 members.

Authority has invited nominations for CAC and drafted regulations for transaction of business and rules of procedure of CAC. Food Authority in its first meeting resolved to approve the draft regulations pertaining to CAC subject to certain modifications. These modifications, along with the comments of the Ministry of Health and Family Welfare are being incorporated and Regulations are being drawn up. The Authority is in the process of finalizing members of CAC.

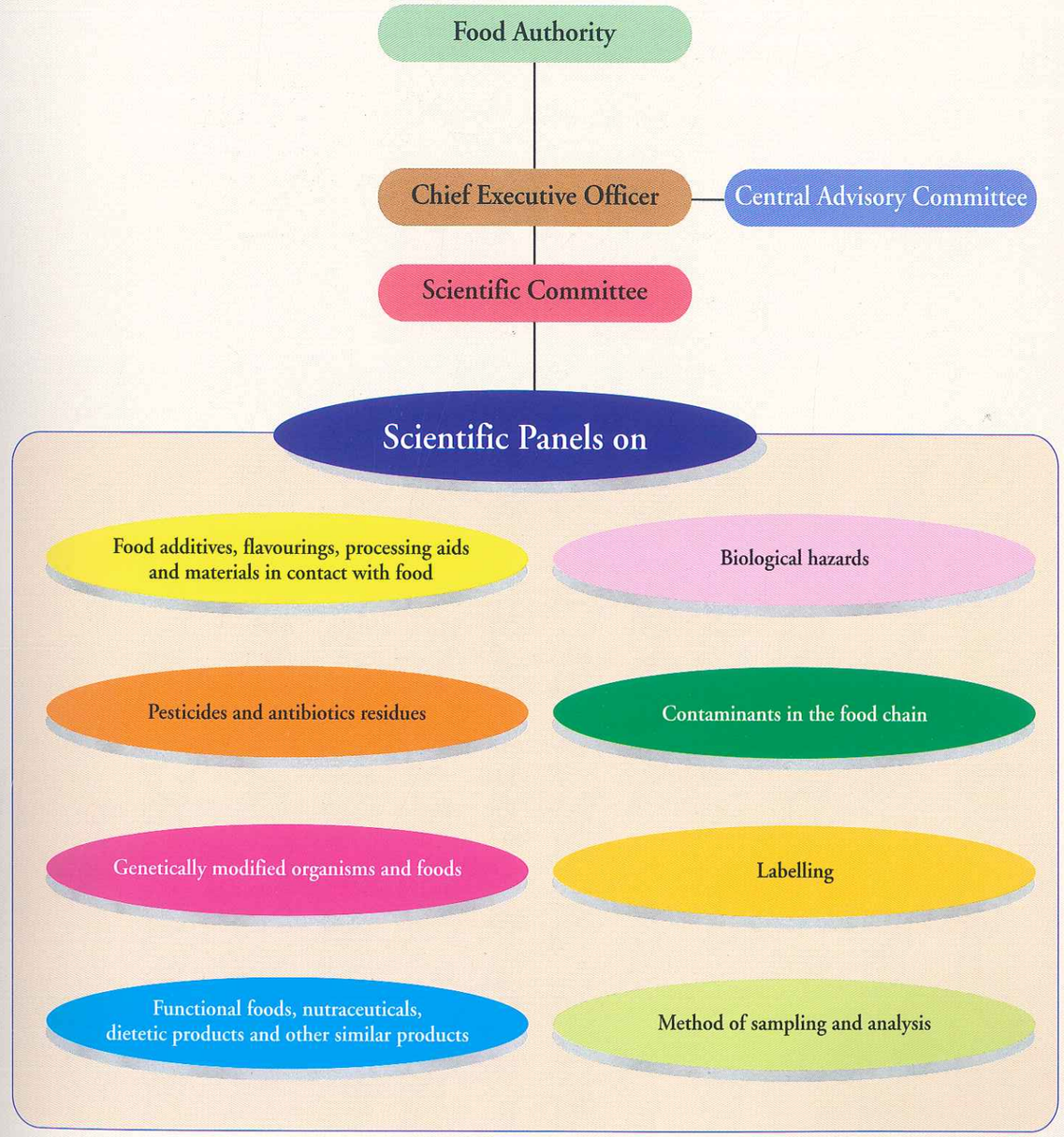

Delegations from Thailand

Scientific Committee and Scientific Panels

Sections 13 & 14 of the Food Safety and Standards Act, 2006 authorises the FSSAI to establish Scientific Panels comprising of independent scientific experts and Scientific Committee to provide advice and scientific opinions to the FSSAI.

The Scientific Panels would consist of experts in areas such as food additives, pesticides and antibiotic residues, genetically modified organisms and foods, biological hazards, contaminants in the food chains, labelling, methods of sampling etc. It shall invite the relevant industry and consumer representatives in its deliberations whenever needed.

The Chairpersons of the Scientific Panels together with independent scientific experts who are not part of the Scientific Panels would comprise of the Scientific Committee which would be the main advisory body within the Authority on matters pertaining to science. Matters not covered by the Scientific Panels or matters that overlap due to multi- sectoral implications would be dealt with by the Scientific Committee. FSSAI has already invited proposals from experts for participation in Scientific Panels and Scientific Committee.

Authority has drafted regulations on procedure for establishment and operation of Scientific Committee and Scientific Panels. The Food Authority in its first meeting resolved to approve the draft regulations subject to certain modifications.

Administrative Divisions in FSSAI

I. Administration

Organisational Set-up

The Authority is headed by Chief Executive Officer, who is responsible for the day-to-day administration of the FSSAI. Right now, a Secretariat with minimal staff is in place, details of which are as below :

Transition Mechanism

The FSSAI is currently functioning with the posts initially sanctioned by Ministry of Health and Family Welfare.

Initial posts Sanctioned by Ministry of Health and Family Welfare to FSSAI

S.No.	Name of Post	Sanctioned Strength
1.	Chairperson	01
2.	CEO (Addl. Sect. Level)	01
3.	Director	03
4.	Deputy Director	06
5.	Assistant Director	06
6.	Senior Account Officer	01
7.	Assistant Account Officer	01
8.	Senior Private Secretary	02
9.	Private Secretary	04
10.	Assistants	10
11.	Stenographer	12
12.	Peon	03
	Total	**50**

Staff transferred from various Ministries/Departments

Apart from this, various staff who have been transferred from Ministries which have hitherto handled works pertaining to various Orders listed under Second Schedule of the Food Safety and Standards Act,2006 are working in the Authority.

Section 90 of the Food Safety and Standards Act, 2006 provides for transfer of personnel from different Ministries/ Departments who are handling work that has been entrusted to the Authority. Accordingly, notifications have been issued under this section transferring all the concerned officials from different Ministries/ Departments to FSSAI. These personnel are mainly engaged in the enforcement of various Central Acts and Orders listed in the Second Schedule of FSS Act, 2006 and Central Food Laboratories.

Acts and Orders listed in the Second Schedule of FSS Act, 2006

1. Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954)
2. Fruits Product Order, 1955
3. Meat Food Products Order, 1973
4. The Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947
5. The Edible Oils Packaging (Regulation) Order, 1998
6. The Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967
7. The Milk and Milk Products Order, 1992
8. Any other order issued under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) relating to Food.

Staff Transferred from Various Ministries

Order / Act	Ministry / Department	Number of Posts transferred to FSSAI
FPO	Ministry of Food Processing Industries	76
MFPO	Ministry of Food Processing Industries	50
PFA-HQ	Ministry of Health and Family Welfare	22
PFA – Labs	Ministry of Health and Family Welfare	160
MMPO	Department of AH, Dairying & Fisheries	2*
Total		**310**

*Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries has 7 sanctioned posts under the MMPO, however only 2 Posts under the MMPO along with employees have been transferred.

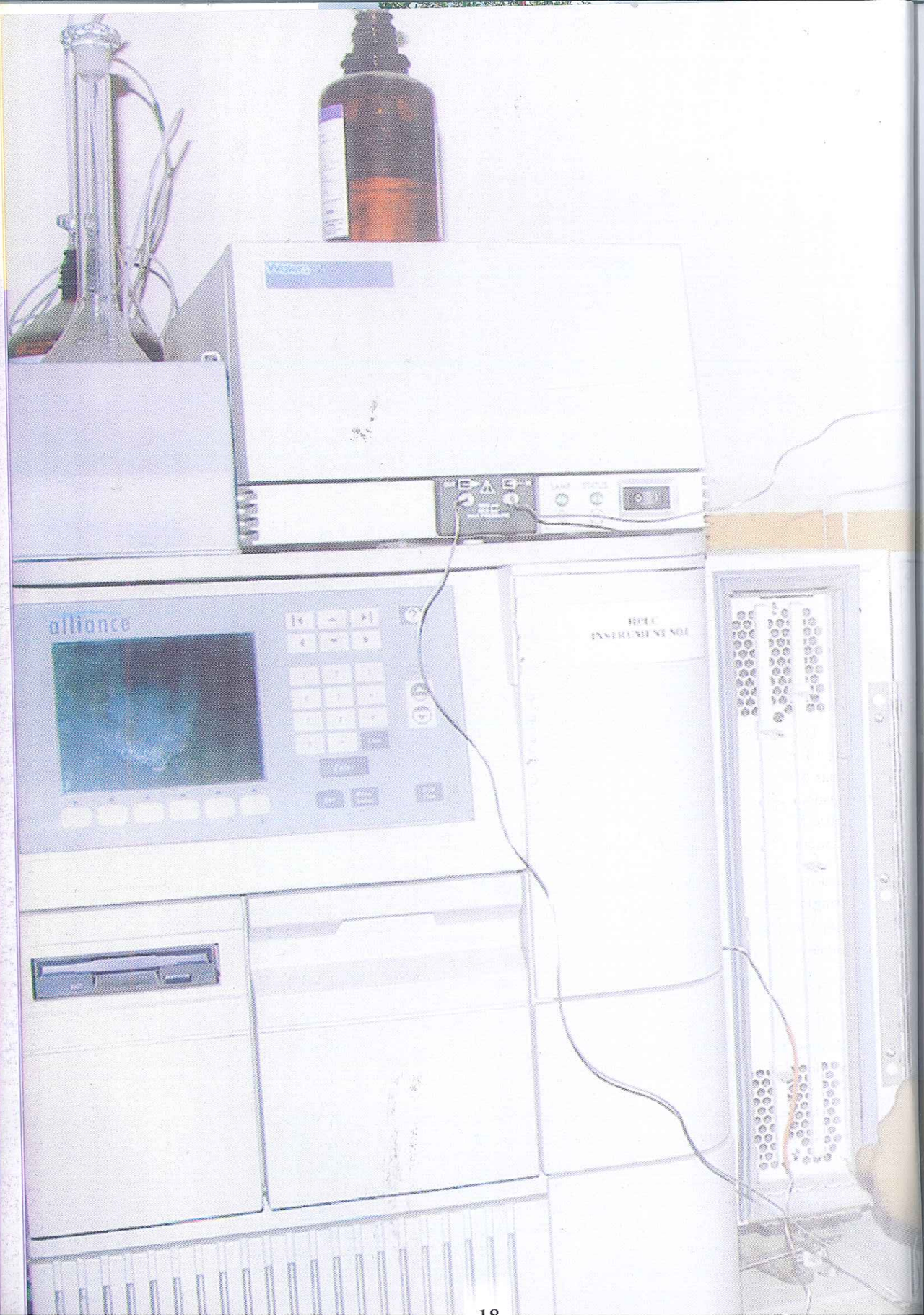

PFA Laboratories

Laboratory	No. of Posts
CFL, Kolkata	81
FRSL, Ghaziabad	51
CFL, Mumbai**	18
CFL, Sonauli	05
CFL, Raxaul	05
Total	160

***CFL Mumbai is not operational.*

Note - Department of Food and Public Distribution are having 13 Posts under three Orders viz. The Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947: the Edible Oils Packaging (Regulation) Order, 1998 and the Solvent Extracted Oil, De-Oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967. So far, these posts have not been transferred to FSSAI.

Subsequent to the transfer of Staff, FSSAI has offices in the following locations across the Country:

1. Delhi 2. Mumbai 3. Chennai 4. Kolkata 5. Guwahati 6. Lucknow 7. Chandigarh 8. Sonauli 9. Raxaul 10. Ghaziabad

New Organisational Structure and Proposed Administrative Mechanism of FSSAI

The Authority in its first meeting approved the proposed organisational structure which includes staff at Headquarter, Regional offices and Laboratories. This structure has been designed keeping in view the mandate of the FSSAI as per the FSS Act, 2006 and the expanding scope of the Food Safety and Quality issues.

Areas like Safety, Standards, Enforcement, International Cooperation, Administration, Finance, and Information Technology have been identified. Once approvals are obtained for the proposed posts from Government of India, appropriate personnel from Government, Scientific Community and outside would be selected to fill up the created posts. The proposal has been submitted to Ministry of Health and Family Welfare.

Mechanism in the States

The implementation of PFA Act, 1954 in the States is performed by the Food Commissioners notified by the State Governments. The following 12 States have notified their State Food Commissioners:

1. Govt. of Gujarat	7. Govt. of Tripura
2. Govt. of Kerala	8. Govt. of Tamil Nadu
3. Govt. of Madhya Pradesh	9. Govt. of Punjab
4. Govt. of Nagaland	10. Govt. of Orissa
5. Govt. of NCT of Delhi	11. Govt. of Meghalaya
6. Govt. of Karnataka	12. Govt. of Andhra Pradesh

The State Food Commissioners will be Heads of state level agencies for enforcing the food laws and the instructions issued by FSSAI. The authority would also designate personnel at airports, seaports, borders and other entry points to regulate and monitor the food items that are brought into the country.

II. Prevention of Food Adulteration Act, 1954

The Act was promulgated by Parliament in 1954 to make provision for the prevention of adulteration of food, along with the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 which was incorporated in 1955. Broadly, the PFA Act covers food standards, general procedures for sampling, analysis of food, powers of authorized officers, nature of penalties and other parameters related to food. It deals with parameters relating to food additives, preservatives, colouring matters, packing and labelling of foods, prohibition and regulations of sales etc. Like FPO, amendment in PFA rules are incorporated on the recommendation of the Central Committee of Food Standards (CCFS) which has been setup by Central Government under the Ministry of Health and Family Welfare comprising members from different regions of the country. The provisions of PFA Act and Rules are implemented by State Government and local bodies.

Prevention of Food Adulteration Act, 1954 will be repealed from the date to be notified by the Central Government as per the Food Safety and Standards Act, 2006. Till new standards are specified, the requirement and other provisions of the PFA Act, 1954 and Rules, 1955 shall continue to be in force.

The work of PFA Division along with the staff administering the Act was transferred to the Food Authority in December, 2008, in pursuance of Section 90 of the Food Safety and Standards Act, 2006. The PFA Division has generated the

initial drafts of the following Rules and Regulations for the FSS Act, 2006, which are in the process of further scrutiny in consultation with State Governments. The draft rules and regulations are relating to:-

(i) Draft Rules in exercise of the powers conferred by clause (b) to (m) of sub-section (2) of section 91 read with section5,7,30,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,68,70, 71,73,74,75,76,77,78,81,82,83 and 84 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) relating to qualification of Food Safety Officer, qualification of food analyst, manner of sending samples, functions of FSO, Procedure for getting food analysed by purchaser, functions and procedure to be followed by food laboratories and other officials.

(ii) Draft regulation in pursuance to clause (q), (r) & (s) of Section 92(2) of FSS Act, 2006 relating to procedure in getting food analysed, details of fees etc., functions, procedure to be followed by food laboratories and procedure to be followed by officials under sub-section (6) of section 47.

(iii) Procedure for Licensing and Registration of Food Business Operators under section 31.

(iv) Operationalization of Food Safety and Standards Act by the State Government.

S. No.	Committees	Title	No. of meeting held
1.	Central Committee	Food Standards	1
2.	Sub-Committee	Food Additives and Contaminants	1
3.	Sub-Committee	Nutrition, Food for Special Dietary Uses, Infant Foods	5
4.	Sub-Committee	Pesticide Residues	5
5.	Sub-Committee	Oils and Fats	1
6.	Expert Group	To review the Method of Analysis of Pesticide Residue in carbonated water.	5

(a) Final Notifications:-

(i) GSR No. 114(E) dated 28.02.2008 - Coating of waxes (shellac) in fresh fruits.

(ii) GSR No. 206(E) dated 25.03.2008 – Adoption of methods of analysis prescribed in the manual of methods for analysis of food brought out by Ministry of Health & Family Welfare.

(iii) GSR No. 467(E) dated 18.06.2008 – Revision of B.R./I.R. value of Olive oil.

(iv) GSR No. 500(E) dated 05.07.2008 – Revision of standards of packaged drinking water.

(v) GSR No. 664(E) dated 19.09.2008 – Revision of labelling provision of food articles.

(vi) GSR No. 754(E) dated 27.10.2008 – Revision of standards of Rice Bran Oil.

(b) Draft Notifications:-

(i) GSR No. 106(E) dated 25.02.2008 – Revision of standards of Rice Bran Oil.

(ii) GSR No. 208(E) dated 25.03.2008 – Revision of standards of milk products allowing of some food additives including microbiological parameters and revision of standards of chakka and shrikand.

(iii) GSR No. 380(E) dated 15.05.2008 – Revision of labelling provisions of food articles.

(iv) GSR No. 498(E) dated 05.07.2008 – M.R.L.s of pesticide residues in carbonated water.

(v) GSR No. 524(E) dated 15.07.2008 – M.R.L.s of pesticide residues in food articles.

(vi) GSR No. 871(E) dated 23.12.2008 – Revision of standards of fruit products.

(vii) GSR No. 42(E) dated 22.01.2009 – Sale of food additives conforming to Bureau of Indian Standards specifications.

(viii) GSR No. 43(E) dated 22.01.2009 – Use of Polyols in food, SHMP in fruit drinks/ fruit beverages and aspartame, acesulfame potassium and sucralose in certain food articles.

(ix) GSR No. 44(E) dated 22.01.2009 – To increase the quantity of samples of certain food articles for analysis.

The PFA Act (Rules implemented by State/ UT Government their Food (Health) Authorities, Local (Health) Authorities and Local Bodies, empower the Licensing Authorities appointed by the State/ UT Government under PFA Rules (Rule 50), issue the licences to food business operators. A statement showing the status of pending court cases pertaining to PFA is at Annexure 'A'.

Illustrated exhibit nutrition label

Nutritional information	
Energy	xxxx
Carbohydrate	xxxx
Sugars	xxx
Protein	xiixx
Fat, Saturated Fat	xxxx
MUFA, PUFA, Trans Fat	xxx
Cholesterol	xiix
Sodium	iixxi
Potassium	xxxx

Food Research & Standardisation Laboratory, Ghaziabad (UP)

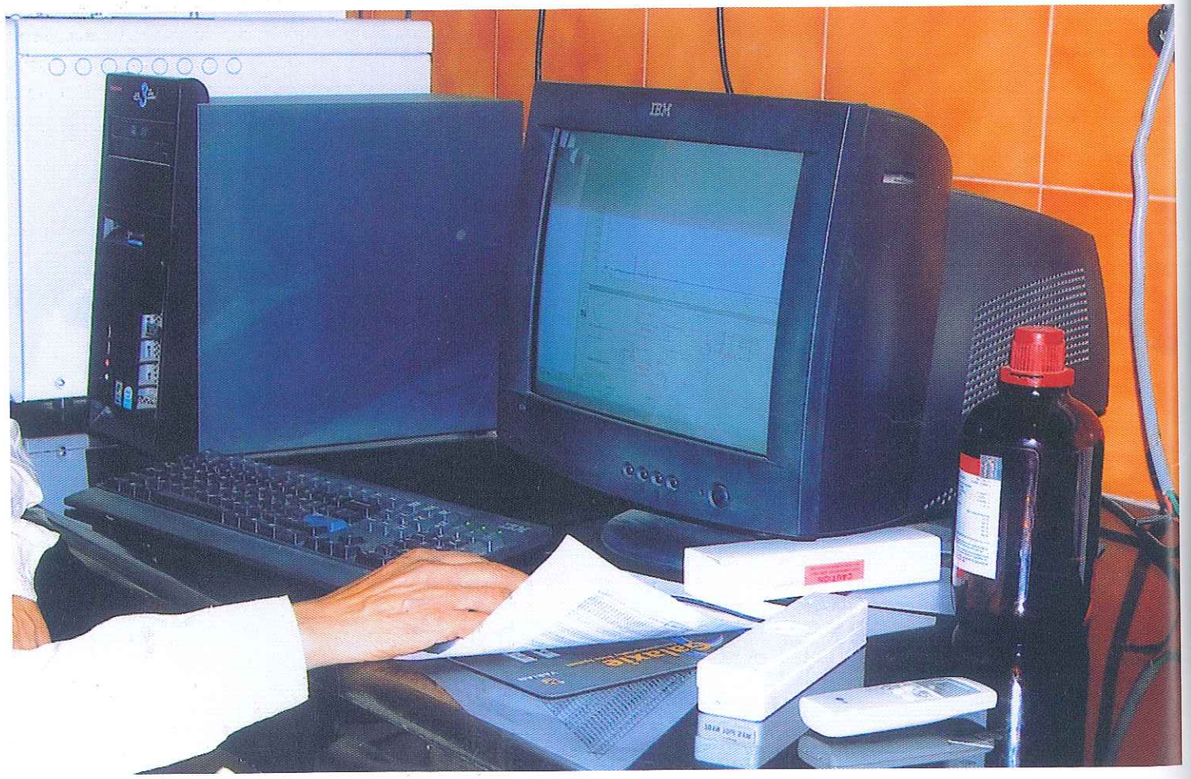

Annexure 'A'

Information regarding No. of Cases pertaining to PFA pending with Courts as on 31st December, 2006* in various States/ UTs in the Country

S. No.	Name of the State/ UT	No. of Cases pending with courts as on 31.12.2006
1.	Andhra Pradesh	3494
2.	Arunachal Pradesh	Nil
3.	Assam	474
4.	Bihar	NA
5.	Goa	77
6.	Gujarat	4415
7.	Haryana	3833
8.	Himachal Pradesh	501
9.	Jammu & Kashmir	5502
10.	Karnataka	351
11.	Kerala	NA
12.	Madhya Pradesh	8947
13.	Maharashtra	8871
14.	Manipur	Nil
15.	Meghalaya	110
16.	Mizoram	Nil
17.	Nagaland	02
18.	Orissa	1266
19.	Punjab	1388
20.	Rajasthan	NA
21.	Sikkim	Nil
22.	Tamil Nadu	2205
23.	Tripura	20
24.	Uttar Pradesh	19555
25.	West Bengal	1612
26.	A&N Island	Nil
27.	Chandigarh	1082
28.	Dadar & Nagar Haveli	19
29.	Daman & Diu	Nil
30.	Delhi	NA
31.	Lakshadweep	NA
32.	Pondicherry	17
33.	Chhattisgarh	1608
34.	Jharkhand	Nil
35.	Uttarakhand	466
	Total	**66911**

* *Further reports from the States & UTs are awaited.*

Food Research & Standardisation Laboratory, Ghaziabad

Food Research and Standardisation Laboratory, Ghaziabad was established in 1971 under Directorate General of Health Services / Ministry of Health and Family Welfare, to check adulteration and to undertake analysis of food samples from market for the purpose of determining their quality and purity.

This laboratory is working as Appellate Laboratory (Central Food Laboratory) under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 to check the adulteration of food samples.

Area Specified for receiving samples w.e.f. 28th August, 2002

Hon'ble courts of States and UT's – Bihar, Goa, Jharkhand, Madhya Pradesh, West Bengal, UT of Dadar and Nagar Haveli, Daman & Diu and Pondicherry.

All Seaports/Airports/Inland Container Depots in the UT's/ States of:-

Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Uttarakhand.

All International borders in the States of Himachal Pradesh, Rajasthan, J& K, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

Apart from this Laboratory, there are other Central Food Laboratories situated in Kolkata, Mumbai, Sonauli and Raxaul. Sonauli and Raxaul are situated in the Indo-Nepal border. Mumbai Laboratory is yet to become functional.

Central Food Laboratory, Kolkata

Central Food Laboratory, Kolkata was established in 1955 under Directorate General of Health Services, Nirman Bhavan, New Delhi, vide letter no. PFA/Sec 4/F.11-4/55-D) (I) dated. 1st June, 1955 of Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi to undertake analysis of food samples from trying courts from all over the country and from market to determine the quality and purity of the food and to lay down standards for food Articles. Initially the Central Food Laboratory was established in the premises of All India Institute of Hygiene and Public Health, C.R. Avenue, Calcutta-700012. Afterwards it was shifted to its own building situated at 3, KYD Street, Kolkata-700016.

Prevention of Food Adulteration Act, strives to ensure quality and safety of food, both domestic and imported. There has been constant effort to make the laboratory a Centre of Excellence and to achieve this, the process of Accreditation from NABL had been initiated and application submitted to the concerned authority for final assessment.

Area specified for receiving samples w.e.f. 28th August, 2002

Hon'ble courts of States and UTs – Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, Uttarakhand and Union Territories of Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.

All Seaports/Airports/Inland Container Depots in the UT's/ States of:-

Andaman and Nicobar Island, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Jharkhand and West Bengal.

All International borders in the States of – Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal.

Details of Number of Samples Analysed and Found Adulterated at the Four Central Food Laboratories during the Year 2007

Name of the Central Food Lab	From trial courts under Section 13 (2A)13(2B) of the PFA Act		From Customs, Court Health Officers, Government Department & Specials Samples not connected with PFA Act		Investigational Samples and those of Collaborative Studies		Total	
	Analysed	Adulterated	Analysed	Adulterated	Analysed	Adulterated	Analysed	Adulterated
CFL Pune	613	430	250	06	01	Nil	864	436
CFL Kolkata	25	11	3149	143	73	Nil	3247	154
FRSL Ghaziabad	72	64	608	243	Nil	Nil	680	307
CFTRI Mysore	517	336	1132	172	Nil	Nil	1649	508

fssai

III. Fruit Products Order (FPO), 1955

Fruit Products Order (FPO, 1955) was promulgated under Section 3 of the Essential Commodities Act - 1955 with an objective to manufacture fruit & vegetable products under sanitary and hygienic conditions in the factory premises and maintaining quality standards laid down in the Order. It is mandatory for all manufacturers of fruit and vegetable products including some non fruit products like sweetened aerated water, non fruit syrup and non fruit vinegar etc. to obtain a license under this Order. License is granted after ensuring that the sanitary & hygienic and other requirements laid down under FPO are fulfilled. Some of the basic requirements in the manufacturing premises are as under:

1. Open and clean surroundings of the factory
2. Sanitary and hygienic conditions of the premises
3. Personnel hygiene
4. Availability of Potable water
5. Installation of required Machinery & Equipment
6. Provision of quality control facility & Technical staff

There are minimum Standards for products and limits of preservatives, toxic metals & other additives etc. laid down under FPO.

The Directorate of Fruit & Vegetable Preservation has five regional offices located in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Guwahati as well as a sub-office at Lucknow under Northern Region. The field officers of the Regional Offices undertake periodic inspections of the manufacturing units to ensure maintenance of hygienic conditions in the factory and draw random samples of products from the factories as well as from market which are analysed in the laboratories to test their conformity according to the specifications laid under FPO.

The Central Fruit Product Advisory Committee comprising of the Officials of concerned Government Departments, Technical experts, representatives of Central Food Technological Research Institute, Bureau of Indian Standards, Fruits and Vegetable Processing Industry and Consumer Organization for recommending amendments in the Fruit Products Order, 1955.

The Statistical figures of major activities pertaining to F & VP Division during the year 2008-09 are given below:

1. Total no. of License granted during the year- 469
2. Total no. of License as on 31.03.09 6483
3. Installed capacity as on 31.03.09 (MT)
   a) Fruit & Vegetable Product 3223103
   b) Sweetened Aerated Water 5874350
4. Total production during 2008 (MT)
   a) Fruit & Vegetable Product 1373586
   b) Non Fruit Products (other than SAW) 23453
   c) Sweetened Aerated Water 2707874
5. Total quantity of Fruit & Vegetables utilized (MT) in manufacturing fruit & vegetable products during 2008
   a) Fruits 1201695
   b) Vegetables 1099871

Region & State wise number of licenses, installed capacity as on 31.03.09, quantity & value of products manufactured and fruits and vegetables utilised during 2008 are given in annexure "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"

fssai

Annexure- B

Region-wise number of licences granted during 2008-09 and total number of licences as on 01st April, 2009

Region	Licences Granted during 2008-09	Total Licences as on 01.04.2009
Northern Region	170	2003
Western Region	98	1970
Southern Region	156	1948
Eastern Region	32	463
Northern Eastern Region	13	99
Total	**469**	**6483**

Annexure- C

Region-wise production and value of Fruit Products, Non Fruit Products and Sweetened Aerated Water (SAW) during the year 2008

Region	Fruit Products		Non Fruit Products		SAW	
	Qty (MT)	Value (Lac Rs.)	Qty (MT)	Value (Lac Rs.)	Qty (MT)	Value (Rs. Lac)
Northern Region	298978	1,21,626	15089	11,869	1257400	2,58,291
Southern Region	696418	2,64,515	3596	1,313	647110	1,87,025
Western Region	304862	1,70,500	3584	2,157	437282	1,33,660
Eastern Region	62026	18,071	1110	642	341052	62,142
North Eastern Region	11302	3,737	74	20	25030	7,563
Total	**1373586**	**5,78,449**	**23453**	**16,001**	**2707874**	**6,48,681**

Annexure-D

Region-wise installed capacity as on 31st March, 2009 (MT)

Region	F &VP	SAW
Eastern Region	146140	330904
Northern Eastern Region	32495	27000
Northern Region	827970	3594630
Southern Region	1687448	1179736
Western Region	529050	742080
Total	**3223103**	**5874350**

Annexure-E

State-wise no. of FPO Licenses in India as on 31st March, 2009

S.No	State	Fruit & Vegetable Products (F&VP)	Sweetened Aerated Water (SAW)	Total
1.	Andaman Nicobar Island	2	4	6
2.	Andhra Pradesh	304	42	346
3.	Arunachal Pradesh	2	0	2
4.	Assam	46	4	50
5.	Bihar	43	5	48
6.	Chandigarh	10	2	12
7.	Chhattisgarh	6	20	26
8.	Dadar Nagar Haweli	7	4	11
9.	Delhi	213	50	263
10.	Goa	42	66	108
11.	Gujarat	318	166	484
12.	Haryana	172	144	316
13.	Himachal Pradesh	120	9	129
14.	J & K	77	5	82
15.	Jharkhand	28	3	31
16.	Karnataka	330	100	430
17.	Kerala	454	63	517
18.	Lakshwadeep Island	0	0	0
19.	Madhya Pradesh	113	27	140
20.	Maharashtra	1055	146	1201
21.	Manipur	15	0	15
22.	Meghalaya	11	1	12
23.	Mizoram	3	0	3
24.	Nagaland	6	1	7
25.	Orissa	20	19	39
26.	Pondicherry	9	13	22
27.	Punjab	233	79	312
28.	Rajasthan	107	106	213
29.	Sikkim	4	0	4
30.	Tamil Nadu	555	78	633
31.	Tripura	6	0	6
32.	Uttar Pradesh	493	48	541
33.	Uttarakhand	134	1	135
34.	West Bengal	314	25	339
Grand Total		**5252**	**1231**	**6483**

Annexure "F"

State-wise total Installed Capacity of FPO licensee manufacturing Fruit and Vegetable Products and Sweetened Aerated Water as on 31st March, 2009

S.No	State	Fruit & Vegetable Products (F&VP) (MT)	Sweetened Aerated Water (SAW)(MT)
1	Andaman Nicobar Island	150	310
2	Andhra Pradesh	801608	499024
3	Arunachal Pradesh	60	00
4	Assam	20120	14500
5	Bihar	16490	60310
6	Chandigarh	4630	30050
7	Chhattisgarh	6220	9850
8	Dadar Nagar Haweli	1030	12250
9	Delhi	32030	728000
10	Goa	8090	58090
11	Gujarat	155100	114260
12	Haryana	115910	174310
13	Himachal Pradesh	93485	48760
14	J & K	19760	66650
15	Jharkhand	6750	52984
16	Karnataka	406984	362502
17	Kerala	41920	91134
18	Lakshadweep Islands	00	00
19	Madhya Pradesh	47940	65280
20	Maharashtra	308860	482350
21	Manipur	5010	00
22	Meghalaya	2280	9500
23	Mizoram	885	00
24	Nagaland	1860	3000
25	Orissa	26420	78300
26	Pondicherry	6920	450
27	Punjab	305480	252690
28	Rajasthan	30130	199290
29	Sikkim	820	00
30	Tamil Nadu	430016	226626
31	Tripura	3270	00
32	Uttar Pradesh	189465	2044480
33	Uttarakhand	37080	50400
34	West Bengal	96330	139000
Grand Total		**3223103**	**5874350**

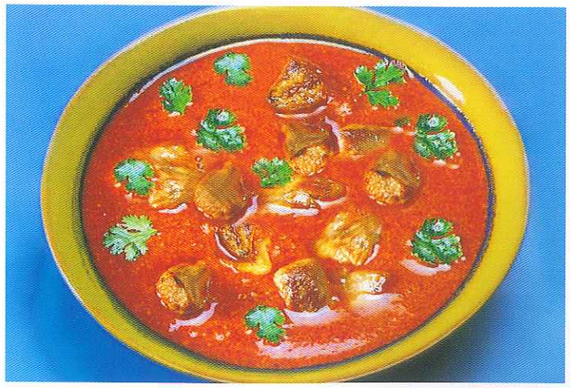

Annexure-G

State-wise Quantity & Value of Fruit Product, Non-fruit products and Sweetened Aerated Water Manufactured During Calendar Year 2008

S.No	State	Fruit Products		Non-Fruit Products(other than SAW)		Sweetened Aerated Water	
		Qty (MT)	Value (Lac Rs)	Qty (MT)	Value (Lac Rs)	Qty (MT)	Value (Lac Rs)
1.	Andaman & Nicobar	00	00	00	00	55	15
2.	Andhra Pradesh	240992	105295	109	19	323482	91284
3.	Arunachal Pradesh	00	00	00	00	00	00
4.	Assam	9845	3193	74	20	14559	3924
5.	Bihar	4036	1571	4	1	26634	6528
6.	Chandigarh	2357	1003	45	4	27021	3514
7.	Chhattisgarh	1	00	00	00	2937	621
8.	Dadra Nagar Haveli	210	375	00	00	96	6
9.	Delhi	25289	9271	319	156	54729	10563
10.	Goa	8688	8019	33	4	15110	4657
11.	Gujarat	51385	27909	275	78	98114	30939
12.	Haryana	39404	12726	6838	6188	160265	33656
13.	Himachal Pradesh	13910	6719	182	58	1254	238
14.	Jammu & Kashmir	3310	1622	216	132	117585	25869
15.	Jharkhand	6938	2171	4	1	13783	3646
16.	Karnataka	215892	80367	800	891	174671	51834
17.	Kerala	12565	7675	418	68	56141	16120
18.	Lakshadweep Island	00	00	00	00	00	00
19.	Maharashtra	205158	119850	2578	1060	290344	92352
20.	Manipur	363	128	00	00	00	00
21.	Meghalaya	59	40	00	00	10367	3615
22.	Mizoram	63	16	00	00	00	00
23.	Madhya Pradesh	39419	14347	699	1016	30683	5086
24.	Nagaland	148	54	00	00	103	24
25.	Orissa	6434	1918	24	3	132460	28137
26.	Pondicherry	4433	1988	20	15	83	10
27.	Punjab	38377	19498	649	202	122535	29228
28.	Rajasthan	41758	12743	1204	293	83551	30236
29.	Sikkim	282	119	00	00	00	00
30.	Tamil Nadu	222536	69190	2249	320	92735	27776
31.	Tripura	542	187	00	00	00	00
32.	Uttar Pradesh	118918	49087	4620	4046	662523	116446
33.	Uttarakhand	15657	8958	1015	789	27935	8541
34.	West Bengal	44617	12410	1078	637	168119	23816
	Total	**1373586**	**578449**	**23453**	**16001**	**2707874**	**648681**

Annexure "H"

State-wise Fruit & Vegetable Utilization as on 31st March, 2009

S.No	State	Fruit Utilized in Kg	Vegetable Utilised in Kg
1	Andaman Nicobar Island	72	125
2	Andhra Pradesh	434226245	45592140
3	Arunachal Pradesh	0	0
4	Assam	7328195	9346395
5	Bihar	4462864	792298
6	Chandigarh	707162	329990
7	Chhattisgarh	1477	0
8	Dadar Nagar Haweli	336480	0
9	Delhi	6875993	38992330
10	Goa	317796	14499232
11	Gujarat	25971981	265711774
12	Haryana	12078169	25834345
13	Himachal Pradesh	16932044	14224441
14	J & K	7651240	909078
15	Jharkhand	6070523	4699088
16	Karnataka	87604568	198837953
17	Kerala	6338382	11955225
18	Lakshadweep Islands	0	0
19	Madhya Pradesh	14169921	15231563
20	Maharashtra	162080506	172560650
21	Manipur	412173	53175
22	Meghalaya	62782	17093
23	Mizoram	75355	0
24	Nagaland	134524	89760
25	Orissa	7536992	384335
26	Pondicherry	8413	3293449
27	Punjab	30034946	74462320
28	Rajasthan	8028253	44251580
29	Sikkim	293878	94228
30	Tamil Nadu	272123761	48693824
31	Tripura	611523	80355
32	Uttar Pradesh	41561134	60643745
33	Uttarakhand	3228484	29310875
34	West Bengal	44429639	18979930
	Grand Total	**1201695475**	**1099871296**
		(1201695 MT)	**(1099871 MT)**

IV. Meat Food Products Order (MFPO), 1973

Consumption of meat and meat products and consumers preference for these products are gradually increasing. In meat and meat processing sector, poultry meat is the fastest growing animal protein in India. Per capita consumption of meat products has grown from 870 grams in 2000 to about 1.68 kg in 2005.This is expected to grow to 2 kg in 2009.

Indian consumers prefer to buy fresh meat from the wet market, rather than processed or frozen meats. A mere 6% of production (about 100,000 MT) of poultry meat is sold in processed form. Of this only about 1% undergoes processing into value added products (Ready-to-eat/ Ready-to-cook). Processing of large animals is largely for the purpose of Exports.

Meat and Meat Products are highly perishable in nature and can transmit diseases from animals to human-beings. Processing of meat products is licensed under Meat Food Products Order,(MFPO) 1973 which was hitherto being implemented by Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 19th March, 2004 after being transferred from the Directorate of Marketing Inspection, Ministry of Agriculture. Since 2nd December, 2008, the work related to implementation of MFPO is being enforced by the Food Safety and Standards Authority of India from its 4 regional offices located in Mumbai, Kolkata, Chennai, and Delhi.

The main objectives of the MFPO, 1973 are to regulate production and sale of meat food products through licensing of manufacturers, enforce sanitary and hygienic conditions prescribed for production of wholesome meat food products, exercise strict quality control at all stages of production of meat food products, fish products including chilled poultry etc.

Under the provisions of MFPO all manufacturers of meat food products engaged in the business of manufacturing, packing, repacking, relabelling meat food products meant for sale are licensed excluding those manufacturers who manufacture such products for consumption on the spot like restaurant, hotel, boarding house, snack bar, eating house or any other similar establishment.

Depending on the source of meat the manufacturers are licensed under category A, B & C. Presently, 279 units are licensed under MFPO as on 1st April, 2009 Region-wise details are given below:

Region	Category A	Category B	Category C	Total
Western Region	11	32	43	86
Southern Region	12	37	35	84
Northern Region	9	33	39	81
Eastern Region	7	6	15	28
TOTAL	39	108	132	279

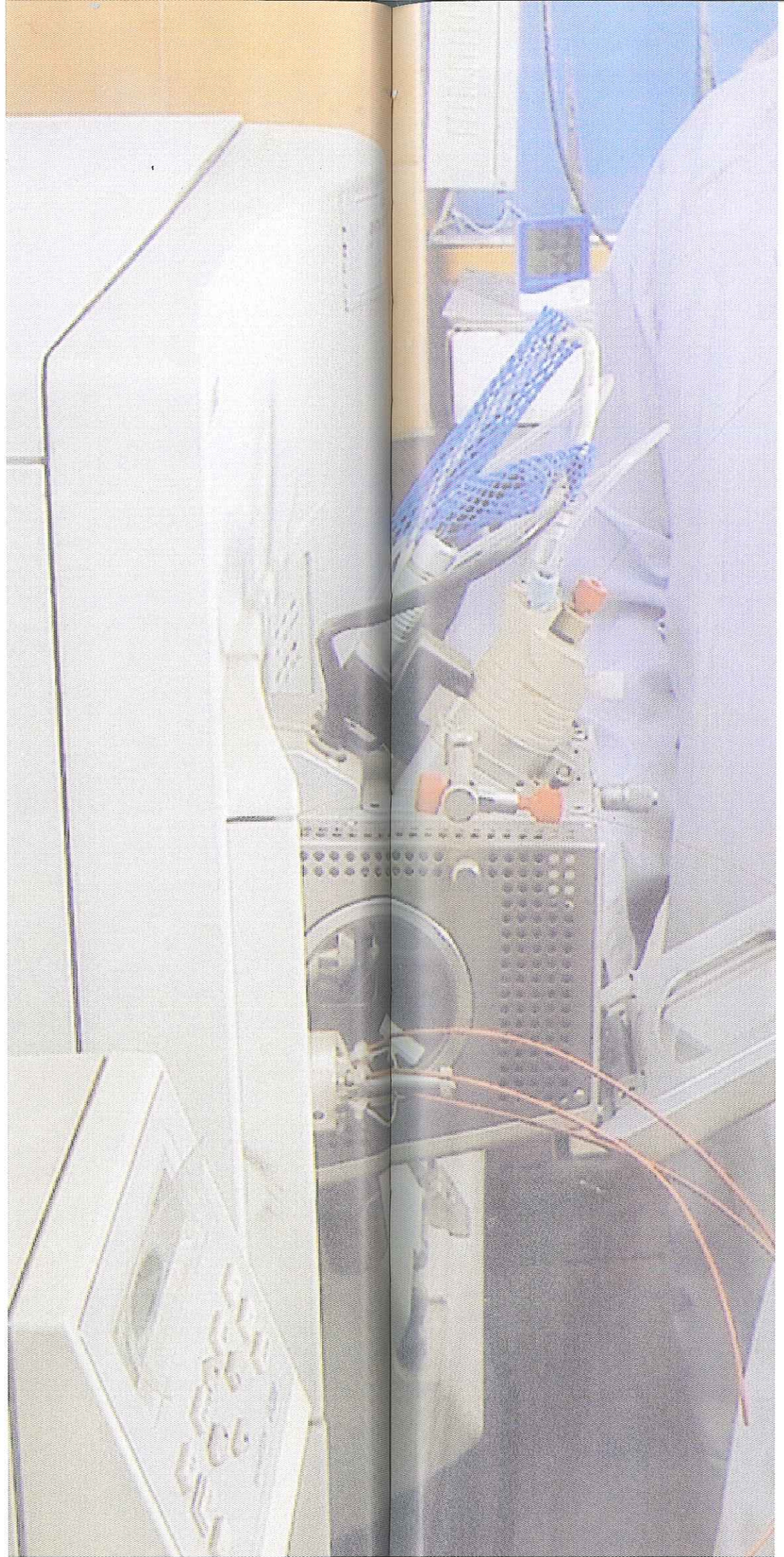

Production of meat is governed under local by-laws as slaughtering is a state subject and Slaughterhouses are controlled by local health authorities. The current meat production is estimated at 1.9 million MT; out of which about 21% is exported.

India exports more than 500,000 MT of meat of which major share is of buffalo meat. Indian buffalo meat is witnessing strong demand in international markets due to its lean character and its near organic nature. India is the 5th largest exporter of bovine meat in the world. Indian buffalo meat exports have the potential to grow significantly.

Due to emerging health threats of the diseases communicable to humans through meat, the meat consumers are more vigilant towards the wholesomeness of the meat and demand meat and poultry products processed in clean and sanitary environment. In metros and urban areas there are increasing demand for "convenience items" such as semi cooked, ready-to-eat, ready-to-cook meat food products.

Draft/base papers on Sanitary, Hygienic and other requirements for Registration/Licensing of (1)Retail Meat Shops (2) Small Medium & Large Slaughter Houses, (3) Meat Processing Units (4) Transportation of Animals from Farm to Slaughter House besides requirements for issuance of Veterinary Health Certificate and Quality Grade Designation for Meat and Meat Products under Food Safety and Standards Act, 2006 have been prepared and the same has been circulated to all the members of the Expert Group constituted for review of Meat and Meat Products and a final document is expected to emerge shortly.

V. Milk and Milk Products Order - 1992 (MMPO-92)

Consequent upon de-licensing of Dairy Sector in 1991 under Industrial Development & Regulation Act, the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries promulgated the Milk and Milk Product Order (MMPO) 1992 on 9th June, 1992 under section 3 of the Essential Commodities Act 1955. The objective of the order is to maintain and increase the supply of liquid milk of desired quality in the interest of the general public and also for regulating the production, processing and distribution of milk and milk products. As per the provisions of this order, any person/dairy plant handling more than 10,000 litres per day of milk or 500 MT of milk solids per annum needs to be registered with the Registering Authority appointed by the Central Government.

Recognizing the necessity for faster pace of growth in dairy sector, Government amended Milk and Milk Product Order-92 from time to time in order to make it more liberal and to encourage dairy entrepreneurs. This department made last amendment in the official Gazette notified on 26th March, 2002. Now there is no restriction on setting up of new dairy units and expansion in the milk processing capacity, while the requirement of registration is for enforcing the prescribed Sanitary and Hygienic Conditions, Quality and Food Safety Measures as specified in Schedule-V of MMPO-1992. In order to comply

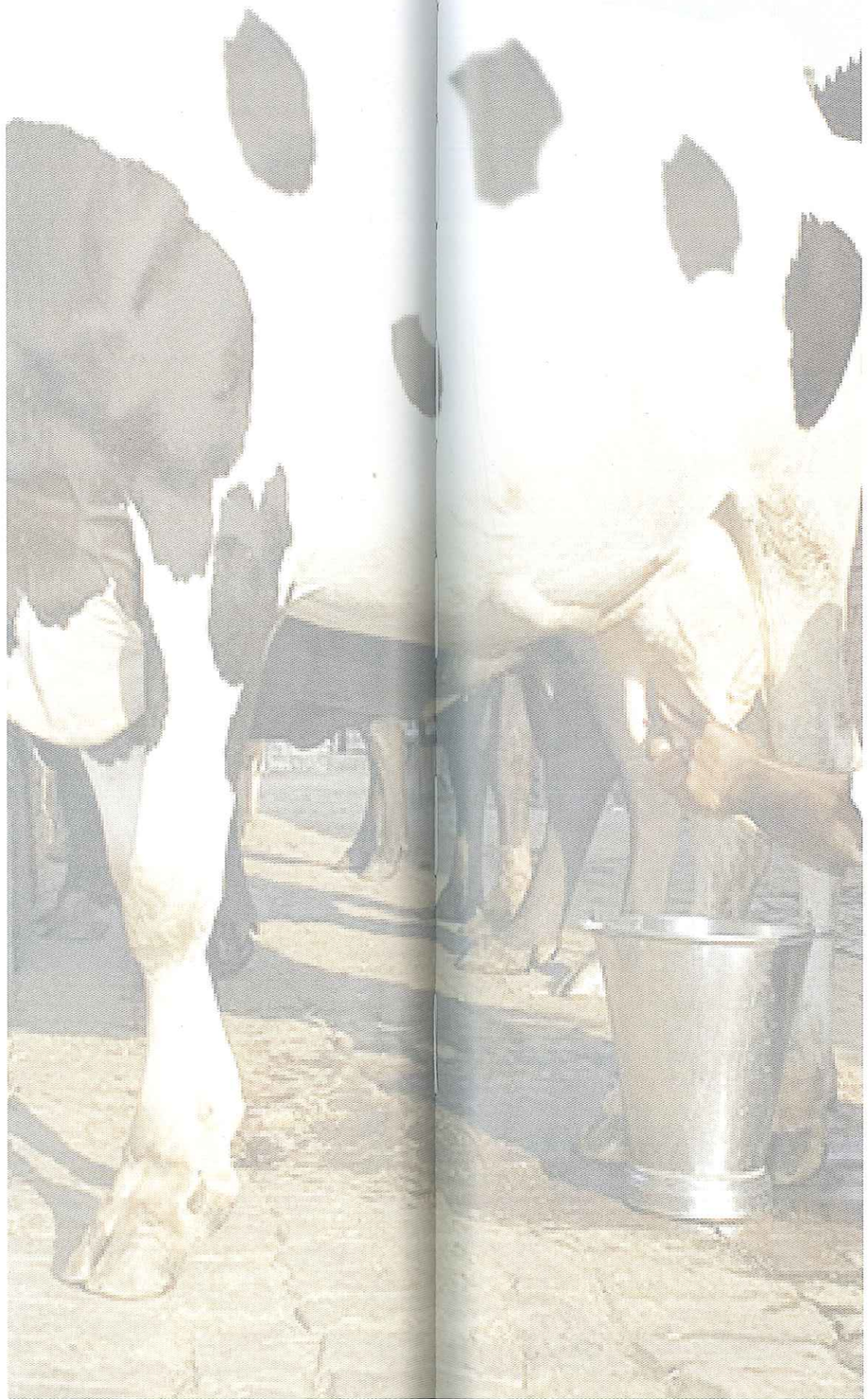

with the provisions of Para 5 (5) (B) of MMPO-92, the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries notified on 1st October, 2003 two inspection agencies i.e. National Productivity Council (NPC) and Export Inspection Council (EIC) of India for annual inspection of registered dairy units, on rotation basis.

As per present provisions, the dairy units handling up to 200.0 TLPD of milk or 10,000 MT of milk solids per annum, where the entire activity of procurement, processing and marketing of the dairy units lies within the States or Union Territories, the Registering Authority shall be an officer of the concerned State Government or U.T. Dairy units handling more than 200.0 TLPD of milk or 10,000 MT of milk solids per annum shall be registered by the Central Registering Authority. Accordingly Registering Authority shall deal with applications of registration and issue Registration Certificate under this order and within its jurisdiction.

Since inception the Central and the State Registering Authorities have registered 865 dairy units with combined milk processing capacity of 960.0 lakh litres per day in Cooperative, Private and Government Sector upto 31st March, 2009. Further the Central Registering Authority (CRA) has granted 12 new registration with the milk processing capacity of 25.0 LLPD (nine dairy units for milk processing and remaining three units for marketing / trading), enhanced the milk processing capacity of 14 dairy units with 43.40 LLPD and cancelled the registration of 10-dairy units having 24.35 LLPD capacity during 2008-09. At present, out of 366 dairy units registered by CRA, 232 dairy units with total milk processing capacity of 669.0 LLPD are at functional stage, 17 dairy units have been registered for trading/ marketing purpose and registration of 117 dairy units have been cancelled, upto 31st March, 2009.

Now it has been subsumed as Milk and Milk Products Regulations under Section-99 of the Food Safety & Standards Act-2006 and it is being implemented by the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi. The work relating to MMPO – 92 along with staff has been transferred by the Department of AH, Dairying and Fisheries to the Food Authority

on 15th January, 2009. The Food Authority has also taken up steps for notification of provisions of section 99 of the FSS Act, 2006 and appointment of Controller and Registering Authority at Centre level under MMPRs. A notification containing the provision of section 99 of FSSA, 2006 regarding change of MMPO- 92 to MMPRs- 92 has been notified vide S.O. No. 1575 (E) on dated 29th June, 2009. However, the issue for appointment of new controller and Registering Authority at centre is under process and will be notified in due course.

The Food Authority has constituted an expert group on 14th December, 2008, containing expert representatives from NDDB, NDRI – Karnal, Department of AH, Dairying & Fisheries, other National level Research institutes and also experts from reputed Co-operatives, and Private Dairy sector to review the present provisions of MMPO–92 for preparation of draft MMPRs and also to work out modalities for developing a strategy and action plan for ensuring safety of milk and milk products for implementation by the Food Authority. The base working paper for ensuring safety of milk and milk products prepared by NDDB after having discussions with the expert group has been placed in the website of this Authority, on 18th June, 2009 for obtaining comments of the concerned state holders in the dairy sector.

Activities during 2008-09

▪ Inauguration of FDA Bhavan

FDA Bhavan, a new building was inaugurated by Hon'ble Minister for Health and Family Welfare and Hon'ble Minister for External Affairs. The building is equipped with modern Conference Rooms and other amenities. The first Meeting of FSSAI took place in the FDA Bhavan on 19th December, 2008.

▪ Recruitment of Core Staff for operationalising FSSAI

Out of the initial posts sanctioned by Ministry of Health and Family Welfare, posts were advertised and a core team of officials for operationalising the Authority was recruited.

▪ Transfer of Staff from Various Ministries/ Departments

Orders were issued for transfer of staff from various Ministries/Departments implementing various foods related Acts & Orders listed under the Schedule II of FSS Act, 2006.

▪ New Structure of the Authority

Structure of the Authority was finalised. Posts that are required as per the new structure have been finalised and submitted to Ministry of Health and Family Welfare.

▪ Information Technology

FSSAI has put in place a basic IT infrastructure to felicitate its functions. Accordingly, a website has been created and through this FSSAI is communicating its various drafts to the stakeholders as well as general public. The IT infrastructure available with the transferred officers is being strengthened by

providing hardware and software. At the headquarter, a dedicated leased line connection has been put in place and a network of computers along with peripherals and other accessories have been installed. The Authority has awarded the work of developing a portal and SRS study has been initiated through NICSI.

Formulation of Procedures for FSSAI's Committees and Panels

Draft procedures for the Authority's operations, Advisory Committee, Scientific Panels and Scientific Committee have been drawn up and posted on the website. Comments were invited from all stakeholders. This has been placed before the First meeting of FSSAI and based on the suggestions/comments from the FSSAI Members as well as Ministry of Health and Family Welfare, the procedures are being finalised. Nominations have been invited for Scientific Panel and Scientific Committee and the Advisory Committee. The nominations received will be considered after the procedure is approved by Authority.

Milk Safety

The Authority has issued advisories concerning the restrictions on contaminated Chinese Milk Products. Accordingly, Ministry of Commerce has banned import of Chinese milk products for six months. This advisory is being issued to provide the State Food Authorities with available relevant information on the significance and sources of melamine contamination of food and to facilitate appropriate preventive actions on their part to address the food safety situation on urgent basis. All the states have been alerted and instructed for rigorous testing & monitoring of milk and milk products.

Commonwealth Games 2010

Authority has taken up a pilot project for upgrading the safety and quality of food served in eating establishments in Delhi, preparatory to Commonwealth Games.

Studies Proposed

A framework of cooperation with national centres for R&D in food science, nutrition and related disciplines is being developed to leverage the strengths of these institutions to support the Authority's mandate.

- **Diet Study:** The Authority has awarded National Institute of Nutrition to carry out a study on Diet, Nutrition, and Diseases - food nexus. It will assess the pattern of consumption of various processed and non processed foods among the urban and rural communities during different seasons, in different regions of the country.

- **Food Regulation:** The Authority proposes to create a database on food regulation, disease profile, infrastructure etc. A suitable agency will collect secondary data on Food and Food Contaminants from different institutions like ITRC, CFTRI, NDRI, NIN etc. featuring diets in different regions of India. This will help FSSAI in Risk Assessment and planning and implementation of Food Safety programmes.
- **Import Safety:** The authority will constitute an inter-ministerial group for drawing up an Import Safety Action Plan.
- **Laboratories:** The Authority has assigned Quality Council of India the task of making a gap assessment of state laboratories and norms for identifying referral labs. The study would determine the current status of each lab and the up gradation required in terms of infrastructure, equipment, manpower-both adequacy and training requirements, and test methods used. This will prepare these labs for testing under FSSAI and implement international standards for food testing.

Workshops

FSSAI organised a Workshop for "Consultation on Ensuring Safety and Quality of Food" in Bangalore on 26th March, 2009. Draft Rules for the Licensing Procedures and Registration were discussed with various stakeholders in the Workshop. The following salient aspects were also discussed:

1. Framework for Registration/Licensing/Monitoring of Food Businesses under the Food Safety & Standards Act and
2. Existing framework for Licensing & Registration.

Three more Workshops are proposed to be conducted in Mumbai, Delhi and Kolkata. These workshops are being conducted through FICCI.

Roadmap

The following Roadmap for the Authority has been approved in the first meeting of the Authority held on 19th December, 2008

1. Discussions have to be initiated with each State Government regarding the transition arrangements from PFA system to the FSSA system with regard to infrastructure, professional cadre of food safety officers, the skill development of food safety officers and testing facilities available. Norms for these are required to be worked out so that the performance of each state is estimated in this regard.
2. The existing staff under the FPO, MFPO, PFA, MMPO and other related food Acts are required to be integrated and regional directorates established to bring the Authority activities closer to the states.
3. The structure of the Authority has now been finalised and this will be taken up for approval. After approval of the posts, steps will be initiated for recruiting suitable individuals to fill the various positions.
4. The Advisory Committee, Scientific Committee and Scientific Panels will be constituted as soon as the procedure is approved by the Authority and the required notifications are issued by the Government.
5. Surveillance system and Recall mechanism are to be drawn up in accordance with the provisions of law. This will be then discussed with all stake holders before they are finalised.
6. The imported Food Safety Action Plan will be taken up for implementation during the year 2009. This requires close collaboration with a large number of other ministries and departments. It will also require expansion of infrastructure in ports of entry, identification of the optimal strategy for testing imported foods, harmonization of standards with other countries to ensure food safety of food imported into the country etc.
7. The Authority proposes to draw up draft policy framework for regulation of nutraceuticals, functional foods and supplements. An expert group is proposed to be constituted for this purpose whose recommendations will be further discussed with stake holders.
8. The Authority proposes to review the current lists of colours, additives, supplements etc. under the PFA which have not been reviewed for several decades. These are now required to be reviewed on the basis of latest scientific findings.
9. Guidelines for professional development, recruitment, training, curricula of food safety staff are required to be established by the Authority.

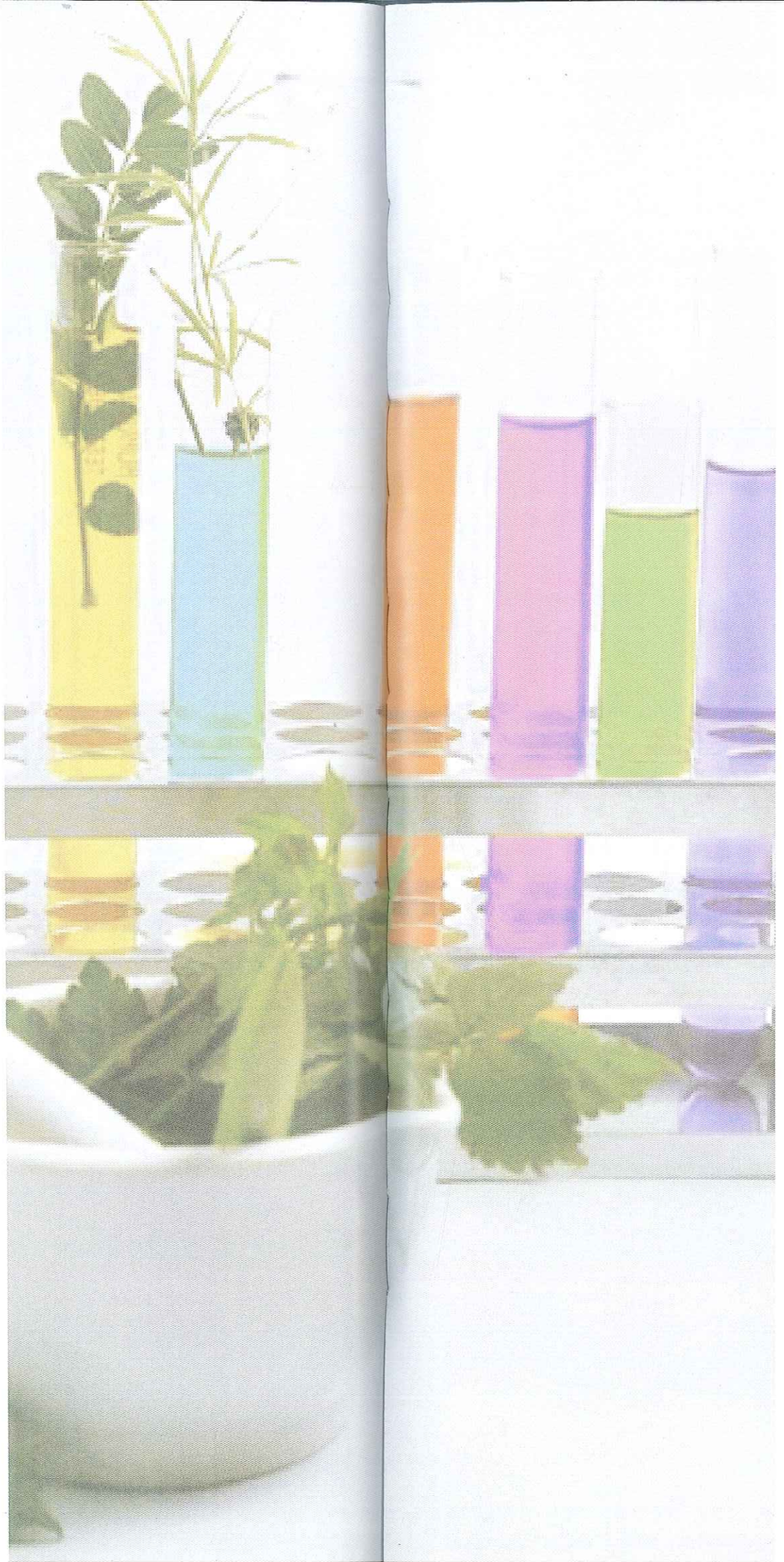

10. The Authority proposes to work with the existing national level institutions to support its mandate. Centres of Excellence are proposed to be identified and supported in various institutions related to the mandate of the Authority.
11. After discussions with the Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce etc. standards are required to be laid down for good agricultural practices, organic food and good manufacturing practices for food establishments.
12. Dissemination of scientific findings relating to food will be an important component in the Authority's work. This will require not only providing complete information to stake holders but also ascertaining the scientific evaluation of various food related policies and scanning the environment for trends which need to be monitored.
13. Authority proposes to promote excellence in research through adequate investment in R&D to expand the scientific knowledge base with regard to food safety. The agenda for scientific research in the areas of food safety will need to be identified and a network of institutions established to carry out the same. Scientific cooperation with the other countries is also required to be established.
14. Water being an important ingredient of food hygiene and monitoring, contamination of water is critical for food safety. The Authority will develop a framework to estimate safety levels of water used as ingredient for food production.
15. Drawing up detailed guidelines for food labelling, validating of claims relating to food products and code of advertisement in regard to food.
16. By the end of the year, the Authority would be in a position to issue national dietary guidelines with regional modifications wherever required. This will require setting up an expert group and drawing up draft guidelines on the basis of latest scientific findings and the status of food consumption in the country.

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Expenditure Statement of 2008-09

Total Sanctioned Grant = 8 crore

Head	Total
Salary	98,73,364.00
OTA	8,252.00
TE	6,53,967.00
Machinery Equipment	74,38,018.00
Office Expenses	1,04,03,259.00
Medical Treatment	12,306.00
Supply and Material	4,14,961.00
Motor Vehicle	21,42,845.00
Security	9,90,252.00
Other Administrative Services	1,95,899.00
Conference, Meeting and Seminar	2,30,754.00
Information Technology	27,86,241.00
Maintenance	62,92,222.00
Advt. and Publicity	8,82,072.00
RRT	20,826.00
Library	47,614.00
Professional Services	2,00,000.00
TOTAL	**4,25,92,852.00**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
BALANCE SHEET AS ON 31st March, 2009
Incorporated as on

Corpus/Capital Fund & Liabilities	Schedules	2008-09
Corpus/Capital Fund	1	48,023,949.00
Reserves & Surplus	2	-
Earmarked/Endowment Fund	3	-
Secured Loans & Borrowings	4	-
Unsecured Loans & Borrowings	5	-
Deferred Credit Liabilities	6	-
Current Liabilities & Provisions	7	1,037,255.00
Total		**49,061,204.00**
Assets		
Fixed Assets	8	9,359,357.00
Investment-from earmarked/endowment fund	9	-
Investment-Others	10	-
Current Assets, Loans & Advances etc.	11	39,701,847.00
Misc. Expenditures (Excess of Expenditure Over Income)		-
Total		**49,061,204.00**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24	
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNT	25	

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Income & Expenditure Account as on 31st March, 2009
Incorporated as on

Incomes	Schedules	2008-09
Income from Sale & Services	12	-
Grants/Subsidy	13	-
Fees/Subscriptions	14	-
Income From Investments	15	-
Income From Royalty, Publications	16	-
Interest Earned	17	1,47,797.00
Other Incomes	18	11,85,099.00
Increase/Decrease in Stock	19	-
		13,32,896.00
Excess of Expenditure Over Income		31,976,051.00
Transferred to Corpus/Capital Fund)		
		33,308,947.00
Expenditures		
Establishment Expenses	20	10,426,124.00
Other Administrative Expenses	21	20,581,250.00
Expenditure on Grants, Subscriptions etc.	22	-
Interest	23	-
Depreciation		2,301,573.00
TOTAL (B)		**33,308,947.00**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24	
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNT	25	

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31st March, 2009

Schedule 1:- Corpus/Capital Fund

	2008-09	
Balance at the beginning of year	-	
Add: Contribution towards corpus/capital fund	80,000,000.00	
Add (Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from Income & Expenditure A/c	(31,976,051.00)	48,023,949.00
Balance as at year end:-		**48,023,949.00**

Schedule 2:- Reserves & Surplus

1. Capital Reserves:		
As per last Account	-	-
Add: Addition during the year	-	
Less: Deduction during the year	-	-
2. Revaluation Reserves:		
As per last Account	-	
Add: Addition during the year	-	
Less: Deduction during the year	-	-
3. Special Reserves		
As per last Account	-	
Add: Addition during the year	-	
Less: Deduction during the year	-	-
4. General Reserves		
As per last Account	-	
Add: Addition during the year	-	
Less: Deduction during the year	-	-
Balance as at year end:		-

Schedule 3:- Earmarked/Endowment Fund

a) Opening balance of the funds		
b) Additions to the funds:		
i) Donations/grants		
ii) Income from investment made on account of funds		
iii) Other additions		
Total (a+b)		
c) Utilisations/Expenditures towards objective of funds		
i) Capital Expenditure		
- Fixed Assets		
- Others		
Total		
ii) Revenue Expenditures		
- Salaries, Wages & Allowances etc.		
- Rent		
- Other Administrative Expenses		
Total		
Total (c)		
Net Balance as at year end (a+b-c)		

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Schedules forming part of Balance Sheet as at 31st March, 2009

Schedule 4:- Secured Loans & Borrowings

1. Central Government	-	
2. State Government	-	
3. Financial Institutions:		
a) Terms Loans	-	
b) Interest accrued thereon	-	
4. Banks:		
a) Terms Loans	-	
b) Interest accrued & due thereon	-	
5. Other Institutions & Agencies	-	
6. Debentures & Bonds	-	-
7. Others		-
Net Balance as at year end		

Schedule 5:- Unsecured Loans & Borrowings

1. Central Government	-	
2. State Government	-	
3. Financial Institutions		
4. Banks		
a) Terms Loans	-	
b) Others	-	
5. Other Institutions & Agencies	-	
6. Debentures & Bonds	-	
7. Fixed Deposits		
8. Others		
Net Balance as at year end		-

Schedule 6:- Deferred Credit Liabilities

a) Acceptance secured by hypothecation of capital equipments and other assets	-	
	-	
b) Others	-	-
Net Balance as at year end		

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedules forming part of Balance Sheet as at 31st March, 2009

Schedule 7:- Current Liabilities & Provisions

A. Current Liabilities:		
1. Acceptances	-	
2. Sundry Creditors		
- For Goods/Services	8,45,313.00	
- Expenses Payable	1,45,426.00	
3. Advance Received	30,000.00	
4. Interest accrued but not due on:		
- Secured Loans/Borrowings	-	
- Unsecured Loans/Borrowings	-	
5. Statutory liabilities:		
a) Overdue	-	
b) TDS Payable	16,516.00	
Total (A)	1,037,255.00	1,037,255.00
B. Provisions:		
1. For taxations	-	
2. Gratuity	-	
3. Superannuation/Pension	-	
4. Accumulated Leave Encashment	-	
5. Trade Warranties/Claims	-	
6. Others	-	
Total (B)	-	
Net Balance as at year end (A+B)		**1,037,255.00**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedule Forming part of Balance Sheet as on 31st March, 2009

Schedule - 8, Fixed Assets

		Gross Block							Depreciation			Net Block	
Particulars		Balance as on 01.04.2008	Addition upto 30.09.2008	Addition after 30.09.2008	Sale	Total	on add. before 30.09.2008	on add. after 30.09.2008	As on 01.04.2008	On addition during year	Total as on 31.03.2009	As on 31.03.2009	As on 31.03.2008
Land:-													
a) Freehold		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
b) Leasehold		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Building:-													
a) On Freehold Land		-	-		-	-		-	-	-	-	-	
b) On Leasehold Land		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
c) Ownership Flats/Premises		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
d) Superstructure on Land not belonging to entity.		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Plant, Machinery & Equipments		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Vehicles-Ambassador Car	25.89%	-	5,63,772.00	-	-	5,63,772.00	1,45,961.00	-	-	1,45,961.00	1,45,961.00	4,17,811.00	-
Furnitures & Fixtures	18.10%	-	5,59,836.00	1,35,086.00	-	6,94,922.00	1,01,330.00	12,225.00	-	1,13,555.00	1,13,555.00	5,81,367.00	-
Office Equipments													
d) Fax Machines	15.33%	-	45,240.00	-	-	45,240.00	6,935.00	-	-	6,935.00	6,935.00	38,305.00	-
e) Gyser A/c	15.33%	-	16,042.00	-	-	16,042.00	2,459.00	-	-	2,459.00	2,459.00	13,583.00	-
f) Micro Wave	15.33%	-	4,450.00	8,900.00	-	13,350.00	4,450.00	8,900.00		13,350.00	13,350.00	-	-
g) Oil Field Radiator	15.33%	-		25,365.00	-	25,365.00	-	1,944.00		1,944.00	1,944.00	23,421.00	-
h) Voltage Stablizer	15.33%	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-	1,472.00	-	1,472.00	1,472.00	17,728.00	-
i) Water Dispenser	15.33%	-	6,500.00	-	-	6,500.00	996.00	-		996.00	996.00	5,504.00	-
j) Audio Conference System	15.33%	-	-	1,051,812.00	-	1,051,812.00	-	80,621.00	-	80,621.00	80,621.00	9,71,191.00	-
k) LCD Tv	15.33%	-	-	9,19,209.00	-	9,19,209.00	-	70,457.00	-	70,457.00	70,457.00	848,752.00	-
m) PlasamaTv	15.33%	-	-	2,730,875.00	-	2,730,875.00	-	2,09,322.00	-	2,09,322.00	2,09,322.00	2,521,553.00	-
n) Tata Sky & EPRS System	15.33%	-	-	9,098.00	-	9,098.00	-	9,098.00		9,098.00	9,098.00	-	-
o) Siemen Hi Path 1150 Digital Power Sound System	15.33%	-	1,56,272.00	1,45,301.00	-	3,01,573.00	23,956.00	11,137.00	-	35,093.00	35,093.00	266,480.00	-
p) Digital Camera	15.33%	-	-	33,800.00	-	33,800.00		2,591.00	-	2,591.00	2,591.00	31,209.00	-
q) Computer	40%		1,149,320.00	1,904,167.00	-	3,053,487.00	4,59,728.00	3,80,833.00	-	8,40,561.00	8,40,561.00	2,212,926.00	-
r) UPS	40%	-	1,22,184.00	2,44,670.05	-	3,66,854.05	48,874.00	48,934.00	-	97,808.00	97,808.00	269,046.05	-
s) Printer & Scanner	40%	-	1,325,452.00	3,51,376.95	-	1,676,828.95	5,30,181.00	70,275.00	-	600,456.00	600,456.00	1,076,372.95	-
Library books	100%	-	19,756.00	33,743.00	-	53,499.00	19,756.00	33,743.00	-	53,499.00	53,499.00	-	-
Special rate of Depreciation provided considering life of assets													
a) Beetel Twin Phones	15.33%	-	3,822.00	3,406.00	-	7,228.00	3,822.00	3,406.00	-	7,228.00	7,228.00	-	-
b) Mobile Phones	15.33%	-	25,800.00	37,999.00	-	63,799.00	3,955.00	2,913.00	-	6,868.00	6,868.00	56,931.00	-
c) Cordless Phones	15.33%	-	8,476.00	-	-	8,476.00	1,299.00	-	-	1,299.00	1,299.00	7,177.00	-
GRAND TOTAL		-	4,006,922.00	7,654,008.00	-	11,660,930.00	1,353,702.00	9,47,871.00	-	2,301,573.00	2,301,573.00	9,359,357.00	-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedule forming part of Income & Expenditure Account as on 31st March, 2009

Schedule 9:- Investments from Earmarked / Endowment Fund

1. In Government Securities	-	
2. Other approved Securities	-	
3. Shares	-	
4. Debentures & Bonds	-	
5. Subsidiaries & Joint Ventures	-	-
6. Others		
Net Balance as at year end		-

Schedule 10 :- Investments (Others)

1. In Government Securities	-	
2. Other approved Securities	-	
3. Shares	-	
4. Debentures & Bonds	-	
5. Subsidiaries & Joint Ventures	-	-
6. Others		
Net Balance as at year end		-

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31st March, 2009

Schedule 11:- Current Assets, Loans & Advances etc.

A. Current Assets:		
1. Inventories:		
a) Stores & Spares	-	
b) Loose Tools	-	
c) Stock in trade		
Finished Goods	-	
Work in Progress	-	
Raw Material	-	
2. Sundry Debtors:		
a) Outstanding for a period exceeding 6 months	-	
b) Others	-	
3. Cash balances in hand	-	
4. Bank balances:		
a) With Scheduled Bank		
- On Current Account	-	
- On Deposit Account	-	
- On Saving Account	38,770,044.00	
b) With Non-Scheduled Bank		
- On Current Account	-	
- On Deposit Account	-	
- On Saving Account	-	
5. Post Office-Saving Account	-	38,770,044.00
Total (A)		38,770,044.00
B. Loans & Advances		
1. Loans:		
a) Staff	56,000.00	
b) Other Entities engaged in similar activities	-	
c) Others	8,75,803.00	
2. Advances recoverable in cash or kind or for value to be received:		
a) On Capital Account	-	
b) Prepayments	-	
c) Others	-	
3. Interest accrued:		
a) On Investments from earmarked/ endowment fund	-	
b) On Other Investment	-	
c) On Loans & Advances	-	
d) Others	-	
4. Claims Receivable;	-	9,31,803.00
Total (B)		9,31,803.00
Net Balance as at year end (A+B)		**39,701,847.00**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedule forming part of Income & Expenditure Account as on 31st March, 2009

Schedule 12:- Income from Sales / Services

1. Income From Sale:		
a) Sale of Finished Goods	-	
b) Sale of Raw Material	-	
c) Sale of Scraps	-	
2. Income From Services:		
a) Labour & Processing Receipts	-	
b) Professional Consultancy fee	-	
c) Agency Commission & Brokerages	-	
d) Maintenance Services	-	
e) Others	-	-
Net Balance as at year end		-

Schedule 13:- Grants / Subsidies

1. Central Government	-	
2. State Government	-	
3. Government Agencies	-	
4. Institutions/Welfare bodies	-	
5. International Organisations	-	
6. Others	-	-
Net Balance as at year end		-

Schedule 14:- Fees / Subscriptions

1. Entrance Fees	-	
2. Annual Fees/Subscriptions	-	
3. Seminar Fee/Program Fees	-	
4. Consultancy Fees	-	
5. Others	-	-
Net Balance as at year end		-

Schedule 15:- Income From Investments

1. Interest on:		
a) Government Securities	-	
b) Other Bonds/Debentures	-	
2. Dividends on:		
a) On Shares		
b) On Mutual Fund Securities	-	
3. Rents	-	
4. Others	-	
Net Balance as at year end		

(Transferred to Corpus/Capital Fund)

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedule forming part of Income & Expenditure Account as on 31st March, 2009

Schedule 16:- Income From Royalty, Publications etc.

1. Income From Royalty	-	
2. Income From Publications	-	
3. Others	-	-
Net Balance as at year end		-

Schedule 17:- Interest Earned

1. On Term Deposit:		
a) With Scheduled Bank	-	
b) With Non-Scheduled Bank	-	
c) With Institutions	-	
d) Others		
2. On Saving Accounts:		
a) With Scheduled Bank	1,47,797.00	
b) With Non-Scheduled Bank	-	
c) With Institutions	-	
d) Others		
3. On Loans:		
a) Employees/Staff	-	
b) Others	-	
4. Interest on Debtors & Other Receivables	-	1,47,797.00
Net Balance as at year end		**1,47,797.00**

Schedule 18:- Other Incomes

1. Profit on Sale / Disposal of Assets		
a) Owned Assets	-	
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	
2. Export Incentive Realized	-	
3. Fees for Misc. Services	1,014,250.00	
4. Misc. Income	1,70,849.00	1,185,099.00
Net Balance as at year end		**1,185,099.00**

Schedule 19:- Increase / Decrease in Stock of Finished Stock, W.I.P. & Raw Material

a) Closing Stock		
- Finished Stock	-	
- Work in Progress	-	
b) Less: Opening Stock		
- Finished Stock	-	
- Work in Progress	-	-
Net Increase / Decrease in Stock (a-b)		-

Schedule 20:- Establishment Expenses

a) Salaries & Wages	9,832,364.00	
b) Allowances	5,40,624.00	
c) Contribution to PF	-	
d) Contribution to Other Fund	-	
e) Staff Welfare Expenses	40,830.00	
f) Expenses on Employee retirement & Benefits	-	
g) Medical Expenses	12,306.00	10,426,124.00
Net Balance as at year end		**10,426,124.00**

Schedule 21:- Other Administrative Expenses

a) Purchase	-	
b) Labour & Processing Charges	-	
c) Cartage & Carriage Inwards	-	
d) Electricity & Powers	5,713,704.00	
e) Water Charges	1,46,625.00	
f) Insurances	-	
g) Repairs & Maintenance	6,469,826.00	
h) Excise Duty	-	
i) Rent, Rates & Taxes	42,826.00	
j) Vehicle Running & Maintenance	14,903.00	
k) Postage & Telegram	68,976.00	
l) Printing & Stationery	4,71,394.00	
m) Travelling & Conveyance Expenses	2,254,731.00	
n) Seminar, Meeting & Conference Expenses	2,50,551.00	
o) Subscriptions Expenses	-	
p) Fees	-	
q) Auditor's Remunerations	36,000.00	
r) Hospitality Expenses (House Keeping and Security Exp)	1,262,704.00	
s) Professional Charges	4,14,574.00	
t) Provisions for bad/doubtful & Advances	-	
u) Irrecoverable balance written off	-	
v) Packing Charges	-	
w) Freight & Forwarding Expenses	-	
x) Distribution Expenses	-	
y) Advertisement Expenses	9,18,814.00	
z) Others	2,515,622.00	20,581,250.00
Net Balance as at year end		**20,581,250.00**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Schedule forming part of Income & Expenditure Account as on 31st March, 2009

Schedule 22:- Expenditure on Grants, Subsidies etc.

a) Grants given to Institutions / Organisations	-	
b) Subsidies given to Institutions / Organisations	-	-
Net Balance as at year end		-

Schedule 23:- Interest paid

a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans		
c) Others		
Net Balance as at year end		

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Detail Forming part of Schedule as on 31st March, 2009

Detail of Sundry Creditors for Goods/Services		
M/s Bedi & Bedi Associates	3,38,859.00	
M/s Hindustan Petroleum Corporation Ltd	76,132.00	
M/s Indian Industrial Security Services Pvt Ltd	75,796.00	
M/s NDR Tour & Travels	2,70,739.00	
M/s Safeguard & Manpower	17,836.00	
M/s Weather Control Engineering	29,951.00	
M/s Rawla & Company	36,000.00	8,45,313.00
		8,45,313.00
Detail of other Creditors		
Mobile Expenses Payable	1,167.00	-
Electricity Expenses Payable	1,16,401.00	
Telephone Expenses Payable	27,858.00	1,45,426.00
		1,45,426.00
Detail of Loans to Staff		
LTC Advance	41,000.00	-
Deputy Director (F&VP) Chennai	10,000.00	
Sh. P.I. Suvarthan A/c	5,000.00	56,000.00
Total		**56,000.00**
Detail of Other Loans:-		
M/s National Information Center	8,56,603.00	
M/s Hindustan Petroleum Corporation Limited	15,000.00	
M/s Bag Full Inter	1,200.00	
DAVP	3,000.00	8,75,803.00
Total		**8,75,803.00**
Detail of Fees for Misc. Services:-		
Licence Fees	1,014,230.00	
RTI Fees	20.00	1,014,250.00
Total		**1,014,250.00**
Detail of Misc. Incomes:-		
Sale of Newspaper	4,999.00	
Sale of Tender Form	1,65,850.00	1,70,849.00
Total		**1,70,849.00**
Detail of Allowances Paid:-		
TA/DA Paid to Officers/Staff	5,32,372.00	
Overtime Allowances	8,252.00	5,40,624.00
Total		**5,40,624.00**
Detail of Other Administrative Expenses:-		
Salary to Contractual Staff	1,566,849.00	
Consumable Store	1,40,448.00	

Generator Expenses	61,080.00	
General Expenses	25,343.00	
Networking Charges	3,42,508.00	
News Paper Expenses	26,869.00	
Office Expenses	18,336.00	
Telephone & Mobile Expenses	3,24,352.00	
Internet Charges	9,837.00	2,515,622.00
Total		**2,515,622.00**
Detail of Repair & Maintenance Expenses:-		
Maintenance of AC Plant	3,00,526.00	
Maintenance of Lift	1,50,562.00	
Office Maintenance Expenses	5,890,890.00	
Annual Maintenance Charges Water Pump	1,24,298.00	
Other Repair & Maintenance	3,550.00	6,469,826.00
Total		**6,469,826.00**
Detail of Rent, Rates & Taxes:-		
Licence Fee (Rent Free Accommodation)	20,826.00	
Office Rent (Guwahati)	22,000.00	42,826.00
Total		**42,826.00**
Detail of Postage & Telegram Expenses:-		
Courier Expenses	57,709.00	
Postage & Telegram	11,267.00	68,976.00
Total		**68,976.00**
Detail of Travelling & Conveyance Expenses:-		
Tour & Travelling Expenses	2,57,668.00	
Motor Taxi Hire Charges	1,863,703.00	
Oil & Diesel Expenses	1,19,451.00	
Conveyance Expenses	13,909.00	2,254,731.00
Total		**2,254,731.00**
Detail of Hospitality Expenses:-		
House Keeping Charges	7,44,082.00	
Security Expenses	5,18,622.00	1,262,704.00
Total		**1,262,704.00**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Receipts & Payment Account as on 31st March, 2009

Incorporated as on

RECEIPTS	Schedules	31.3.2009
Opening Cash & Bank Balances		
Cash in Hand		-
Bank		-
Grants from DGHS Ministry of Health		80,000,000.00
Interest from Bank of Baroda		1,47,797.00
Licence Fees		1,014,230.00
RTI Fees		20.00
Sale of Newspaper		4,999.00
Sale of Tender Form		1,65,850.00
Earnest Money Deposit		30,000.00
		81,362,896.00
PAYMENT		**31st March, 2009**
Purchase of Fixed Assets	B	11,662,003.00
Office & Administrative Exp.	A	29,999,046.00
Advances:-		
M/s Hindustan Petroleum Corporation Limited		15,000.00
M/s National Information Center		8,56,603.00
DAVP		3,000.00
M/s Bag Full Inter.		1,200.00
Sh. P.I. Suvarathan (Imprest) A/c		5,000.00
Deputy Director (F&V), Chennai		10,000.00
LTC Advance (Sh. S.K. Sharma)		41,000.00
Closing Balance of Cash & Bank		-
Cash		38,770,044.00
Bank of Baroda		81,362,896.00
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24	
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNT	25	

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedule forming part of Receipt & Payment A/c as on 31st March, 2009

Schedule A:- Office & Administrative Expenses

	Amount (Rs.)
Consultancy Charges	4,14,574.00
Consumable Store	1,39,375.00
Conveyance Expenses	13,909.00
Courier Expenses	57,709.00
Electricity Charges	5,597,303.00
General Expenses	25,343.00
Generator Expenses	61,080.00
House Keeping Charges	6,66,396.00
Mobile Expenses	21,225.00
News Paper Expenses	26,869.00
Office Expenses	18,336.00
Postage & Telegramme	11,267.00
Printing & Stationery Expenses	4,71,394.00
Repair & Maintt, A/c	3,550.00
Staff & Welfare Expenses	40,830.00
Telephone Expenses	2,74,102.00
Water Expenses	1,46,625.00
Admn Expenses	1,202,875.00
Advertisement & Publicity Expenses	9,18,814.00
Annual Maintt Charges Water Pump	1,24,298.00
Conference Seminar & Meeting Exp	2,50,551.00
Internet Charges	9,837.00
Amplifier	3,42,508.00
Maintt of A/c Plant	2,69,964.00
Maintt of Lift	1,50,562.00
Medical Expenses	12,306.00
Motor Vehicle Taxi Hire	1,587,439.00
Office Maintt Expenses	5,890,890.00
Office Rent Expenses	22,000.00
Oil & Diesel Expenses	1,19,451.00
Over Time Allowance	8,252.00
Rent, Rate & Taxes	20,826.00
Salary Pay to Staff	9,832,364.00
Security Expenses	4,41,279.00
TA/DA To Officer Staff	5,32,372.00
Travelling Expenses	2,57,668.00
Vehicle Running & Maintt	14,903.00
Grand Total	**29,999,046.00**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedule forming part of Receipt & Payment A/c as on 31st March, 2009

Schedule B:- Purchase of Fixed Assets

	Amount (Rs.)
Ambassador Car	5,63,772.00
Furnitures & Fixtures	6,94,922.00
Beetel Twin Phones	7,228.00
Mobile Phones	63,799.00
Cordless Phones	8,476.00
Fax Machines	45,240.00
Gyser A/c	16,042.00
Micro Wave	13,350.00
Oil Field Radiator	26,438.00
Voltage Stabilizer	19,200.00
Water Dispenser	6,500.00
Computer	3,510,390.05
UPS	2,42,283.00
Printer & Scanner	1,344,496.95
Audio Conference System	1,051,812.00
LCD Tv	9,19,209.00
Plasma Tv	2,730,875.00
Tata Sky & EPRS System	9,098.00
Siemen Hi Path 1150 Digital Power System	3,01,573.00
Digital Camera	33,800.00
Library books	53,499.00
Total	**11,662,003.00**

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate, New Delhi-110002

ए.एम.जी. -IV/ एस.ए.आर. / भा.खा. स.मा.प्रा. / 2009–10 / 520 दिनांक

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार
स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन,
नई दिल्ली–110001

विषयः वर्ष 2008–09 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदया / महोदय,

मैं, भारतीय खाद्य संरक्षण् एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008–09 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2008–09 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षो के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यो को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय

हस्ता.

निदेशक (ए.एम.जी.-IV)

अनुलग्नकः यथोपरि

Telephone : 91-11-2345100, Fax : 91-11-23702271 e-mail : dgacr@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31st March 2009

We have audited the attached Balance Sheet of Food Safety & Standards Authority of India as at 31st March 2009 and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the management of Food Safety & Standards Authority of India. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transaction with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii The Balance Sheet and Income and Expenditure Account Receipts and Payments Account dealt with by this report have not been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Food Safety & Standards Authority of India, in so far as it appears from our examination of such books.

iv We further report that

A Income and Expenditure Account

A.1 Income

A.1.1 Non-accountal of grants

Grant in aid of Rs. 8.00 crore (Plan) had not been shown as income of the year in Income & Expenditure. This resulted in understatement of the income by the same amount.

B. General

1 Sch. 24 & 25 "Significant Accounting Policy" and "Contingent Liabilities and Notes on Accounts" had not been prepared.

C. Grants - in - aid

The Food Safety and Standards Authority of India received grant of Rs. 800 lakh (Plan). It had its own receipts of Rs. 13.33 lakh. It utilized Rs. 426.68 lakh.

D. Management Letter : Deficiencies, which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

V. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

VI. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the Food Safety and Standards Authority of India as at 31st March 2009, and

b. In so far as they relate to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place : New Delhi
Date : 29-6-10

Director General of Audit
Central Expenditure

Annexure-1 to audit report

1 Adequacy to Internal audit system:

- Neither there is any internal audit system in the organization nor the Ministry has conducted internal audit for the year 2008-09

2 Adequacy of Internal Control

Monitoring

- There is no segregation of duties. The work of passing the Bills, preparation of cheques and disbursement of amount is done by one officer only.

3 System of physical verification of fixed assets:

- The physical verification of fixed assets has not been conducted.

4 System of physical verification of inventory:

- The physical verification of inventory like books and publication and other consumables has not been conducted.

5 Regularity in payment of statutory dues:

- No statutory payment is outstanding for more than six months.

fssai

Food Safety and Standards Authority of India

3rd & 4th floor, Food and Drug Administration Bhawan,
Kotla Road, New Delhi-110002
Tel. 011-23237435

Newfields / M. P. Printers